45

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

'देश में पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु टीकों की उपलब्धता की स्थिति'

{कृषि संबंधी स्थायी समिति (2020-21)के तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई}

पैंतालीसवां प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसम्बर, 2022 / अग्रहायण, 1944 (शक)

पैंतालीसवां **प्रतिवेदन**

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

'देश में पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु टीकों की उपलब्धता की स्थिति'

{कृषि संबंधी स्थायी समिति (2020-21)के तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई}

20.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

20.12.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसम्बर, 2022 / अग्रहायण, 1944 (शक)

सीओए सं. 457

मूल्य: …….. रुपए

© 2022 लोक सभा सचिवालय द्वारा

लोक सभा सचिवालय द्वारा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित एवं मुद्रित।

विषय-वस्तु

पृष्ठ संख्या

समिति (2021-22) की संरचना..... (ii)

समिति (2022-23) की संरचना..... (iv)

प्राक्कथन..... (vi)

अध्याय एक. प्रतिवेदन..... 1

अध्याय दो. टिप्पणियां/ सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है..... 35

अध्याय तीन. टिप्पणियां/ सिफारिशें, जिन पर समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती..... 86

अध्याय चार. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है..... 87

अध्याय पांच. टिप्पणियां/ सिफारिशें , जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं 102

अनुबंध

दिनांक 15.11.2022 को हुई समिति की दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश..... 113

परिशिष्ट

कृषि संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण..... 116

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति* (2021-22) की संरचना

श्री पी. सी. गद्दीगौडर- सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अफजाल अनसारी
3. श्री होरेन सिंह बे
4. श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले'
5. श्री ए. गणेशमूर्ति
6. श्री कनकमल कटारा
7. श्री अबू ताहेर खान
8. श्री मोहन मंडावी
9. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू
10. श्री देवजी पटेल
11. श्रीमती शारदा अनिल पटेल
12. श्री बी. बी. पाटील
13. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील
14. श्री विनायक भाऊराव राऊत
15. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी
16. श्री राजीव प्रताप रूडी
17. श्री मोहम्मद सादिक
18. श्री वीरेन्द्र सिंह
19. श्री वी. के. श्रीकंदन
20. श्री मुलायम सिंह यादव
21. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

22. श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा
23. श्री कैलाश सोनी
24. श्री राम नाथ ठाकुर
25. श्री वाइको
26. श्री हरनाथ सिंह यादव

@27. रिक्त

@28. रिक्त

@29. रिक्त

30. रिक्त
31. रिक्त

***** दिनांक 23.11.2021 के पैरा संख्या 3293, समाचार भाग - दो के द्वारा कृषि संबंधी स्थायी समिति का नाम बदलकर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति कर दिया गया है।

@ श्री प्रताप सिंह बाजवा, सांसद राज्य सभा दिनांक 21.03.2022 से राज्य सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे; सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा, सांसद राज्य सभा, 09.04.2022 से राज्यसभा से उनकी सेवानिवृत्ति के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे और श्री सुरेन्द्र सिंह नागर, सांसद राज्य सभा, 04.07.2022 से राज्यसभा से उनकी सेवानिवृत्ति के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे।

सचिवालय

1.	श्री शिव कुमार	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री सुन्दर प्रसाद दस	-	निदेशक
3.	श्री प्रेम रंजन	-	उप सचिव
4.	सुश्री दिव्या राय	-	सहायक कार्यकारी अधिकारी

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति(2022-23)की संरचना

श्री पी. सी. गद्दीगौडर- सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अफजाल अनसारी
3. श्री होरेन सिंह बे
4. श्री ए. गणेशमूर्ति
5. श्री कनकमल कटारा
6. श्री अबू ताहेर खान
7. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
8. श्री मोहन मण्डावी
9. श्री देवजी मनसिंहराम पटेल
10. श्रीमती शारदा अनिलकुमार पटेल
11. श्री भीमराव बसवंतराव पाटील
12. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील
13. श्री विनायक भाऊराव राऊत
14. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी
15. श्री राजीव प्रताप रूडी
16. मोहम्मद सादिक
17. श्री देवेन्द्र सिंह (ऊर्फ) भोले सिंह
18. श्री वीरेन्द्र सिंह
19. श्री वी. के. श्रीकंदन
20. श्री राम कृपाल यादव
*21. रिक्त

राज्य सभा

22. श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा
23. श्री मस्थान राव बीडा
24. डॉ. अनिल सुखदेवराओ बोंडे
25. श्री एस. कल्याणसुन्दरम
26. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
27. श्री कैलाश सोनी
28. श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला
29. श्री राम नाथ ठाकुर
30. श्री वाइको
31. श्री हरनाथ सिंह यादव

* दिनांक 14.10.2022 के बुलेटिन- भाग II, पैरा संख्या 5316 द्वारा 10.10.2022 को श्री मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण रिक्त ।

(v)

सचिवालय

1.	श्री शिव कुमार	-	अपर सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक
4.	श्री प्रेम रंजन	-	उप सचिव
5.	सुश्री दिव्या राय	–	सहायक कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) से संबंधित विषय 'देश में पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु टीकों की उपलब्धता की स्थिति' पर कृषि संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई संबंधी **पैंतालीसवां** प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) से संबंधित विषय 'देश में पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु टीकों की उपलब्धता की स्थिति' पर कृषि संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) को दिनांक 10.08.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया। प्रतिवेदन से संबंधित की गई कार्रवाई टिप्पणियाँ दिनांक 24.11.2021 को प्राप्त हुईं।

3. प्रतिवेदन को समिति की 15.11.2022 को हुई बैठक में विचारोपरांत स्वीकार किया गया।

4. समिति के तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण **परिशिष्ट** में दिया गया है।

नई दिल्ली;
06 दिसम्बर,2022
15 अग्रहायण,1944(शक)

पी. सी. गद्दीगौडर
सभापति,
कृषि,पशुपालन और खाद्य
प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

अध्याय – एक

प्रतिवेदन

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय(पशुपालन और डेयरी विभाग) से संबंधित 'देश में पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थिति और पशु वैक्सीन की उपलब्धता' विषय पर कृषि संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है, जिसे 10 अगस्त, 2021 लोकसभा में को प्रस्तुत किया गया और राज्यसभा के पटल पर रखा गया था।

1.2 मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) ने प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 29 टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी उत्तर प्रस्तुत किए हैं। इन उत्तरों की जांच की गई है और तत्पश्चात् इन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:-

(i) टिप्पणियां/ सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

सिफ़ारिश पैरा सं. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28 और 29

कुल 18

अध्याय - II

(ii) टिप्पणियां/ सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती:

सिफ़ारिश पैरा सं. शून्य

कुल 00

अध्याय – III

(iii) टिप्पणियां/ सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं:

सिफ़ारिश पैरा सं. 1, 3, 5, 19 और 25

कुल 05
अध्याय – IV

(iv) टिप्पणियां/ सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं :
सिफ़ारिश पैरा सं. 11, 13, 14, 15, 22 और 23

कुल 06
अध्याय - V

1.3 समिति चाहती है कि सरकार द्वारा स्वीकृत टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन को अत्यधिक महत्व दिया जाए। जिन मामलों में सिफारिशों को किसी भी कारण से अक्षरश: लागू करना विभाग के लिए संभव न हो, ऐसे मामलों के बारे में कार्यान्वयन न किए जाने के कारणों के साथ समिति को सूचित किया जाए। समिति चाहती है कि प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय- पांच में निहित टिप्पणियों/सिफारिशों पर आगे की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पण उन्हें शीघ्र भेजे जाएं।

1.4 समिति अब आगे के पैराग्राफ में कुछ टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करेगी।

क. <u>पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण संबंधी योजना (एलएच एंड डीसी)</u>

(सिफ़ारिश सं. 1)

1.5 समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"समिति इस बात को नोट करती है कि पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (एल एच एंड डी डीसी) संबंधी योजना को केंद्र और राज्यों के बीच 60: 40 (पूर्वोतर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100%) के वित्तपोषण पैटर्न के साथ पशु रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय हिस्सेदारी के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था। हालांकि, समिति वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक एल

एच एंड डी डीसी योजना के तहत प्रस्तावित बीई और आवंटिट बजट के आंकड़ों के बीच भारी अंतर को नोट करके चिंतित है। 1553.03 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आवंटन की तुलना में विभाग को वर्ष 2017-18 में बीई चरण में मात्र 298.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और बीई चरण में भारी कमी का यह रुझान 909.39 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि की तुलना में 370.00 करोड़ रुपये के आवंटित बीई सहित वर्ष 2021-22 तक जारी रहा है। इसके अलावा, संअ चरण में आवंटित निधियों को वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक कम कर दिया गया था। विभाग को आवंटित निधियों के कुल प्रतिशत व्यय जो वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक लगातार 98 प्रतिशत से अधिक रहा है, पर संतोष व्यक्त करते हुए समिति असंतोष के साथ यह नोट करती है कि एल एच एंड डी सी योजना के कुछ उप-घटकों के तहत वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान किसी भी समय कोई वित्तीय प्रगति नहीं हुई है तथा भौतिक उपलब्धियों भी शून्य रही हैं।

समिति यह नोट करने के लिए विवश है कि व्यावसायिक कार्यक्षमता विकास (पीईडी), राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली (एनएडीआरएस) और क्लासिकल स्वाइन फीवर कंट्रोल प्रोग्राम (सीएसएफ-सीपी) संबंधी उप-घटक वर्ष 2020-21 के लिए शून्य आवंटन दर्शाते हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसएफ-सीपी के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में सूअरों को टीकाकरण खुराक के संबंध में वास्तविक लक्ष्यों की शून्य उपलब्धि और वर्ष 2015-16,2016-17 और 2020-21 के दौरान भी पीईडी के तहत आयोजित शून्य प्रशिक्षण समिति की नाराजगी को और बढ़ा देते हैं। समिति ने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को नोट करते हुए पूरी तरह से निराशा व्यक्त की है कि वर्ष 2017-18 और 2020-21 के दौरान एल एच एंड डी सी योजना के मौजूदा पशु चिकित्सालयों/औषधालयों (ईएसवीएचडी) उप-घटक की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के तहत किसी पशु चिकित्सालय/औषधालय को सुदृढ़ या स्थापित नहीं किया गया था और वर्ष 2015-16 और 2017-18 के दौरान नेशनल प्रोजेक्ट ऑन रिंडरपेस्ट सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग (एनपीआरएसएम) संबंधी उप-घटक के तहत गांव/स्टॉक मार्गों की खोज के संबंध में कोई उपलब्धियां हासिल नहीं की

गई। जबकि एल एच एंड डी सी योजना के संबंध में विभाग का व्यय पैटर्न समग्रता में, आवंटित निधियों के लगभग 100% उपयोग को दर्शाता है तथा उपरोक्त उप-घटकों के तहत वित्तीय प्रगति और वास्तविक उपलब्धियों की स्थिति समिति की गंभीर चिंताएं बढ़ाती है। विभाग के इस तरह के भ्रामक दृष्टिकोण को नकारात्मक नजरिये से देखते हुए समिति इस बात की प्रबल इच्छा व्यक्त करती है कि अभी तक एल एच एंड डी सी उप-घटकों के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए और विभाग को यह सिफारिश करती है कि वह जमीनी स्तर पर योजना उप-घटकों के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में स्थिति का जायजा भी लें। बीई चरण में इस योजना के तहत भारी कटौती के मुद्दे के संबंध में समिति वित्त मंत्रालय से विभाग द्वारा प्रत्याशित प्रस्तावित आवंटन को ध्यान में रखने और इस विभाग की आवश्यकताओं के अनुरुप निधि आवंटन करने की सिफारिश करती है ताकि महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों हेतु निधियों के अभाव में परेशानी न हो। समिति इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही और उसमें की गई प्रगति से अवगत होना चाहती है।"

1.6 विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार कहा है :-

"विभाग, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वार्षिक कार्य योजनाओं या प्रस्तावों की प्राप्ति पर, बजटीय निधियों को जारी करने के लिए निर्धारित तकनीकी दिशानिर्देशों के अनुसार उनका मूल्यांकन करता है। बजट उपयोग/रिलीज राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी कार्य योजनाओं के तहत प्रस्तावित डिलिवरेबल्स, पहले जारी की गई निधियों के उपयोग और निधियों की आवश्यकता पर निर्भर करता है।

इसके अलावा, यह उल्लेख किया जाता है कि 2019-20 तक, एलएच एंड डीसी योजना से अधिकांश धनराशि एफएमडी-सीपी और शेष पीपीआर-सीपी, ब्रुसेला-सीपी, सीएसएफ-सीपी, एएससीएडी, ईएसवीएचडी, एनएडीआरएस, एनपीआरएसएम आदि के लिए आवंटित की गई थी

(सभी पूर्ववर्ती एलएच एंड डीसी योजना के घटक)। हालाँकि, 2019-20 से, दोनों को लेते हुए एलएच और डीसी योजना में से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना एनएडीसीपी बनाई गई थी। एफएमडी-सीपी और ब्रुसेला-सीपी दोनों को इसमें से लेकर फिर, राज्य के हिस्से को जारी करने में अक्सर देरी होती है या राज्य के बजट में गैर-प्रावधान होता है। यह जारी केंद्रीय निधियों के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जो कि वित्त पोषण पैटर्न (हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 60:40 या 90:10) के अनुसार राज्य के हिस्से को जारी करने पर निर्भर करता है।

तदनुसार, वर्ष 2021-22 से, विभाग ने पशुधन और कुक्कुट के रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसरंचना को मजबूत करने के उद्देश्य से पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएचडीसी) योजना को संशोधित किया है। समर्थित प्रमुख कार्यकलापों में दो प्रमुख रोगों, अर्थात् पेस्ट डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स (पीपीआर) और क्लासिकल स्वाइन ज्वर (सीएसएफ) का उन्मूलन और नियंत्रण, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (ईएसवीएचडी-एमवीयू) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण और अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी, आकस्मिक और जूनोटिक पशुधन और कुक्कुट रोगों (एएससीएडी) के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता है। फंडिंग पैटर्न क्रमशः पीपीआर और सीएसएफ के उन्मूलन और नियंत्रण के लिए 100% केंद्रीय सहायता और ईएसवीएचडी के गैर-आवर्ती घटकों के साथ-साथ एएससीएडी के कुछ घटकों के लिए 60:40 या 90:10 है।

संशोधित एलएच एंड डीसी योजना में, अब तक की एलएच एंड डीसी योजना के घटकों जैसे एनएडीआरएस, एनपीआरएसएम और पीईडी को एएससीएडी घटक के साथ मिला दिया गया है। हालांकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ओआईई को रिपोर्ट करने के लिए पहले की तरह, समय-समय पर पशुधन और कुक्कुट रोगों की घटनाओं की रिपोर्ट करना जारी रखेंगे और अब एएससीएडी के एक घटक "रोग निदान प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण'' के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की

जाएगी। आसान और बेहतर रिपोर्टिंग के लिए और डेटा दोहराव से बचने के लिए एनएडीआरएस घटक का आईएनएपीएच के साथ एकीकरण करने के लिए भी विचार किया गया है।"

1.7 वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी) पर योजना के लिए बीई और आरई चरणों में प्रस्तावित बजटीय आवंटन में भारी कटौती को देखते हुए, समिति ने वित्त मंत्रालय को विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि निर्धारित करने से पूर्व प्रस्तावित आवंटन को ध्यान में रखने की सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त, स्कीम के उप-घटक-वार निष्पादन की तुलना में पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच एंड डीसी) स्कीम के 98% के कुल प्रतिशत व्यय का संज्ञान लेते हुए समिति ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के स्तर पर वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में निधियों के लगभग 100% समग्र उपयोग और उप-घटकों के तहत असंतोषजनक निष्पादन के बीच के अंतर पर चिंता व्यक्त की थी। इस संबंध में विभाग से स्पष्टीकरण मांगते हुए समिति ने विभाग से योजना के उप-घटकों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। अपने की गई कार्रवाई उत्तर में विभाग ने पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (एलएच एंड डीसी) योजना में संशोधन तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करने की प्रक्रिया के बारे में भी सूचित किया है। तथापि, जैसा कि उत्तर से प्रतीत होता है, विभाग आबंटित निधियों का लगभग 100% उपयोग दर्शाने के बावजूद स्कीम उप-घटकों के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि न होने के बारे में कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहा है। विभाग ने बजट अनुमान और संशोधित अनुमान चरणों में प्रस्तावित आबंटन में भारी कटौती के संबंध में वित्त मंत्रालय की प्रतिक्रिया के बारे में समिति को अवगत नहीं कराया है। विभाग के इस आधे-अधूरे प्रयास पर असंतोष व्यक्त करते हुए समिति चाहती है कि आवंटित निधियों के व्यय और योजना के उप-घटकों के तहत निर्धारित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के बीच असंगति को समझाया जाए और आवंटन के बजट अनुमान और संशोधित

अनुमान चरणों में निधियों में कमी के संबंध में वित्त मंत्रालय की प्रतिक्रिया से भी अवगत कराया जाए।

ख. <u>देश में पशु चिकित्सा अवसंरचना की स्थिति</u>

(सिफ़ारिश सं. 3)

1.8 समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"समिति आगे यह नोट करती है कि हालांकि देश में प्रति पशु चिकित्सा संस्थान गांवों की औसत संख्या 2018-19 तक 9.86 थी, लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए ऐसे आंकड़ों पर नजर डालें तो एक अलग तस्वीर का पता चलता है। झारखंड में प्रति इकाई पशु चिकित्सा संस्थान में 36.3 गांव हैं, मेघालय मे प्रति पशु चिकित्सा इकाई 28.5 गांव हैं जबकि असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रति पशु चिकित्सा इकाई क्रमशः 21.6, 20.2 और 18.2 गांव हैं। इसके अलावा, 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग (एनसीए) की सिफारिश के अनुसार, वर्ष 2000 तक 5000 पशु इकाइयों के लिए कम से कम एक पशु चिकित्सक/ संस्था होनी चाहिए। एनसीए की सिफारिश के अनुसार देश में पशुधन की वर्तमान आबादी 535.78 मिलियन है, अतः वर्तमान संख्या 65,894 के विपरीत देश में लगभग 107,156 पशु चिकित्सा संस्थानों की आवश्यकता है। जाहिर है, पशुधन की आबादी में घातीय वृद्धि देश में पशु चिकित्सा देखभाल की पेशकश करने वाले केंद्रों की संख्या से कहीं अधिक है। पशु चिकित्सा अवसंरचना में इस अपर्याप्तता से न केवल पशुधन की गुणवत्ता और सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम भावी लाभार्थियों तक पहुंचने में प्रभावित होते हैं, बल्कि पशुधन क्षेत्र की विकास क्षमता भी बाधित होती है तथा इस प्रकार इसके आर्थिक परिणाम को कम कर देती है। देश में पशु चिकित्सा अवसंरचना में इस भारी कमी को नोट करके निराश होते हुए

समिति विभाग को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के साथ सहयोग से सख्त उपायों को अपनाने की पुरजोर सिफारिश करती है, जिसका उद्देश्य न केवल सूक्ष्मस्तर पर बल्कि प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में प्रति इकाई पशु चिकित्सा संस्थान में गावों के संदर्भ में माइक्रोस्तर पर भी पशु चिकित्सा संस्थानों की संख्या में बढ़ोत्तरी करना है और देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक बहु-विशेषता पशु चिकित्सा अस्पताल अपेक्षित है। समिति द्वारा उजागर किए गए सभी उपरोक्त मुद्दों से निपटने के लिए विभाग द्वारा तैयार की गई समयसीमा के साथ-साथ कार्य योजना से समिति अवगत होना चाहती है।"

1.9 विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार कहा है:-

"पशुपालन राज्य का विषय है। हालांकि, पर्याप्त पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों में पशु चिकित्सा अवसरंचना को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी) योजना के एक घटक के रूप में, "पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और विद्यमान का सुदृढ़ीकरण" (ईएसवीएचडी) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को निधियां प्रदान की हैं जहां राज्य की कार्य योजना और पहले जारी किए गए धन के उपयोग के आधार पर निधियां जारी की गई थीं। राज्य सरकारें संबंधित राज्यों में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल के लिए अवसंरचना और आवश्यक योग्य जनशक्ति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। देश में पशु चिकित्सा पेशेवरों के साथ-साथ पशु चिकित्सा अवसंरचना की मांग और उपलब्धता के बीच के अंतर को पाटने के लिए, राज्यों को लगातार अपनी पशु चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करने की सलाह दी जाती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाओं के संशोधित और पुनर्गठित घटक जिसमें रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसे पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी) कार्यक्रम के रूप में नाम दिया गया है, में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (ईएसवीएचडी-एमवीयू) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के घटक शामिल हैं। एमवीयू

क्लीनिकल निदान, उपचार, टीकाकरण, मामूली सर्जिकल हस्तक्षेप आदि में सहायता करेंगी और साथ ही उन्हें दूर-दराज के क्षेत्रों में भी किसानों/पशु मालिकों को उनके द्वार पर विस्तार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किया जाएगा। प्रारंभ में, प्रति 1 लाख पशुओं पर एक एमवीयू की दर से लगभग 5000 एमवीयू के लिए केंद्र से निधियन किया जाएगा। संशोधित एलएच और डीसी योजना 2021-22 से 2025-26 तक लागू होगी।"

1.10 देश में पशु चिकित्सा अवसंरचना में कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए समिति ने विभाग को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से पशु चिकित्सा संस्थानों को सुदृढ़ करने और देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक मल्टी-स्पेशियलिटी पशु चिकित्सालय स्थापित करने के लिए सख्त उपाय करने की सिफारिश की थी। विभाग ने अपने की गई कार्रवाई संबंधी उत्तर में बताया कि पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी) पर संशोधित और पुनर्गठित योजना में ' पशु चिकित्सालयों और औषधालयों - मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों' (ईएसवीएचडी-एमवीयू) की स्थापना और विद्यमान का सुदृढ़ीकरण शामिल हैं, जिसका उद्देश्य दूर-दराज के क्षेत्रों में भी पशुपालकों को पशु चिकित्सा सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी प्रदान करना है। विभाग ने आगे जवाब दिया है कि शुरू में, प्रति 1 लाख पशुओं पर एक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई (एमवीयू) को केंद्र द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा जिस निधि से लगभग 5000 एमवीयू के लिए वित्त पोषण किया जाना है और संशोधित एलएच और डीसी योजना 2021-22 और 2025-26 के बीच लागू होगी। हालांकि, विभाग देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक मल्टी स्पेशियलिटी पशु चिकित्सालय की स्थापना के संबंध में समिति की सिफारिश पर मौन रहा है। बेहतर पहुंच के साथ पशुपालकों को विशेषज्ञ और सस्ती पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, समिति ने विभाग की चुप्पी को अस्वीकार किया है और इच्छा व्यक्त की कि विभाग एक समय सीमा तैयार करके देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक मल्टी-

स्पेशियलिटी पशु चिकित्सालय की उपस्थिति सुनिश्चित करने की दिशा में काम करे। समिति इस संबंध में उठाए गए कदमों और हुई प्रगति से अवगत होना चाहेगी।

ग. <u>पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों (ईएसवीएचडी) की स्थापना और विद्यमान का सुदृढ़ीकरण</u>

(सिफ़ारिश सं. 5)

1.11 समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु संसाधनों में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरयूडीएफ) तथा एमपीएलएडी फंड के साथ ईएसवीएचडी उप-घटक के तहत निधियों में सामंजस्य स्थापित करने के संबंध में विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए समिति को यह लगता है कि विभाग द्वारा अत्यधिक नाजुक हालात वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पहचान किये जाने की बात पर ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता है ताकि उक्त व्यवस्था के तहत पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए निधियां प्राप्त करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। आरकेवीवाई- राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति (आरकेवीवाई-एसएलएससी) के तहत प्रस्तावों के लिए 1636.70 करोड़ रुपये जारी किए जाने की बात को मानते हुए समिति इस बात पर ध्यान देने के लिए विवश है कि जनवरी,2019 में पशु चिकित्सा अवसंरचना की अत्यधिक कमी वाले 10 राज्यों में से केवल 7 ने ही ऐसी निधियॉं प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। शेष तीन राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में क्रमशः 82.7%, 57.9% और 54.3% प्रतिशत कमी देखी गई है, जिसमें जनवरी, 2019 में 10 राज्यों में से गुजरात सबसे अधिक पशु चिकित्सा अवसंरचना संबंधी कमी वाला राज्य है। समिति का मानना है कि पशु चिकित्सा अवसंरचना और सेवाओं में इतनी अधिक कमी न केवल इन राज्यों के

पशुधन क्षेत्र की गुणवत्ता और उत्पादन में बाधा उत्पन्न करती है अपितु व्यक्तिगत पशुधन मालिकों को पशुओं, कुक्कुटों और अन्य पशुधन स्वास्थ्य, देखभाल और रखरखाव के संबंध में उन्हें बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित करती है, साथ ही उन्हें अपनी उत्पादन क्षमता का भली प्रकार उपयोग करने के अवसर से वंचित करती है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि राज्यों और केंद्रों को न केवल निधियों संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सकारात्मक सुद्दढ़ीकरण के उपाय किए जाएं अपितु आवश्यक पशु चिकित्सा अवसंरचना को उन्नत करने अथवा इन्हें स्थापित करने के लिए सर्वोत्तम संभव तरीके से इनका उपयोग भी किया जाए। समिति को इस दिशा में विभाग द्वारा किए गए कार्यों और प्रगति से अवगत कराया जाए।"

1.12 अपने की गई कार्रवाई उत्तर में विभाग ने निम्नानुसार कहा है:-

"सिफारिशों और टिप्पणियों को नोट किया गया है।

विभाग आबंटित निधियों का ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ मामले को आगे बढ़ा रहा है। राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/राज्य सरकारों के साथ लंबित उपयोग प्रमाणपत्रों को परिनिर्धारित (लिक्विडेट) करने और वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निधियां जारी करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए समीक्षा बैठकों के माध्यम से लगातार अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। आरकेवीवाई (सामान्य) के तहत प्रस्तावों के मामले में, यह राज्यों पर निर्भर है कि वे पशु चिकित्सा अवसंरचना के लिए अपनी वित्त पोषण आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें क्योंकि आरकेवीवाई के तहत निधियां कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू) द्वारा जारी की जाती हैं। इसके अलावा, राज्य कृषि विभाग अक्सर इस योजना के तहत पशु चिकित्सा अवसंरचना के बजाय अपनी प्राथमिकताओं के लिए निधियां सृजित करते हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान, राजस्थान को अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए 1852.53 लाख रुपये की निधियां जारी की गई थीं। आरकेवीवाई-एसएलएससी के तहत आगे इस वर्ष 2021-22 के दौरान, विभिन्न राज्यों के लिए 434.906 करोड़ रुपये के प्रस्तावों की सिफारिश की गई है, जिसमें आंध्र प्रदेश के लिए 93.95 करोड़ रुपये, बिहार के लिए 8.5 करोड़ रुपये, छतीसगढ़ के लिए 10.24 करोड़ रुपये, गोवा के लिए 14.91 करोड़ रुपये, गुजरात के लिए 19.38 करोड़ रुपये, हरियाणा के लिए 21.58 करोड़ रु., हिमाचल प्रदेश के लिए 6.71 करोड़ रुपये, कर्नाटक के लिए 12.00 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र के लिए 10.30 करोड़ रुपये, पंजाब के लिए 30.52 करोड़ रुपये, राजस्थान के लिए 2.59 करोड़ रुपये, तमिलनाडु के लिए 5.15 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश के लिए 39.63 करोड़ रु., पश्चिम बंगाल के लिए 48.31 करोड़ रु., अरुणाचल प्रदेश के लिए 93.30 करोड़ रु., असम के लिए 6.36 करोड़ रु., मिजोरम के लिए 1.81 करोड़ रु., नागालैंड के लिए 0.066 करोड़ रु., सिक्किम के लिए 2.03 करोड़ रू., त्रिपुरा के लिए 7.57 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके साथ ही, विभाग ने आरकेवीवाई-पशु स्वास्थ्य उप-योजना के तहत वर्ष 2021-22 के दौरान कुत्तों के टीकाकरण द्वारा कैनाइन-रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के लिए विभिन्न राज्यों को 254.64.00 करोड़ रुपये भी आवंटित किए। जिसमें आंध्र प्रदेश के लिए 62.26 करोड़ रु. कर्नाटक के लिए 150.06 करोड़ रु. और असम के लिए 42.32 करोड़ रुपये शामिल हैं।

विभाग ने एलएच और डीसी योजना के तहत घटकों को संशोधित किया है ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पशु रोगों को नियंत्रित करने और प्रति लाख पशुओं पर 1 एमवीयू के माध्यम से पशु चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए केंद्रित तरीके से सहायता प्रदान की जा सके, जिससे पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुंच को काफी हद तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब तक, महाराष्ट्र को उसकी आवश्यकता के अनुसार, वर्ष 2021-22 में 80 एमवीयू के लिए निधियां प्रदान की गई हैं।"

1.13 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आरआईडीएफ) के साथ एलएच एंड डीसी योजना के मौजूदा पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों (ईएसवीएचडी) उप-घटक की स्थापना और सुदृढ़ीकरण और पशु चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि के लिए एमपीलैड निधियों के तहत धन के संयोजन के संबंध में विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए, समिति ने इस तथ्य पर चिंता व्यक्त की थी कि दस प्रमुख पशु चिकित्सा अवसंरचना की कमी वाले राज्यों में से तीन राज्यों अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, आरकेवीवाई-राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (आरकेवीवाई-एसएलएससी) के तहत धन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विफल रहे थे। परिणामस्वरूप, समिति ने विभाग को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से न केवल निधियों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करने के तरीके तैयार करने की सिफारिश की थी, बल्कि आवश्यक पशु चिकित्सा अवसंरचना के उन्नयन या स्थापना के लिए सर्वोत्तम संभव तरीके से इनका उपयोग करने की भी सिफारिश की थी। विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में सूचित किया है कि वर्ष 2021-22 के दौरान आरकेवीवाई-एसएलएससी के तहत विभिन्न राज्यों के लिए 434.906 करोड़ रुपये के प्रस्तावों की सिफारिश की गई है, जिसमें गुजरात के लिए 19.38 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र के लिए 10.30 करोड़ रुपये और अन्य राज्यों में राजस्थान के लिए 2.59 करोड़ रुपये शामिल हैं। तथापि, विभाग ने यह भी कहा है कि आरकेवीवाई (सामान्य) के अंतर्गत प्रस्तावों के मामले में पशु चिकित्सा अवसंरचना के लिए अपनी निधियन आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना राज्यों पर निर्भर करता है क्योंकि आरकेवीवाई के अंतर्गत निधियां कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू) से जारी की जाती हैं और राज्य कृषि विभाग अक्सर पशु चिकित्सा अवसंरचना के बजाय अपनी प्राथमिकताओं के लिए इस स्कीम के अंतर्गत निधियां जुटाते हैं। विभाग के उत्तरों पर चिंता व्यक्त करते हुए समिति ने दोहराया कि विभाग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को न केवल धन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए

सकारात्मक सुदृढीकरण के उपायों को नियोजित करने की दिशा में काम करता है, बल्कि आवश्यक पशु चिकित्सा बुनियादी ढांचे को अपग्रेड या स्थापित करने के लिए सर्वोत्तम संभव तरीके से इनका उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। समिति प्रस्तावित राशि के उपयोग और पशु चिकित्सा अवसंरचना की स्थापना के संबंध में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई और की गई प्रगति से भी अवगत होना चाहेगी।

घ. <u>भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) और पशु चिकित्सा</u>

(सिफ़ारिश सं. 14)

1.14 समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"भारतीय पशु चिकित्सा परिषद और राज्य पशु चिकित्सा परिषदों के कामकाज में अपर्याप्त स्वायत्तता और संसाधनों की कमी की समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए समिति का मानना है कि वीसीआई और एसवीसी के सदस्यों के रूप में फील्ड पशु चिकित्सकों, शिक्षाविदों और तकनीकी विशेषज्ञों की उपस्थिति से इन निकायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो सकेगा और स्थितियों का समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा सकेगा, और इस प्रकार उन्हें और अधिक कुशलता से कार्य करने में मदद मिलेगी। समिति इस बात पर असंतोष महसूस करती है कि विभाग परिषदों के भीतर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव कराने से आगे नहीं बढ़ पाया है। यद्यपि विभाग ने अपने लिखित उत्तरों में पशु चिकित्सा सेवाओं को प्रदान करने में वीसीआई और एसवीसी की अधिक भागीदारी, पशु चिकित्सा शिक्षा के सामंजस्य विशेषकर परा-पशु चिकित्सकों के लिए और धन की सोर्सिंग आदि से संबंधित मुद्दों को समयबद्ध तरीके से हल करने का आश्वसान दिया है, लेकिन इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। समिति देश में परा-पशु चिकित्सकों के नियमन के लिए समर्पित सुविधा या वैकल्पिक निकाय की कमी से भी अप्रसन्न है। इसलिए समिति विभाग को वीसीआई और एसवीसी से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए

एक रूपरेखा तैयार करने की दिशा में काम करने की सिफारिश करते हुए, वीसीआई के भीतर या वैकल्पिक निकाय के रूप में एक क्षमता के रूप में स्थापित करने के लिए एक ढांचा तैयार करने के साथ देश में परा-वेटनरी पेशेवरों के नियंत्रक और पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए एक नियामक लाये। समिति इन क्षेत्रों में विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयों और प्रगति से अवगत होना चाहेगी।"

1.15 विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार कहा है:-

"वीसीआई और राज्य पशु चिकित्सा परिषदों के साथ-साथ कुछ राज्य प्रशासनिक विभागों ने परा-पशु चिकित्सकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और सेवा शर्तों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है। वीसीआई ने परा-पशु चिकित्सकों और लघु पशु चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक रोड मैप का प्रारूप तैयार करने के लिए पहले ही एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं और अनुपालन के लिए संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। यह आशा की जाती है कि परा-पशु चिकित्सा पेशेवरों की भूमिका पर उचित स्तरों पर विधिवत विचार किया जाएगा।"

1.16 भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) और राज्य पशु चिकित्सा परिषदों (एसवीसी) के सदस्यों के रूप में क्षेत्र के पशु चिकित्सकों, शिक्षाविदों और तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने, अपर्याप्त स्वायत्तता और संसाधनों की कमी की समस्याओं को हल करने, इन निकायों और देश में परा-पशु चिकित्सकों के नियमन के लिए एक समर्पित सुविधा की कमी को दूर करने के लिए, समिति ने विभाग को वीसीआई और एसवीसी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक रोडमैप का प्रारूप तैयार करने, और साथ ही वीसीआई के भीतर एक क्षमता के रूप में या एक वैकल्पिक निकाय के रूप में, देश में परा-पशु चिकित्सा पेशेवरों के शासी और पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए एक नियामक स्थापित

करने की सिफारिश की थी। विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में सूचित किया है कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) ने परा-पशु चिकित्सकों और लघु पशु चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक रोडमैप का प्रारूप तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और परा-पशु चिकित्सा पेशेवरों की भूमिका पर उचित स्तर पर विचार किया जाएगा और तैयार किए जा रहे आवश्यक दिशानिर्देशों के बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। समिति देश में परा-पशु चिकित्सकों की सेवा शर्तों के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों से अवगत होना चाहती है। तथापि, समिति वीसीआई और एसवीसी से संबंधित मुद्दों के समाधान और देश में परा-पशु चिकित्सा पेशेवरों के शासी और पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए एक विनियामक स्थापित करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की उनकी सिफारिशों पर विभाग की चुप्पी से असंतुष्ट है। इसलिए समिति की इच्छा है कि विभाग उपर्युक्त मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करे और उन्हें अंतिम परिणाम से अवगत कराया जाए।

ङ. <u>ईथनो-वेटनरी मेडिसिन (ईवीएम)</u>

(सिफ़ारिश सं. 15)

1.17 समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"समिति को यह नोट करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पशुओं में बीमारियों के प्रबंधन के लिए स्वदेशी औषधीय ज्ञान के उपयोग को विभाग द्वारा बीवीएससी और एएच स्नातक पाठयक्रम के एक भाग के रूप में एथनो-वेटनरी मेडिसिन (ईवीएम) के नाम से एक अलग पाठयक्रम के रूप में अपनाया जा रहा है। पशु चिकित्सा की इस शाखा में पशुधन और पोल्ट्री की सामान्य बीमारियों के लिए सरल और वहनीय उपचार प्रदान करके पशुधन मालिकों को आर्थिक नुकसान को रोकने की क्षमता है और इस प्रकार दवा के अति उपयोग और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) की घटनाओं को कम करती है। स्थानीय भाषाओं में सोशल मीडिया

पुस्तिकाओं और पोस्टरों के माध्यम से ईवीएम की अवधारणा के प्रचार-प्रसार में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के प्रयासों की सराहना करते हुए समिति पशु चिकित्सा विज्ञान में इस विषय को औपचारिक रूप देने के लिए आयुष मंत्रालय और एनडीडीबी के सहयोग से एक समिति बनाने के विभाग के प्रयासों की भी सराहना करती है। साक्ष्य के दौरान विभाग के प्रतिनिधि ने समिति को पशुधन और कुक्कुट पालकों को शिक्षित करने के लिए एक ई-गोपाला ऐप शुरू करने के बारे में बताया ताकि पशुओं में सामान्य बीमारियों की पहचान की जा सके और उसे सरल तथा प्रभावी उपचार द्वारा ठीक किया जा सके। पशुओं में रोगों के प्रबंधन के वहनीय तरीकों को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग के प्रयासों का संज्ञान लेते हुए, समिति पशुधन और कुक्कुट पालन में रोगाणुरोधी प्रतिरोध को रोकने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ पशु चिकित्सा विज्ञान में एथनो-पशु चिकित्सा पद्धतियों के विचार को सुगम बनाने की दिशा में की गई प्रगति और विनियमों के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखती है। समिति इस दिशा में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।"

1.18 विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार कहा है::-

"बीवीएससी और एएच स्नातक पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में ईथनो पशुचिकित्सा औषधि चिकित्सा (ईवीएम) की अवधारणा को वीसीआई द्वारा अच्छी तरह से लिया गया है। इस विषय को स्नातक स्तर पर अध्ययन कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में विचार करने के प्रावधान करने के लिए परिषद में इस मामले पर विचार किया जाएगा। एक "उपयुक्त पाठ्यक्रम मॉड्यूल" विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ सहयोग करने का भी पता लगाया जाएगा, जिसे पशु चिकित्सा संस्थानों में खोजा जा सकता है।"

1.19 स्वदेशी औषधीय ज्ञान की अवधारणाओं को एक अलग पाठ्यक्रम के रूप में प्रचारित करने में विभाग, आयुष मंत्रालय और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के बीच सहयोग से

– 'एथनो-वेटनरी मेडिसिन (ईवीएम)', और पशु चिकित्सा विज्ञान में इस विधा को औपचारिक रूप देने हेतु एक समिति बनाने के लिए, विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुये, समिति ने पशु चिकित्सा विज्ञान में ईवीएम प्रैक्टिस को सुविधाजनक बनाने के लिए विनियमों के निर्माण के संबंध में हुई प्रगति से अवगत होने की इच्छा व्यक्त की थी। विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में सूचित किया है कि एथनो-पशु चिकित्सा (ईवीएम) को बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंडरी (बी.वी.एससी और ए.एच.) स्नातक पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में आरंभ करने के संबंध में इस विषय को स्नातक स्तर पर अध्ययन कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में विचार करने के लिए प्रावधान करने के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) और आयुष मंत्रालय के साथ सहयोग भी लिया जाए ताकि पशु चिकित्सा संस्थानों के लिए एक 'उपयुक्त पाठ्यक्रम मॉड्यूल' विकसित किया जा सके। समिति ने बीवीएससी एवं ए.एच. के पाठ्यक्रम में ईवीएम को एक विषय के रूप में आरंभ करने के लिए वीसीआई द्वारा विचार-विमर्श और आयुष मंत्रालय के साथ सहयोग के संबंध में विभाग के जवाब को नोट किया है। समिति पशु चिकित्सा संस्थानों में इस पाठ्यक्रम मॉड्यूल को शामिल करने के संबंध में की गई कार्रवाई और विभाग द्वारा की गई प्रगति और इन संस्थानों की प्रतिक्रिया से भी अवगत होना चाहती है।

च. <u>पशु चिकित्सा अनुसंधान</u>

(सिफ़ारिश सं. 19)

1.20 समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"समिति ने यह नोट किया है कि पशु चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान ज्यादातर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई), इज्जतनगर, यूपी द्वारा आईसीएआर संस्थानों और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों या कृषि विश्वविद्यालयों से संबद्ध पशु चिकित्सा कॉलेजों के

साथ किया जाता है। विभाग ने यह भी सूचित किया कि एलएच एंड डी सी योजना के पीईडी उप-घटक के तहत भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पशु चिकित्सा परिषदों (एसवीसी) को उनकी स्थापना, प्रशासन की लागत और वीसीआई, एसवीसी के लिए सतत पशु चिकित्सा शिक्षा (सीवीई) के लिए और राज्य पशु चिकित्सा/कृषि विश्वविद्यालयों के लिए भी निधियां प्रदान की जाती हैं। तथापि, समिति यह नोट करते हुए चिंतित है कि पशु चिकित्सा सेवा वितरण में सुधार के लिए संगठनों के लिए सहयोग और क्षमता निर्माण के लिए वीसीआई द्वारा पहचाने गए क्षेत्र के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने इस आशय की कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। समिति का मानना है कि हमारी पशु चिकित्सा सेवाओं में सटीकता और कार्यकुशलता केवल एक मजबूत अनुसंधान आधार पर सुनिश्चित की जा सकती है और इसके लिए न केवल सरकार की ओर से गंभीर प्रयासों की आवश्यकता होगी बल्कि अनुसंधान गतिविधियों के लिए स्थित वित्तीय सहायता के साथ-साथ शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी की भी आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले पहचान किए गए विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 5 वर्षों से अधिक समय में 50,000 करोड़ रुपये की बजट घोषणा पर भारत सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए समिति का मानना है कि विशिष्ट क्षेत्रों में पशु चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान गतिविधियों को शामिल करने से न केवल पशुधन क्षेत्र के विकास और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि देश में 'वन हेल्थ' अवधारण के उदेशों को पूरा करने में भी मद् मिलेगी। इसलिये, समिति विभाग से अकादमिक और क्षेत्र अनुसंधान के क्षेत्र में पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों को प्रोत्साहित करने और सहायता प्रदान करने के लिए सटीक दृष्टिकोण विकसित करने और भारत सरकार के साथ मिलकर राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले विशिष्ट क्षेत्रों के तहत पशु चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को शामिल करने और तदनुसार

वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश करती है। समिति इस दिशा में विभाग द्वारा उठाए गए कदमों और प्रगति से अवगत होना चाहती है।"

1.21 अपनी की गई कार्यवाही उत्तर में विभाग ने निम्नानुसार कहा है :-

"अनुसंधान और शिक्षा आईसीएआर का अधिदेश है। हालांकि, संशोधित एलएच और डीसी योजना के तहत अनुसंधान और नवाचार, प्रचार और जागरूकता, प्रशिक्षण आदि के लिए आईसीएआर संस्थानों/अन्य संस्थानों को 100% वित्तीय सहायता का प्रावधान है। राज्यों को अनुसंधान और नवाचार, प्रचार और जागरूकता, प्रशिक्षण आदि के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार, एएससीएडी के तकनीकी दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

विभाग पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी) के तहत जूनोटिक और अत्यधिक संचारी रोगों सहित रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है। कार्यक्रम राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों को जूनोटिक रोगों सहित आर्थिक महत्व की बीमारियों के नियंत्रण के लिए सहायता प्रदान करता है, जो केंद्रीय कार्यक्रमों के तहत शामिल नहीं हैं। यह एक अधिक लचीला घटक है जिसे बेहतर वैक्सीन कवरेज या समर्थन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में प्रयोग किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में निगरानी और मॉनिटरिंग, रोग निदान प्रयोगशालाओं को मजबूत करना, जैविक उत्पादन इकाई, पशु रोगों के लिए टीकाकरण और पशुओं में विदेशी और उभरती बीमारियों की निगरानी भी शामिल है। इसके अलावा, एफएमडी और ब्रुसेलोसिस (एनएडीसीपी) के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, एफएमडी के अलावा, इसमें ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करने के लिए पशुओं में गहन ब्रुसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप पशुओं और मनुष्यों ,दोनों में रोग का प्रभावी प्रबंधन होगा। विभाग आईसीएआर-एनआईएचएसएडी, भोपाल और आईसीएआर-

निवेदी, बैंगलोर को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो क्रमशः एवियन इन्फ्लुएंजा और ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारी की निगरानी कर रहे हैं।"

1.22 पशु चिकित्सा सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए पशु चिकित्सा विज्ञान में एक मजबूत अनुसंधान आधार को बढ़ावा देने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, समिति ने अकादमिक और क्षेत्रीय अनुसंधान के क्षेत्र में पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए एक सुस्पष्ट दृष्टिकोण विकसित करने और पशु चिकित्सा अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए 'राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों' के तहत पशु चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को शामिल करने हेतु भारत सरकार के साथ इसे उठाने की सिफारिश की थी। विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में संशोधित पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (एलएच एंड डीसी) योजना के तहत अनुसंधान एवं नवाचार, प्रचार एवं जागरूकता, प्रशिक्षण आदि के लिए आईसीएआर संस्थानों/अन्य संस्थानों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता के प्रावधान; पशुओं में एफएमडी और ब्रुसेलोसिस के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रमुख कार्यक्रमों में से एक के रूप में खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी) और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) पर योजना; और आईसीएआर- राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (आईसीएआर-एनआईएचएसएडी), भोपाल और आईसीएआर- राष्ट्रीय पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान और रोग सूचना विज्ञान संस्थान (आईसीएआर-एनआईवीईडीआई), बैंगलोर, को वित्तीय सहायता प्रदान करने के बारे में भी सूचित किया है जो क्रमश एवियन इन्फ्लूएंजा और ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारी की निगरानी में शामिल हैं। तथापि, समिति ने चिंता के साथ नोट किया है कि विभाग देश में पशु चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास की वर्तमान स्थिति पर मौन रहते हुए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पशु चिकित्सा अनुसंधान को शामिल करने के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी उत्तर प्रस्तुत करने में विफल रहा है। विभाग द्वारा की

गई कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त करते हुए समिति ने अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराया कि देश में पशु चिकित्सा विज्ञान में एक मजबूत अनुसंधान एवं विकास संरचना के लिए, विभाग को इस क्षेत्र को राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के तहत शामिल करने के लिए भारत सरकार के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि पशु चिकित्सा अनुसंधान को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। समिति इस संबंध में विभाग द्वारा उठाए गए कदमों और उसके परिणाम से अवगत होना चाहेगी। समिति की सिफारिश पर विभाग द्वारा कार्रवाई न करने के विशिष्ट कारणों से भी समिति अवगत होना चाहती है।

छ. <u>पशु टीकों का निर्माण और उपलब्धता</u>

(सिफ़ारिश सं. 22)

1.23 समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"समिति पशु टीका सहित पशु चिकित्सा जैविक उत्पादन के क्षेत्रों में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और इसकी पूर्णत: अपनी अनुषंगी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड(आईआईएल) के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना करती है। वह देश और विदेश के प्रमुख संस्थानों के साथ इसके अनुसंधान और विकास सहयोग, पशुधन रखने वाले किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और पशु चिकित्सकों के लिए निरंतर पशु चिकित्सा शिक्षा (सीवीई) कार्यक्रम और डेयरी सहकारिताओं के साथ इसके नेटवर्किंग की भी सराहना करती है जो किसानों के दरवाजे पर पशु चिकित्सा और इनपुट सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करती है। समिति पशु टीकों के उत्पादन और विपणन के लिए लाइसेंसिग के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई विस्तृत और सुनिश्चित प्रक्रिया की भी सराहना करती है।

विभाग ने 20 राज्य पशु चिकित्सा जैविक उत्पादन केंद्रों के बारे में बताया है, जो राज्यों के नियंत्रण में हैं और जो टीके का उत्पादन करते हैं। हालांकि, पशु टीके के उत्पादन के क्षेत्र में पूर्ण आत्म-निर्भरता अभी भी बहुत दूर की बात है क्योंकि ब्रुसेलोसिस और क्लासिकल स्वाइन फ्लू के लिए वेक्सीन उत्पादन के मामले में देश में अभी भी कमी बनी हुई है और एफएमडी हेतु थर्मोस्टेबल, लंबी अवधि के प्रतिरक्षा वैक्सीन विकसित करने की भी आवश्यकता है, जिसके लिए अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है। कुछेक स्टेट बायोलोजिल यूनिटों के द्वारा अच्छी उत्पादन पद्धति (जीएमपी) का अनुपालन न किये जाने से यह समस्या और अधिक बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त, साक्ष्य के दौरान विभाग के प्रतिनिधि द्वारा भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि देश में पशु चिकित्सा संबंधी दवाओं की कमी है। समिति का मानना है कि पशुपालन एक राज्य का विषय होने के नाते पशुधन मालिकों के बीच टीकाकरण कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और इसलिए इन पर पशुधन की संख्या और रोग की व्यापकता पर आधारित टीकाकरण योजनाएं तैयार करने की जिम्मेदारी भी है। हालांकि, पशु चिकित्सा औषधियों और पशु टीकों का उत्पादन राज्यों, केंद्रीय एजेंसियों और निजी उत्पादकों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है और देश में अभी भी इनकी कमी मौजूद है और इसलिए यह इनकी उपलब्धता से जुड़ा मुद्दा है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा अपने वास्तविक कार्यनिष्पादन का आकलन करने और केंद्रीय हिस्सेदारी के 60 प्रतिशत की निगरानी के बाद एलएच एंड डीसी जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्यों को धनराशि का केंद्रीय हिस्सा जारी करने का दावा करने के बावजूद, उनके कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली योजनाओं के कार्यनिष्पादन में अभी भी कमियां बनी हुई हैं। ऐसी कमियों पर चिंता व्यक्त करते हुए समिति विभाग को राज्य सरकारों, विनियमित एजेंसियों, निजी उत्पादकों आदि जैसी सभी हितधारकों के साथ स्थिति की अच्छी तरह से समीक्षा करने और प्रशासनिक विलंब, परीक्षण मुद्दों और जीएमपी अनुपालन की समस्याओं के प्रभावी समाधान की दिशा में काम करने की

सिफारिश करती है ताकि देश में पशु टीकों और पशु चिकित्सा दवाओं के उत्पादन और उपलब्धता से संबंधित मुद्दों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। समिति को इस दिशा में की गई पहलों से अवगत कराया जाये। विभाग द्वारा समिति को इस मामले पर संक्षिप्त रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाए।"

1.24 विभाग ने अपले की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार कहा है :-

"विभाग प्रशासनिक देरी, परीक्षण सबंधी मुद्दों और जीएमपी अनुपालन की समस्याओं को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है ताकि देश में पशु टीके और पशु चिकित्सा दवाओं के निर्माण और उपलब्धता से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल किया जा सके।

विभाग ने एनएडीसीपी के साथ-साथ महत्वपूर्ण रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें 100% केंद्रीय सहायता के साथ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण 4 पशु रोगों जैसे एफएमडी, ब्रुसेलोसिस, पीपीआर और सीएसएफ के लिए टीकाकरण की परिकल्पना की गई है। क्षेत्र में टीके भेजने से पहले आईसीएआर द्वारा तैयार एसओपी के अनुसार गुणवत्ता के लिए टीकों का परीक्षण किया जाता है। एसओपी पर भी चर्चा की जाती है और निर्माताओं के साथ तालमेल बिठाने की परिकल्पना की जाती है। इसके अलावा, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने पशु चिकित्सा टीकों/ जैविकीय और दवाओं पर नीतिगत इनपुट हेतु पशु स्वास्थ्य के लिए शक्ति प्राप्त समिति (ईसीएएच) का गठन किया है।"

1.25 पशु वैक्सीन के निर्माण के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता की कमी, कुछ राज्य जैविक इकाइयों द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस (जीएमपी) के अनुपालन में कमी और देश में पशु चिकित्सा औषधियों की कमी के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, समिति ने विभाग को प्रशासनिक देरी, हितधारकों के परामर्श से परीक्षण समस्याओं और जीएमपी अनुपालन के मुद्दों को हल करने की सिफारिश की थी और विभाग से इस मामले पर एक 'संक्षिप्त रिपोर्ट' प्रदान करने के

लिए भी कहा था, जैसा कि साक्ष्य के दौरान विभाग के प्रतिनिधि द्वारा आश्वास्त किया गया था। विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में कहा है कि वह उपरोक्त मुद्दों से निपटने के लिए प्रयास कर रहा है और अपने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) के साथ, पशुओं को चार अत्यंत महत्वपूर्ण पशु रोग यानी, फुट एंड माउथ डिजीज (एफ़एमडी), ब्रुसेलोसिस, पेस्ट डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स (पीपीआर) और क्लासिकल स्वाइन फीवर (सीएसएफ़) के विरुद्ध टीकाकरण प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है। विभाग ने पशु चिकित्सा टीकों/बायोलोजिकल्स और औषधियों पर नीतिगत आदानों के लिए पशु स्वास्थ्य संबंधी अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएएच) के गठन के बारे में भी सूचित किया है।

समिति, हालांकि, विभाग की प्रतिक्रिया से अप्रसन्न है और प्रशासनिक कारणों, परीक्षण संबंधी समस्याओं और जीएमपी का अनुपालन न होने के कारण पशु वैक्सीन और पशु चिकित्सा बायोलोजिकल्स के निर्माण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम जानने की इच्छा रखती है। समिति पशु स्वास्थ्य संबंधी अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएएच) द्वारा पशु चिकित्सा टीकों / बायोलोजिकल्स और औषधियों पर नीतिगत इनपुट के लिए दी गई सिफारिशों से अवगत होना चाहती है और क्या विभाग ने ईसीएएच की सिफारिशों का किसी जमीनी कार्य के स्तर पर अनुपालन किया है। इसके अलावा, समिति विभाग के गंभीर नियंत्रण रोग कार्यक्रम के परिणामों से अवगत होना चाहती है और विभाग से देश में पशु वैक्सीन और पशु चिकित्सा दवाओं की विनिर्माण क्षमता में वृद्धि से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए विभाग की कार्य योजना पर जल्द से जल्द 'संक्षिप्त रिपोर्ट' प्रस्तुत करने का भी आग्रह करती है।

ज. <u>पशु टीके में गुणवत्ता नियंत्रण</u>

(सिफ़ारिश सं. 23)

1.26 समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"समिति नोट करती है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई), इज्जतनगर और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान (सीसीएसएनआईएचए), बागपत देश में पशु चिकित्सा टीकों के परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए नामित केंद्र हैं। हालांकि, ब्रुसेलोसिस और सीएसएफ टीके को छोड़कर पशु टीके के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गई है, फिर भी समिति यह नोट करके चिंतित है कि 20 राज्य पशु चिकित्सा जैविक इकाइयों में से केवल 9 को अच्छे उत्पादन प्रैक्टिस संबंधी (जीएमपी) मानकों के चलते सुदृढ़ किया गया है। इसके अतिरिक्त, अद्वितीय भारतीय ट्राइवेलेंट एफएमडी वैक्सीन की गुणवत्ता परीक्षण एक महंगी और दीर्घावधि प्रक्रिया है। विभाग ने एफएमडी वैक्सीन की थर्मोस्टबिलिटी के अनुसंधान के संबंध में समिति को बताया है और यह उम्मीद की जाती है कि कोल्ड-चेन के व्यवधान से वायरस एंटीजन का नुकसान कम होगा और इसकी शेल्फ-लाइफ और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में वृद्धि होने से वैक्सीन की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। विभाग ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान एफएमडी की सेरो-निगरानी रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी है, जिसमें रोग की कम व्यापकता वाले कई क्षेत्रों में इसके घटने की प्रवृत्ति देखने को मिली है, तथापि यदि वैक्सीन की गुणवत्ता परीक्षण में तेजी नहीं लाई जाती है तो यह एक नुकसानदेह धीमी प्रक्रिया हो सकती है। अत: समिति विभाग को नामित परीक्षण केंद्रों और आईसीएआर में अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने की सिफारिश करती है ताकि वे एफएमडी और अन्य पशु टीकों के लिए तीव्र गुणवत्ता परीक्षण तंत्र विकसित कर सकें जिससे वैक्सीन के अधिक नमूनों का कम समय के भीतर परीक्षण किया जा सके और गुणवत्ता नियंत्रण उपायों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा सके। समिति को इस संबंध में विभाग द्वारा की गई प्रगति से अवगत कराया जाए।"

1.27 विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार कहा है:-

"विभाग की योजना निर्दिष्ट प्रयोगशालाओं (वैक्सीन परीक्षण केंद्रों) के साथ-साथ आईसीएआर संस्थानों में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को सुगम बनाने की है ताकि उन्हें एफएमडी और अन्य पशु टीकों के लिए तीव्र से गुणवत्ता परीक्षण तंत्र विकसित करने में सक्षम बनाया जा सके जिससे कम समय के भीतर टीकों के अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा सके और गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण उपायों का कुशलता से निर्वहन किया जा सके।

उपरोक्त के आलोक में, विभाग ने एफएमडी वैक्सीन के लिए इन-विट्रो परीक्षण प्रोटोकॉल बनाने के लिए पिरब्राइट, यूके की एफएमडी हेतु वर्ड रेफरेंस प्रयोगशाला के साथ सहयोग किया है ताकि कम समय में टीके के अधिक नमूने का परीक्षण किया जा सके और गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण उपायों का कुशलता से निर्वहन किया जा सके।"

1.28 पशु टीकों के गुणवत्ता परीक्षण तंत्र के लिए लगने वाले समय पर चिंता व्यक्त करते हुए और 20 राज्य पशु चिकित्सा जैविक इकाइयों में से केवल 9 को अच्छे विनिर्माण अभ्यास (जीएमपी) मानकों के लिए मजबूत किए जाने के साथ, समिति ने विभाग को नामित परीक्षण केंद्र पर अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने की सिफारिश की थी और आईसीएआर में भी ताकि वे एफएमडी और अन्य पशु टीकों के लिए एक तीव्र गुणवत्ता परीक्षण तंत्र विकसित कर सकें ताकि कम समय के भीतर टीके के अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा सके। विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में सूचित किया है कि वर्ल्ड रेफरेंस लेबोरेटरी फॉर फुट एंड माउथ डिजीज (एफएमडी), पिरब्राइट, यूके के सहयोग से वह एफएमडी वैक्सीन के लिए इन-विट्रो परीक्षण प्रोटोकॉल बनाने के लिए काम कर रहा है ताकि कम समय के भीतर वैक्सीन के अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा सके और गुणवत्ता नियंत्रण उपायों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा सके। समिति ने इस संबंध में विभागों के प्रयासों की सराहना करते हुए सहयोग के अंतिम परिणाम से उन्हें अवगत कराने की इच्छा व्यक्त की और यह भी जानना चाहा कि क्या पशु वैक्सीन के गुणवत्ता परीक्षण में लगने वाले समय को कम करने में कोई सफलता

हासिल की गई है और यह भी कि क्या एफएमडी वैक्सीन की थर्मो-स्थिरता के बारे में अनुसंधान का कोई परिणाम निकला है।

झ. <u>पशुपालन अवसरंचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)</u>
(सिफ़ारिश सं. 25)

1.29 समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"समिति नोट करती है कि पशुपालन अवसरंचना विकास निधि (एआईडीएफ) का 15000 करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है ताकि डेयरी और मांस और पशु चारे और चारे जैसे पशुधन उत्पादों में प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। हालांकि, समिति मानती है कि पशुपालन अवसरंचना विकास निधि का इस्तेमाल पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा सकता है। विभाग ने अक्सर निजी क्षेत्र के निवेशों को आकर्षित करके पशु चिकित्सा सेवाओं को लाभदायक उद्यम बनाने के महत्व के बारे में उल्लेख किया है, जिससे सेवा की रोजगारपरकता में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, पशु चिकित्सा जैविक, अनुसंधान, शिक्षा और बुनियादी ढ़ांचे में निजी क्षेत्र की भागीदारी पशु चिकित्सा दवाओं और पशु टीके के निर्माण, अनुसंधान पहलों के वित्तपोषण, पशु चिकित्सा कॉलेज खोलने, पीपीपी मॉडल के आधार पर मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों में निवेश करने और मौजूदा पशु चिकित्सा अवसरंचना के उन्नयन आदि के संदर्भ में हो सकती है। समिति पशु चिकित्सा सेवाओं में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए एएचआईडीएफ के उपयोग की संभावना से प्रसन्न है और अत:, विभाग को पशु चिकित्सा सेवाओं में पशुपालन अवसरंचना विकास निधि से संसाधनों को नियोजित करने की संभावना का पता लगाने की सिफारिश करती है। समिति को इस संबंध में होने वाले विकास से अवगत कराया जाए।"

1.30 अपने की गई कार्रवाई उत्तर में विभाग ने निम्नानुसार कहा है:-

"सुझावों को नोट किया जाता है। हालांकि, व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और धारा 8 कंपनियों द्वारा (i) डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, (ii) मांस प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन अवसंरचना और (iii) पशु चारा संयंत्र की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) को अनुमोदित किया गया है।

उद्देश्य:

• दूध और मांस प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद की विविधता को बढ़ाने में मदद करना और इस प्रकार असंगठित ग्रामीण दूध और मांस उत्पादकों के लिए संगठित दूध और मांस बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान करना।

• उत्पादक को बढ़ी हुई कीमत उपलब्ध कराना।

• घरेलू उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण दूध और मांस उत्पाद उपलब्ध कराना।

• देश की बढ़ती आबादी के लिए प्रोटीन युक्त गुणवत्तापूर्ण भोजन की आवश्यकता को पूरा करने और विश्व की सबसे अधिक कुपोषित बच्चों की आबादी में से एक में कुपोषण को रोकने के उद्देश्य को पूरा करना।

• उद्यमिता का विकास करना और रोजगार सृजित करना।

• निर्यात को बढ़ावा देना तथा दूध और मांस क्षेत्र में निर्यात योगदान में वृद्धि करना।

उचित मूल्य पर संतुलित राशन उपलब्ध कराने के लिए गोपशु, भैंसों, भेड़ों, बकरियों, सुअरों और पोल्ट्री को गुणवत्तायुक्त सांद्रित पशु आहार उपलब्ध कराना।"

1.31 पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, समिति ने विभाग को इस क्षेत्र में पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) से संसाधनों को नियोजित करने की संभावना का पता लगाने की सिफारिश की थी। तथापि, विभाग अपने की गई कार्रवाई उत्तर में समिति द्वारा प्रस्तुत सुझाव पर कार्य करने में विफल रहा है

और उत्तर में उसने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) के अंतर्गत परिकल्पित उद्देश्यों को केवल पुनः प्रस्तुत किया है। विभाग के इस रवैये से असंतुष्ट समिति महसूस करती है कि पशु चिकित्सा सेवाओं में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए एएचआईडीएफ के उपयोग की भारी गुंजाइश होने के बावजूद, विभाग ने पशु चिकित्सा सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए एएचआईडीएफ के तहत आवंटन का उपयोग करने के तरीकों पर काम करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। इसलिए समिति अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराती है और विभाग से उन तरीकों का पता लगाने का आग्रह करती है जिनसे पशु चिकित्सा सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और इसे सरकार के भीतर उचित स्तर पर उठाने के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि से संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। समिति इस संभावना की दिशा में कार्य करने या सरकार के साथ इस मामले को आगे बढ़ाने में विभाग के समक्ष आ रही बाधाओं से, यदि कोई हो, अवगत होने की भी इच्छा रखती है।

ञ. <u>'वन हेल्थ इनीशिएटिव'</u>

(सिफ़ारिश सं. 27)

1.32 समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"यह देखते हुए कि 'वन हेल्थ' की अवधारणा में पशु स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है, समिति संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, वेब आधारित पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली – एनएडीआरएस, हानिकारक एंटीबायोटिक दवाओं के स्थान पर आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना आदि के बारे में कानून बनाकर विभाग द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकारती है। तथापि, समिति यह महसूस करती है कि जूनोसिस की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने के साथ कार्यक्रमों और नीतियों की भूमिका को अनुकूलित करने के लिए अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वय और सहयोग के संबंध में और अधिक कार्य किए जाने; पशु मूल खाद्य पदार्थों की बेहतर सुरक्षा;

एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर)/एंटी माइक्रोबियल यूज (एएमयू) की रोकथाम और प्रबंधन; मानव स्वास्थ्य पर पोल्ट्री फार्मिंग और पशुधन पालन में दवाओं के अधिक दुरुपयोग के दुष्परिणामों का पता लगाने के लिए अध्ययन करना; पशु कल्याण पर कानून बनाना; और सभी प्रयोगशालाओं में जैव बचाव उपायों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। खाद्य, पशु और जलकृषि में रोगाणुरोधी प्रतिरोध नेटवर्क कार्यक्रम (एएमआर) निगरानी के तहत विभाग द्वारा परिभाषित उद्देश्य मूलत: जूनोसिस की रोकथाम और दवाओं के ओवरडोस के दुष्प्रभावों की दिशा में निर्देशित गतिविधियां हैं। इसलिए समिति विभाग से भारतीय मत्स्यपालन और पशु रोगाणुरोधी प्रतिरोध (आईएफएआर) द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूरी गंभीरता से आगे बढ़ाने की सिफारिश करती है, जबकि विभाग 'वन हेल्थ' अवधारणा के तहत परिकल्पित आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए देश में जूनोटिक रोगों के प्रसार से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए अपने प्रयासों को भी जारी रखे हुए है। समिति को इस दिशा में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।"

1.33 विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार कहा है :-

"विभाग ने 'वन हेल्थ' अवधारणा के तहत परिकल्पित आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए देश में जूनोटिक रोगों के प्रसार से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं।

क) विभाग पशु रोगों के नियंत्रण (एएससीएडी) के लिए राज्यों को सहायता के तहत जूनोटिक और अत्यधिक संचारी रोगों सहित रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है। कार्यक्रम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को जूनोटिक रोगों सहित आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बीमारी, जो केंद्रीय कार्यक्रमों के तहत शामिल नहीं हैं, के नियंत्रण के लिए सहायता प्रदान करता है। कार्यक्रम में निगरानी और मॉनिटरिंग, रोग निदान प्रयोगशालाओं को मजबूत

करना, जैविकीय उत्पादन इकाई, पशु रोगों के लिए टीकाकरण और पशुओं में विदेशी और उभरती हुई बीमारियों की निगरानी भी शामिल है। इसके अलावा, एफएमडी और ब्रुसेलोसिस (एनएडीसीपी) के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, एफएमडी के अलावा, इसमें ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करने के लिए पशुओं में गहन ब्रुसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप पशुओं और मनुष्यों, दोनों में रोग का प्रभावी प्रबंधन होगा। विभाग, आईसीएआर-एनआईएसएडी, भोपाल और आईसीएआर-निवेदी, बैंगलोर को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो क्रमशः एवियन इन्फ्लुएंजा और ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारी की निगरानी में लगे हुए हैं।

संशोधित एलएच और डीसी योजना के तहत अनुसंधान और नवाचार, प्रचार और जागरूकता, प्रशिक्षण आदि के लिए आईसीएआर संस्थानों/अन्य संस्थानों को 100% वित्तीय सहायता का प्रावधान है। राज्य को अनुसंधान और नवाचार, प्रचार और जागरूकता, प्रशिक्षण हेतु उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एएससीएडी के तकनीकी दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

ख) 7 अप्रैल, 2021 को पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी), मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए यह ज्ञापन औषधीय जड़ी बूटियों के माध्यम से पशु चिकित्सा विज्ञान हेतु गुणवत्तापूर्ण दवाओं में नए फॉर्मूलेशन संबंधी अनुसंधान सहित अनुसंधान और विकास में आयुर्वेद के प्रचार द्वारा पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद और इससे संबद्ध विषयों की अवधारणा को शामिल करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया। इस सहयोग का उद्देश्य पशु स्वास्थ्य, पशुपालकों के समुदाय और बड़े पैमाने पर समाज के लाभ के लिए पशु चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद के उपयोग के लिए एक विनियामक तंत्र विकसित करना है।

यह किसानों की आय को गंभीर रूप से प्रभावित पशुओं की कई सामान्य बीमारियों का प्रबंधन करने के लिए एक अत्यंत लागत प्रभावी, सरल और प्रभावी प्रबंधन विकल्प प्रदान करेगा। यह दवाओं, विशेष रूप से एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को युक्तिसंगत बनाने में मदद करेगा और इस तरह एंइटीमाक्रोबियल रेसिस्टेंस (एएमआर) के उद्भव को रोकेगा।

इसके अलावा, विभाग में एक शिक्षा समिति का गठन किया जा रहा है, जो इस विषय की बुनियादी समझ के लिए आयुर्वेदिक पशु चिकित्सा (एवीएम) और अन्य पारंपरिक रूपों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करेगी। यह समिति पशु चिकित्सा आयुर्वेद से युक्त शिक्षण सामग्री तैयार करेगी और एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करेगी, जिसमें पशु चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेदिक चिकित्सा के सिद्धांत भाग के साथ-साथ व्यावहारिक प्रयोज्यता भी शामिल होगी।

ग) पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) ने देश की खाद्य और पोषणिक सुरक्षा का समर्थन करने के लिए भारत के पशुधन क्षेत्र में निरंतर सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

पशुधन क्षेत्र के विकास में पशुपालन अवसंचना को मजबूत करने, उद्यमिता विकास और 'वन हेल्थ' ढांचे को लागू करने की परिकल्पना की गई है। इस सहयोग के माध्यम से, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन नई प्रौद्योगिकियों के डिजाइन और वितरण और स्थानीय संदर्भ में प्रासंगिक सर्वोत्तम तौर-तरीकों के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।"

1.34 'वन हेल्थ' अवधारणा के महत्व को ध्यान में रखते हुए, समिति ने विभाग को मत्स्य पालन और पशु रोगाणुरोधी प्रतिरोध (आईएनएफएएआर) के लिए भारतीय नेटवर्क द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उचित कार्रवाई करने और जूनोसिस की रोकथाम के लिए अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वय और सहयोग करने की दिशा में काम करने की सिफारिश की थी। विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रमों और

पशु टीकाकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पशु रोग नियंत्रण (एएससीएडी) और खुरपका और मुंहपका रोगों (एफएमडी) के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और ब्रुसेलोसिस (एनएडीसीपी) के लिए राज्यों को पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच एंड डीसी) योजना घटकों के बारे में सूचित किया है। विभाग ने समिति को रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) के मामलों से निपटने के लिए पशु चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद के उपयोग के लिए एक नियामक तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बारे में और पशु चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेदिक चिकित्सा की प्रयोज्यता को संभव करने के लिए आयुर्वेदिक पशु चिकित्सा औषधि (एवीएम) के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए शिक्षा संबंधी एक समिति के गठन के बारे में भी सूचित किया है। विभाग ने आगे कहा है कि उसने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य भारत के पशुधन क्षेत्र में निरंतर सुधार करना है।

समिति 'वन हेल्थ' अवधारणा के तहत परिकल्पित विचारों को बढ़ावा देने के संबंध में विभाग के प्रयासों की सराहना करती है। तथापि, वह परिणामों और विभाग द्वारा क्रमशः आयुष मंत्रालय और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के तहत प्रस्तावित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार की गई रणनीति से अवगत होना चाहती है। समिति को आयुष मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन के तहत गठित शिक्षा संबंधी समिति की सिफारिशों पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से भी अवगत कराया जाए।

अध्याय- दो

टिप्पणियाँ/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

देश में पशु चिकित्सा बुनियादी ढांचे की स्थिति

(सिफारिश सं. 2)

देश में पशु चिकित्सा संस्थानों की कुल संख्या वर्ष 2019-20 में 64,990 से वर्ष 2020-21 में 65,894 हुई वृद्धि को नोट करते हुए समिति का मानना है कि देश में पशु चिकित्सा संस्थानों की कुल संख्या में वर्ष 2019-20 से 2020-21 तक वृद्धि हुई है, इसके बावजूद, इन दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पशु चिकित्सालयों/पॉलीक्लीनिक, पशु औषधालयों और पशु चिकित्सा सहायता केंद्रों/मोबाइल पशु औषधालयों की संख्या परस्पर विरोधी रही है। अरुणाचल प्रदेश, केरल और जम्मू कश्मीर में वर्ष 2019-20 से 2020-21 तक पशु चिकित्सा अस्पतालों/पॉलिक्लीनिक की संख्या में कमी देखने को मिली है, वहीं हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में पशु औषधालयों की संख्या में कमी देखी गई है। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान पशु चिकित्सा सहायता केंद्रों/मोबाइल पशु औषधालयों की संख्या में कमी दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली और चंडीगढ़ के पास पशुधन मालिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक भी पशु चिकित्सा सहायता केंद्र/मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई नहीं है। हालांकि विभाग ने समिति को सूचित किया है कि आंकड़ों में इस तरह की कमी कुछ राज्यों द्वारा अपने प्रकार के साथ-साथ उनके नामकरण के आधार पर पशु चिकित्सा संस्थानों की संख्या में संशोधन करने के कारण है अतः समिति देश में पशु चिकित्सा अवसंरचना की अपर्याप्तता की वर्तमान स्थिति पर असंतोष व्यक्त करती है।

सरकार का उत्तर

समिति की टिप्पणियों को भावी संदर्भ के लिए नोट किया जाता है। हालांकि, पशुपालन राज्य का विषय है और राज्य, क्षेत्र में पशुओं की संख्या, रोग की स्थिति, पशु पालन के प्रकार आदि को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थानीय जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार पशु चिकित्सालय और औषधालय स्थापित करते हैं। देश के दुर्गम और दूर-दराज के क्षेत्रों में पशु मालिकों तक पहुंचने के लिए, विभाग ने मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (ईएसवीएचडी-एमवीयू) के लिए मौजूदा पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण घटक को संशोधित किया है। एमवीयू के गैर-आवर्ती घटकों के लिए फंडिंग पैटर्न 100% केंद्रीय सहायता और केंद्र और राज्य के बीच आवर्ती व्यय के लिए 60:40 (पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100%) है। एमवीयू क्लीनिकल निदान, उपचार, टीकाकरण, मामूली सर्जिकल हस्तक्षेप, दृश्य-श्रव्य सहायता और दूर-दराज के क्षेत्र में किसानों/पशु मालिकों को उनके द्वार पर विस्तार सेवाएं प्रदान करेंगी। पशु चिकित्सा मुद्दों के समाधान और देश के दूरदराज के हिस्सों में सूचना के प्रसार के लिए एमवीयू वन-स्टॉप सेंटर के रूप में भी कार्य कर सकती हैं।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

<u>मौजूदा पशु चिकित्सा अस्पतालों एवं औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण (ईएसवीएचडी)</u>

(सिफारिश सं.4)

समिति नोट करती है कि विभाग राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को नए पशु चिकित्सालयों और औषधालयों के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करने और एलएच एंड डीसी योजना के मौजूदा पशु चिकित्सालयों और औषधालयों (ईएसवीएचडी) की स्थापना और सुद्दढ़ीकरण पर उप घटक के

तहत मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों को चलाने तथा मौजूदा लोगों को मजबूत/सुसज्जित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस संदर्भ में समिति नोट करती है कि अगस्त, 2020 में एल एच एंड डीसी योजना की स्थापना के बाद से ईएसवीएचडी उप-घटक के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 351.20 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी तथा वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि के लिए 27.14 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी। तथापि, वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक ईएसवीएचडी के तहत जारी निधियों के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वार विवरणों पर बारीकी से नजर डालें तो पता चलता है कि इन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एलएच और डीसी योजना के ईएसवीएचडी उप-घटक के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के एक चौथाई से भी कम को आबंटन मिला। समिति ने आगे यह नोट किया कि यद्यपि 154 पशु चिकित्सालयों/औषधालयों की स्थापना और/या सुदृढ़ीकरण की देशव्यापी उपलब्धि वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 170 के संचयी लक्ष्य की तुलना में प्राप्त की गई थी, लेकिन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए व्यक्तिगत आंकड़े बिल्कुल अलग तस्वीर दर्शाते हैं। जबकि वर्ष 2017-18 के लिए 70 के लक्ष्य के प्रति शून्य पशु चिकित्सालयों/औषधालयों की स्थापना की गई थी, तथापि वर्ष 2018-19 के दौरान 70 के लक्ष्य के प्रति 112 पशु चिकित्सालयों/औषधालयों की स्थापना की गई थी। फिर भी शून्य उपलब्धियां दर्शाते हुए शेष के साथ यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के केवल एक चौथाई तक सीमित था। शेष के साथ इसके अलावा, 2019-20 के दौरान कुल 42 पशु चिकित्सा अस्पतालों/औषधालयों को 30 के लक्ष्य के प्रति सुदृढ़ या स्थापित किया गया था और राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों की संख्या का एक चौथाई से भी कम इस उपलब्धि का हिस्सा बनी। यह स्पष्ट है कि एलएच एंड डीसी योजना के ईएसवीएचडी उप-घटक के तहत वित्तीय आवंटन और भौतिक उपलब्धियों के संचयी आंकड़े न केवल भ्रामक हैं बल्कि अलग-अलग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आवंटन और भौतिक उपलब्धियों के एकदम विपरीत हैं। समिति यह कहती है कि पशु चिकित्सालयों/औषधालयों को स्थापित करने की जिम्मेदारी अलग-

अलग राज्य सरकारों की है, लेकिन जारी निधियों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुरुप भौतिक कार्यनिष्पादन का आकलन विभाग के पास है। अलग-अलग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ईएसवीएचडी उप-घटक के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति की निन्दा करते हुए समिति विभाग को यह पता लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की पुरजोर सिफारिश करती है कि ईसवीएचडी उप-घटक के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का उपयोग अभीष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है और एलएच एंड डीसी योजना के इस उप-घटक के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्यों के संबंध में खराब प्रदर्शन के मामले में जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वार नवीनतम उपलब्धियों के बारे में भी अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

विभाग, पर्याप्त पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों में पशु चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करने हेतु पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी) योजना के एक घटक, ''पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और मौजूदा का सुदृढ़ीकरण" (ईएसवीएचडी) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को केंद्रीय निधियां प्रदान करता है। निधियां राज्यों की कार्य योजनाओं और पहले जारी की गई निधियों के उपयोग के आधार पर जारी की जाती हैं। इसके साथ ही विभाग, समय-समय पर उपयोग प्रमाण-पत्रों के अतिरिक्त वास्तविक प्रगति रिपोर्ट पर भी जोर देता है, जिससे लक्षित निधियों के उपयोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वास्तव में, यह देखा गया है कि यद्यपि पशु चिकित्सालयों/औषधालयों के निर्माण और मरम्मत के संबंध में राज्यों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए थे, तथापि वास्तविक रिपोर्टों के अभाव में यह पता चला कि किसी तीसरे पक्ष द्वारा कार्य अभी भी चल रहा था। कार्यान्वयन एजेंसी को धन के हस्तांतरण के आधार पर राज्य के द्वारा यूसी दिया गया था और कार्य अभी भी चल रहा था। वास्तविक प्रगति रिपोर्ट के साथ

यूसी का मिलान करने के लिए राज्यों के साथ समय-समय पर पत्रों/ईमेलों/टेलीफोन/वीसी आदि के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

इसके अलावा, उचित कार्यान्वयन और निगरानी के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने प्रस्ताव अपनी राज्य निगरानी इकाई (एसएमयू) के माध्यम से डीएएचडी को (वित्तीय और वास्तविक प्रगति रिपोर्ट और निधि उपयोग प्रमाण पत्र के साथ) प्रस्तुत करने चाहिए। मूल्यांकन के बाद, प्रस्ताव को राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी, सचिव डीएएचडी की अध्यक्षता में) के समक्ष रखा जाएगा ताकि निधियां जारी करने के लिए अनुमोदन और विचार किया जा सके। केंद्र सरकार से निधियां जारी होने के बाद, राज्य निगरानी इकाई नियमित रूप से विभाग को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। एनएससी, एलएच एंड डीसी योजना के कार्यकलापों की देखरेख करेगा, समग्र दिशा और मार्गदर्शन देगा, इसकी प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी और समीक्षा करेगा।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कार्य योजनाओं के आधार पर, वर्ष 2021-22 के दौरान अब तक संस्वीकृत एमवीयू और उनके लिए जारी की गई निधि का विवरण निम्नानुसार है –

क्र.सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**	**वर्ष 2021-22 के दौरान जारी निधियां (लाख रुपये में)**	**संस्वीकृत एमवीयू की सं. (खरीद और विशिष्ट रूप से निर्मितीकरण)**
1	आंध्र प्रदेश	5440	340
2	बिहार	4912	307
3	छत्तीसगढ	2608	163
4	झारखंड	3776	236
5	कर्नाटक	4400	275
6	केरल	464	29
7	मध्य प्रदेश	6496	406
8	महाराष्ट्र	1280	80
9	ओडिशा	2896	181
10	पंजाब	1120	70
11	उत्तर प्रदेश	8320	520

12	उत्तराखंड	960	60
13	अरुणाचल प्रदेश	400	25
14	असम	2544	159
15	मणिपुर	528	33
16	मेघालय	272	17
17	मिजोरम	416	26
18	नागालैंड	256	16
19	सिक्किम	96	6
20	त्रिपुरा	208	13
21	लद्दाख	144	9
22	लक्षद्वीप	144	9
	कुल	**47680.00**	**2980**

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं.के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

<u>मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां (एमवीयू)</u>

(सिफारिश सं 6)

देश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए समिति यह नोट करती है कि एलएचएंडडीसी योजना की शुरुआत के बाद से ईएसवीएचडी उप-घटक के तहत पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल जैसे दुर्गम क्षेत्रों वाले कुछ राज्यों को क्रमशः 6967 करोड़ रुपये और 1695 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। उसके बावजूद, वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए, पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर राज्यों में से तीन के लिए आवंटन शून्य रहा है। समिति आंकड़ों की इस असमानता को नोट करते हुए उलझन में है और समिति यह चाहती है कि विभाग इस प्रकार की विषमता का कारण औऱ इन राज्यों के भीतर मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) की व्यवहार्यता पर

भी इसका प्रभाव बताए। वर्तमान में, देश के भीतर 1284 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां चालू हैं और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, द्वारा प्रबंधित की गई हैं। समिति नोट करती है कि एक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई में पशुओं के लिए बुनियादी नैदानिक और उपचार सुविधा है और साथ ही क्षेत्र से नमूना संग्रह/परिवहन का भी प्रावधान है और इस प्रकार, वह जमीनी स्तर पर पशु चिकित्सा सहायता केंद्र के रुप में कार्य करने मे सक्षम है, जबकि विशेष रुप से दूरदराज/सीमा और दुर्गम क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवा घर तक पहुंचायी जाती है। तथापि समिति, यह नोट करते हुए चिंतित है कि उनकी अपार क्षमता के बावजूद मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां योजना और निष्पादन के प्रारंभिक चरण पर ही हैं क्योंकि विभाग एमवीयू के रखरखाव, उन्नयन और उपयोग के संबंध में एक विधि विकसित करने में विफल रहा है साथ ही वह टीकाकरण और पशुधन प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं के वितरण के संबंध में एमवीयू की विशिष्ट भूमिका का पता लगाने में भी असमर्थ रहा है। समिति विभाग के इस ढुलमुल वाले रवैये से अंसतुष्ट है और सिफारिश करती है कि मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के संबंध में उपर्युक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से कार्यात्मक और समग्र योजना तैयार की जाए।

साक्ष्यों के दौरान विभाग के प्रतिनिधि ने एलएचएंडडीसी कार्यक्रम के तहत एमवीयू की स्थापना के लिए प्रस्तावना योजना और इस आशय के लिए अलग आवंटन की आवश्यकता के बारे में समिति को अवगत कराया। देश में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए एक केंद्रित योजना होने के महत्व को समझते हुए समिति का मानना है कि संसाधनों की कमी से न केवल योजना के कार्यन्वयन में बाधा उत्पन्न होगी अपितु देश में पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में विभाग की प्रगति में भी बाधा उत्पन्न होगी। अतः समिति वित्त मंत्रालय से यह सिफारिश करती है कि वह चल मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के संबंध में उसकी प्रस्तावित

योजना के लिए विभाग के अलग को आंवटन उपलब्ध कराए और इस दिशा में विभाग द्वारा किए गए गंभीर प्रयासों से समिति को अवगत कराए।

सरकार का उत्तर

विभाग ने एलएच एंड डीसी कार्यक्रम के तहत एमवीयू की स्थापना संबंधी घटक के साथ एलएच एंड डीसी योजना को संशोधित किया है। ईएसवीएचडी-एमवीयू के संशोधित घटक की विशेषताएं इस प्रकार हैं -

क) किसान के द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए, इस योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग एक लाख पशुधन आबादी के लिए 1 एमवीयू की दर से मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) के लिए निधियां उपलब्ध कराई जायेंगी।

ख) इन एमवीयू को निदान, उपचार और मामूली सर्जरी, ऑडियो विजुअल सहायक उपकरण और पशुओं के इलाज के लिए अन्य बुनियादी आवश्यकताओं उपकरणों के साथ सुसज्जित करके पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल के लिए तैयार किया जायेगा। वाहन अधिमानतः एक चार पहिया वैन होगी जिसमें निदान के लिए अपेक्षित उपकरण (माइक्रोस्कोप, पोर्टेबल एक्स-रे मशीन, आदि जहां भी आवश्यक हो), दवाएं, शल्य चिकित्सा उपकरण, नमूना संग्रहण और पशु हैंडलिंग सामग्री को रखने के लिए पर्याप्त स्थान, 1 पशु चिकित्सक, 1 परा-पशु चिकित्सक के काम करने के लिए स्थान और एक चालक-सह-परिचारक होगा। हालांकि, इलाके के आधार पर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वैकल्पिक वाहनों का प्रस्ताव कर सकते हैं जो आउटरीच के अनुकूल हों।

ग) पशु चिकित्सा और जन जागरूकता सामग्री - एमवीयू में नमूना संग्रह के लिए उपकरण जैसे शीशियां, वैक्यूटेनर, सीरिंज, छोटे रेफ्रिजरेटर/वैक्सीन कैरियर/सक्रिय कूल बॉक्स जैसे उपचार के लिए दवाएं होंगी, जिनमें जीवन रक्षक दवाएं, एंटीबायोटिक्स आदि, रूई, पट्टियाँ और मामूली शल्य चिकित्सा उपकरण और ऑडियो-विजुअल सहायक उपकरण जैसे माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, रोगों

की रोकथाम के महत्व से संबंधित चार्ट/फोटो/स्लाइड आदि, टीकाकरण अभियान की घोषणा करने वाले पैम्फलेट, छोटे प्रोजेक्टर/ओएचपी, स्क्रीन,यदि आवश्यक हो, आदि होंगे।

घ) प्रत्येक एमवीयू में एक पशु चिकित्सक, एक परा पशुचिकित्सक और एक चालक-सह-अटेंडेंट होगा।

ड.) मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई पीपीपी मोड पर संचालित होगी जिसमें सरकार अवसंरचना उपलब्ध करायेगी लेकिन जनशक्ति कार्यान्वयन एजेंसी (सहकारी समितियों और दूध संघों आदि सहित) द्वारा आउटसोर्स की जाएगी।

च) ये एमवीयू संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसानों से कॉल सेंटर पर प्राप्त फोन कॉल के आधार पर किसानों के द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगी। यात्रा के समय को कम करने और लक्षित समय के भीतर सेवा प्रदान करने के लिए एमवीयू को रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया जाएगा।

छ) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मौजूदा कॉल सेंटर के साथ एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर का कॉल सेंटर स्थापित/संरेखित किया जाएगा। ऐसे कॉल सेंटर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पशुपालन विभाग के नियंत्रण में होंगे और उसमें राज्य द्वारा नामित एक नोडल अधिकारी होगा। कॉल सेंटर मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हुए धुरी के रूप में कार्य करेगा। यह पशुपालकों/पशु मालिकों से कॉल प्राप्त करेगा और उन्हें कॉल सेंटर के पशु चिकित्सक को प्रेषित करेगा। कॉल सेंटर एमवीयू के आवागमन और उपयोग की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार होगा। कॉल सेंटर पशु मालिक के यूआईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से वास्तविक सेवाओं की पुष्टि भी करेगा और संबंधित राज्य के साथ डेटा साझा करेगा। कॉल सेंटर अनुवर्ती उपचार के लिए स्थानीय पशु चिकित्सा सर्जन और एआई के लिए पंजीकृत स्थानीय एआई तकनीशियन के साथ संपर्क करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। एमवीयू स्थानीय आबादी को एमवीयू में निहित ऑडियो-विजुअल एड्स के माध्यम से विस्तार सेवा भी प्रदान करेंगे ताकि पशु रोगों, उनकी

रोकथाम और नियंत्रण, आवश्यक जैव सुरक्षा उपायों, पशुपालन के आर्थिक लाभ और इस दिशा में सरकार के प्रयासों के बारे में जागरूकता लायी जा सके।

ज) प्रत्येक राज्य स्तरीय कॉल सेंटर इकाई में प्रत्येक 20 एमवीयू के लिए 1 पशुचिकित्सक और 3 कॉल एक्जीक्यूटिव होंगे। 100 एमवीयू के लिए, 6 कॉल एक्जीक्यूटिव के साथ 2 पशु चिकित्सक होंगे और अतिरिक्त प्रत्येक सौ एमवीयू के लिए, 1 पशु चिकित्सक और 3 कॉल सेंटर एक्जीक्यूटिव की आवश्यकता होगी।

झ) पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल (ऑडियो-विजुअल एड्स सहित निदान, उपचार और मामूली सर्जरी के लिए उपकरण) (16.00 लाख/वैन की दर से) के लिए अनुकूलित मोबाइल वैन हेतु प्रावधान होगा। यह गैर-परिचालन लागत (अर्थात एमवीयू की लागत) 100% केंद्रीय निधियन के माध्यम से होगी।

ञ) एमवीयू के संचालन के लिए आवर्ती लागत 18.72 लाख/एमवीयू की दर से आंकी गई है और कॉल सेंटर के लिए कॉल सेंटर चलाने का कार्यालयीय खर्च 5000 रुपये प्रतिमाह होगा जिसमें 1 पशु चिकित्सक और 3 कॉल एक्जीक्यूटिव होंगे और प्रत्येक अतिरिक्त पशु चिकित्सक और 3 कॉल एक्जीक्यूटिव के लिए 2000 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त होगा। ये केंद्र-राज्य साझाकरण के आधार पर होगा। (अन्य सभी राज्यों के लिए 60-40 / पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए 90-10/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100%)।

ट) आवर्ती और दी गई एकमुश्त पूंजी लागत, दोनों (एमवीयू की) सांकेतिक हैं और निविदा दरों के अधीन हैं। आवश्यकता के अनुसार एक घटक से किसी अन्य घटक में निधियों के अंतरण के लिए लचीलेपन की परिकल्पना की गई है।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

<u>मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां (एमवीयू)</u>

(सिफारिश सं. 7)

विभाग के प्रतिनिधि ने समिति को गुजरात में मोबाईल औषधालयों के मामले में पशु चिकित्सा अवसंरचना को बढ़ाने में दुग्ध यूनियन, दुग्ध फैडरेशन और सहकारी समितियों द्वारा किए गए निवेशों के बारे में बताया। इन सबके बावजूद, चूंकि पशु चिकित्सा सेवाओं में निजी क्षेत्र का निवेश नगण्य बना हुआ है अतः ऐसे कुछ ही गिने- चुने उदहारण हैं। एमवीयू के संचालन और रखरखाव में निजी क्षेत्र की भागीदारी से होने वाले फायदों के दायरे को महसूस करते हुए समिति का मानना है कि पशु चिकित्सा सेवाओं के इस क्षेत्र में निजी कंपनियों को आकर्षित करने और उन्हें शामिल करने के लिए विभाग द्वारा गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर एमवीयू में मोबाईल औषधालयों को चलाने और पीपीपी मॉडलों के साथ प्रयोग करने जैसे कदम निजी कंपनियों की भागीदीरी को प्रोत्साहित करेंगे। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग एक कार्ययोजना बनाने और पशु चिकित्सा सेवाओं और अवसंरचना में विशेष रुप से चल पशु चिकित्सा इकाइयों के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए आवश्यक उपाय करे। समिति को इस दिशा में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

विभाग पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा किसी भी निवेश का वित्तपोषण नहीं कर रहा है क्योंकि पशुपालन राज्य का विषय है। हालांकि, विभाग की आरजीएम योजना के तहत, किसानों के द्वार पर प्रजनन इनपुट देने के साथ-साथ प्राथमिक पशु चिकित्सा सहायता सेवा प्रदान करने के संबंध में राज्यों को ग्रामीण भारत (मैत्री) में

बहुउद्देशीय एआई तकनीशियनों के प्रशिक्षण के लिए निधियां जारी की जाती हैं। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई पीपीपी मोड पर चलाई जायेगी, जिसमें सरकार अवसंरचना की व्यवस्था करेगी लेकिन जनशक्ति को कार्यान्वयन एजेंसी (सहकारी समितियों और दूध संघों, आदि सहित) द्वारा आउटसोर्स किया जाएगा। देश में प्रति 1 लाख पशुधन आबादी पर एक एमवीयू की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, केंद्र सरकार वीसीआई (पशु चिकित्सा कॉलेजों और पशु चिकित्सा योग्यता की मान्यता और मान्यता के लिए प्रक्रिया) नियम, 2017 और पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक (एमएसवीई) विनियम, 2016 के अनुसार भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) की सिफारिशों पर राज्यों में सरकारी और निजी कॉलेजों को भी मान्यता प्रदान करती है।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

<u>रोग की जांच और रिपोर्टिंग</u>

(सिफारिश सं.8)

समिति मानती है कि वर्तमान में देश में पशु रोग जांच और रिपोर्टिंग के उद्देश्य से 256 राज्य प्रयोगशालाएं, 50 वेटनरी कॉलेज प्रयोगशालाएं, 33 एलिसा प्रयोगशालाएं, 5 क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं (आरडीडीएल) और 1 केंद्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं (सीडीडीएल) हैं। समिति आगे नोट करती है कि ग्राम स्तर पर कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बुनियादी निदान सुविधाएं प्रदान करने वाली मोबाईल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) का प्रावधान है, तथापि, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी गांवों में एमवीयू पहुँच अभी भी एक मसला है और इससे अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर बुनियादी नैदानिक सेवाओं की कमी हो सकती है। यहां तक कि उन गांवों के लिए भी जिनकी पहुँच एमवीयू तक है वहां भी पशुधन रोग की व्यापक रोग जांच में अभी भी समय लग रहा है जिसमें एकत्र किए गए नमूनों को

ब्लॉक/जिला/राज्य स्तरीय परीक्षण सुविधा में ले जाया जा रहा है। इस प्रकार शामिल प्रक्रिया न केवल पशुधन मालिकों के लिए असुविधाजनक है, बल्कि यह लंबी भी है और इससे रोग फैलने या रोग जांच के बाद उपचार में देरी के संभावित खतरे हो सकते हैं। इस मामले पर विचार करते हुए समिति मानती है कि जमीनी स्तर पर प्रशिक्षित जनशक्ति और विशेष सुविधाओं की भर्ती करने से न केवल जिला/राज्य स्तर पर नैदानिक सुविधाओं पर बोझ कम होगा बल्कि बहुमूल्य समय और सीमित संसाधनों का प्रभावी उपयोग भी सुनिश्चित होगा जिसको पशु रोगों के उपचार और प्रबंधन की दिशा में लगाया जा सकता है। अत: समिति सिफारिश करती है कि विभाग ग्रामीण स्तर पर एमवीयू की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कार्य की विशेष प्रकृति को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों और तकनीशियनों की उपलब्धता के साथ-साथ इन एमवीयू के भीतर अंतर नैदानिक सुविधाएं सक्षम करने की दिशा में काम करे। समिति को इस दिशा में विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयों और उसमें की गई प्रगति के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ब्यौरे से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

पशु चिकित्सा अस्पतालों/पॉलीक्लीनिकों/औषधालयों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली पशु चिकित्सा सेवाओं में अंतर को भरने के लिए, संशोधित एलएच एंड डीसी योजना के पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और मौजूदा का सुदृढ़ीकरण (ईएसवीएचडी) के घटक में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन और प्राथमिकता दी जाती है। एमवीयू किसानों/पशु मालिकों को उनके द्वार पर निदान उपचार, टीकाकरण, मामूली सर्जिकल हस्तक्षेप, ऑडियो-विजुअल एड्स और विस्तार सेवाएं प्रदान करेंगे। देश में प्रति 1 लाख पशुधन आबादी पर एक एमवीयू की परिकल्पना की गई है। इस घटक के तहत, विस्तार गतिविधियों के लिए निदान, उपचार, नमूना संग्रह, मामूली सर्जरी और ऑडियो-विजुअल एड्स आदि के लिए पूरी तरह से सुसज्जित अनुकूलित मोबाइल वैन/वाहन पर अनावर्ती व्यय के लिए 100% केंद्रीय

सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि, मोबाइल वैन/वाहन, कॉल सेंटर और आउटसोर्स की गई जनशक्ति सेवाओं को चलाने पर होने वाले आवर्ती व्यय में पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए 60-40/90-10/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% का केंद्रीय-राज्य निधि साझाकरण पैटर्न होगा। प्रत्येक एमवीयू में एक पशु चिकित्सक, एक पैरा पशु चिकित्सक और एक चालक-सह परिचारक होगा और सरकार द्वारा प्रदान अवसंरचना के साथ पीपीपी मोड पर चलेगी, लेकिन कार्यान्वयन एजेंसी (सहकारी समितियों और दूध संघों, आदि सहित) द्वारा जनशक्ति को आउटसोर्स किया जायेगा। ये एमवीयू संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसानों से कॉल सेंटर पर प्राप्त फोन कॉल के आधार पर किसानों के द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगी। यात्रा के समय को कम करने और लक्षित समय के भीतर सेवा प्रदान करने के लिए एमवीयू को रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया जाएगा। वास्तव में, यह पीपीपी मोड में उन पशु चिकित्सकों और परा-पशु चिकित्सकों की सेवाओं का उपयोग करेगा जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की वास्तविक सरकारी सेवाओं में नहीं हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें पशु चिकित्सकों और परा-पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के लिए जिम्मेदार हैं। इस संबंध में विभाग की ओर से परामर्शिका जारी की गई है।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

<u>रोग की जांच और रिपोर्टिंग</u>

(सिफारिश क्र. सं.9)

राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली (एनएडीआरएस) के वेब आधारित मंच को एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन एनएडीआरएस 2.0 में अपग्रेड करने के संबंध में विभाग के प्रयासों

की सराहना करते हुए समिति मानती है कि पशु रोगों की वास्तविक समय रिपोर्टिंग और त्वरित कार्रवाई को सुगम बनाने वाली सूचनाओं के त्वरित प्रवाह को सक्षम करने के लिए यह एक बहुत आवश्यक कदम था। हालांकि, समिति इस बात से क्षुब्ध है कि एलएचएंडसी योजना के एनएडीआरएस उप-घटक के लिए वित्तीय आवंटन वर्ष 2019-20 में 6.79 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2020-21 में शून्य हो गया है और वर्ष 2020-21 में एनएडीआरएस 2.0 में अपग्रेड होने के बावजूद ब्लॉक स्तर पर जानकारी अद्यतन करने के लिए सक्रिय नोड्स की संख्या वर्ष 2019-20 और 2020-21 में 7032 रही है। अत: समिति सिफारिश करती है कि विभाग राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली के भौतिक मापदंडों के पर्याप्त वित्तीय आवंटन और लगातार विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करे। समिति वर्ष 2020-21 में एनएडीआर को किए गए शून्य आवंटन संबंधी कारणों से और इस संबंध में की गई प्रगति के विषय में भी अवगत होना चाहती है।

सरकार का उत्तर

विभाग, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र से वार्षिक कार्य योजनाओं या प्रस्तावों की प्राप्ति पर, निधियां जारी करने के लिए इन प्रस्तावों पर निर्धारित तकनीकी दिशानिर्देशों के अनुसार विचार करता है। बजट उपयोग / रिलीज राज्य द्वारा कार्य योजना, पहले जारी की गई निधियों के उपयोग और राज्य की आवश्यकता के तहत राज्य द्वारा प्रस्तावित वितरण पर निर्भर करता है। निधियां जारी करना भी वास्तविक उपलब्धियों को प्रस्तुत करने में बाधा हैं। राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी वार्षिक कार्य योजना भेजने के संबंध में समय पर कार्रवाई करें और जारी की गई धनराशि का उपयोग करें। केंद्रीय हिस्सेदारी, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान देर से जारी की जाती है, तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभाग द्वारा जारी स्वत: पुनर्वैधीकरण के माध्यम से लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष के दौरान जारी निधियों का उपयोग करने का अवसर दिया जाता है। इसके अलावा, संशोधित एलएच एंड डीसी योजना में, एनएडीआरएस घटक

को वित्त पोषण के लिए एएससीएडी घटक के साथ मिला दिया गया है, जबकि इसे आसान और बेहतर रिपोर्टिंग और डेटा दोहराव से बचने के लिए आईएनएपीएच के साथ एकीकरण पर विचार किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को 16.48 लाख रु. पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

<u>रोग की जांच और रिपोर्टिंग</u>

(सिफारिश सं. 10)

समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई), इज्जतनगर और इंटरनेशनल सेंटर फॉर फुट एंड माउथ डिजीज (आईसीएफएमडी), मुक्तेश्वर: राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएएच), बागपत: राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान (एनआईएचएसएडी), भोपाल: एफएमडी निदेशालय, मुक्तेश्वर; राष्ट्रीय पशुरोग जानपदिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान(एनिवेईडीआई), बेंगलुरू; राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), आनंद; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तहत एफएमडी संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) के क्षेत्रीय केंद्र में पशु रोग निदान और निगरानी के लिए अतिरिक्त और अत्यधिक कुशल प्रयोगशाला सुविधाएं उपलब्ध हैं। समिति यह नोट करके संतुष्ट है कि ये संस्थान सांख्यिकीय मॉडलों के साथ डेटा एकीकरण के आधार पर पशु रोगों के लिए मजबूत पूर्वाभास प्रणाली प्रदान करते हैं। क्षेत्रीय और केंद्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं के साथ ये संस्थान देश में पशु रोग की कुशल जांच और रिपोर्टिंग के लिए एक ठोस आधार प्रदान करते हैं। हालांकि, समिति मानती है कि देश के ऊंचाई और शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले पशुधन से संबंधित मांगों को पूरा करने के लिए विशेष संस्थानों की

आवश्यकता है और इसके लिए एक नामित क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशाला की आवश्यकता भी है। अत: समिति, विभाग से उपरोक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए पशु चिकित्सा अवसंरचना स्थापित करने की संभावना तलाशने की सिफारिश करती है और चाहती है कि इस संबंध में की गई पहलों से समिति को अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत 5 क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाएं (आरडीडीएल) हैं, जो क्षेत्रवार बंगलुरू (दक्षिणी), पुणे (पश्चिमी), जालंधर (उत्तरी), कोलकाता (पूर्वी) और गुवाहाटी (उत्तर-पूर्वी) में स्थित हैं। इसके अलावा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली में स्थित एक केंद्रीय रोग निदान प्रयोगशाला (सीडीडीएल) है। इन प्रयोगशालाओं को स्थापित करने का लक्ष्य ओआईई अनुमोदित परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार पशु रोगों के शीघ्र पुष्टिकारक निदान के लिए क्षेत्रीय स्तर पर सुविधाएं प्रदान करना है। ये आरडीडीएल विभिन्न पशुधन और कुक्कुट रोगों की निगरानी और निदान हेतु देश के लिए बहुत मददगार रहे हैं।

इसके अलावा, विभाग ने एलएच और डीसी योजना के तहत घटकों को संशोधित किया है ताकि पशु रोगों को नियंत्रित करने और पशु चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को उचित तरीके से सहायता मिल सके। इस संबंध में, संशोधित एलएच एंड डीसी योजना मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) द्वारा द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है। एमवीयू किसानों / पशु मालिकों को उनके द्वार पर निदान उपचार, टीकाकरण, मामूली सर्जिकल उपचार, ऑडियो-विजुअल एड्स और विस्तार सेवाएं प्रदान करेंगे। पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता के संशोधित घटक में, पशुधन और घरेलू कुक्कुट के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोगों के लिए टीकाकरण पर अधिक ध्यान दिया

गया है। टीकाकरण ढांचे को मजबूत करने के लिए, राज्य जैविकीय उत्पादन यूनिटों और रोग निदान प्रयोगशालाओं के लिए सहायता को रोग निदान किटों/टीकों उत्पादन को पूरित करने और रोग निदान के लिए क्रमश: केंद्र राज्य हेतु एएससीएडी के तहत "रोग निदान प्रयोगशालाओं और जैविकीय उत्पादन यूनिटों का सुदृढ़ीकरण" के लिए विस्तारित किया गया है।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

<u>भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) और पशुचिकित्सा शिक्षा</u>

(सिफारिश सं.11)

समिति का कहना है कि देश के भीतर वर्तमान में संचालित कुल 54 पशु चिकित्सा महाविद्यालय 4320 सीटों के माध्यम से बीवीएससी और एएच व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान कर रहे हैं, जिनमें से 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटे के माध्यम से भरे जाते हैं और शेष 85 प्रतिशत संबंधित 'राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कोटा' के माध्यम से भरे जाते हैं। तथापि, पशुधन की बढ़ती आबादी और पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता को देखते हुए देश में सीटों और पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की वर्तमान संख्या अत्यल्प है और समिति का मत है कि केवल स्नातक पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या बढ़ाने से प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी की समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए समिति वीसीआई और एसवीसी को न केवल मौजूदा कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई करने की सिफारिश करती है बल्कि देश में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की अधिक संख्या को मान्यता देने के साथ-साथ कॉलेजों के भीतर एमएसवीई विनियमों का कड़ाई से अनुपालन

सुनिश्चित करने की दिशा में भी कदम उठाए। समिति को इस संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयों अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

वर्तमान में, भारत में 54 मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रहे हैं और पशु चिकित्सा शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इन 54 महाविद्यालयों के अलावा, विभाग ने निम्नलिखित पशु चिकित्सा महाविद्यालयों को वर्ष 2017 से 2020 तक अनंतिम मान्यता प्रदान की है -

(1) पशु चिकित्सा महाविद्यालय, गडग कर्नाटक

(2) पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन महाविद्यालय, नागालैंड

(3) पशु चिकित्सा महाविद्यालय, ममनूर, वारंगल,

(4) पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान संकाय, वाराणसी

(5) पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, लखीमपुर

(6) पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, गरिविडी, आंध्र प्रदेश

(7) एम.बी. पशु चिकित्सा महाविद्यालय, डूंगरपुर, राजस्थान

(8) पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, रामपुरा फूल, भटिंडा, पंजाब

इसके अलावा, वर्ष 2021-22 के दौरान, 07 और पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के प्रस्तावों पर विचार किया गया है और ऐसे महाविद्यालयों की सूची निम्नलिखित है -

(1) श्री गंगानगर पशु चिकित्सा महाविद्यालय, श्री गंगानगर, राजस्थान

(2) आरआर कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, उदयपुर राजस्थान

(3) महात्मा गांधी पशु चिकित्सा महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान

(4) पशु चिकित्सा कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, थेनी, तमिलनाडु

(5) पशु चिकित्सा कॉलेज, तिरुपुर, तमिलनाडु

(6) पशु चिकित्सा कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, सेलम, तमिलनाडु

(7) संस्कारम पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, झज्जर, हरियाणा

यह आशा की जाती है कि अधिक संख्या में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता से पशु चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों में सीटों/प्रवेशों की संख्या में वृद्धि हो सकेगी; इस प्रकार आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए योग्य पेशेवरों की अधिक संख्या होगी।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

<u>पशुचिकित्सा जनशक्ति</u>

(सिफारिश सं.16)

समिति ने नोट किया है कि पशु चिकित्सा सेवाओं में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने और अर्हता प्राप्त जनशक्ति की भर्ती करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और प्रशिक्षित पशु चिकित्सा जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाकर 54 कर दी है। हालांकि पशु चिकित्सा स्नातकों की कुल वार्षिक संख्या 4320 हो गई है, लेकिन देश में फील्ड पशु चिकित्सकों की वास्तविक संख्या 36,623 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 28,328 पर बनी हुई है। इसके अलावा देश में परा-पशु

चिकित्सकों की वास्तविक संख्या 78,013 की आवश्यकता के मुकाबले 54,928 है। जनशक्ति की इस अत्यधिक कमी ने मौजूदा कार्यबल पर इस तरह का बोझ डाला है कि प्रति पंजीकृत पशुचिकित्सक पर 4915 पशु और प्रति पशु चिकित्सा संस्थान पर 8948 पशुओं का बोझ है। समिति ने यह भी नोट किया कि जनशक्ति की इस कमी के लिए दो महत्वपूर्ण कारणों, पशु चिकित्सा सेवाओं में कम लाभ और उसमें निजी क्षेत्र की नगण्य भागीदारी को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 54 में से 5 निजी पशु चिकित्सा महाविद्यालयों होने के बावजूद इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश अप्रासंगिक बना हुआ है। इसके अलावा, पशु चिकित्सा सेवाओं में शामिल होने के लिए प्रेरणा की कमी इस क्षेत्र में मांग की कमी से भी उत्पन्न हो सकती है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों के पुनर्गठन के माध्यम से और पशु चिकित्सा सेवा क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक दृष्टि की तुलना में स्वीकृत रिक्तियों की वास्तविक आवश्यकताओं और कार्यों पर विचार करके बढ़ाया जा सकता है। इसलिए समिति विभाग से पशु चिकित्सा सेवाओं में सरकारी निजी भागीदारी को आकर्षित करने और इस क्षेत्र में अर्हताप्राप्त जनशक्ति की मांग और उपलब्धता के बीच के अंतर को पाटने के संदर्भ में उत्पादन और लागत प्रभावशीलता के संबंध में केंद्र और राज्यों द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों का सटीक स्वतंत्र मूल्यांकन करने के बाद सुधारात्मक उपाय करने की सिफारिश करती है। समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाइ और प्रगति से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

जैसा कि बताया गया है, वीसीआई द्वारा वास्तविक संख्या के मुकाबले पशु चिकित्सकों की कमी को अच्छी तरह से लिया गया है और वीसीआई द्वारा निजी प्रायोजित पशु चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता देने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है। इस संबंध में पहले ही 8 (आठ) पशु चिकित्सा महाविद्यालयों को अनंतिम मान्यता प्रदान की जा चुकी है और 07 (सात) और पशु चिकित्सा महाविद्यालय आशय पत्र प्रदान करने के लिए विचाराधीन हैं। इसके

अलावा, हरियाणा, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना से प्राप्त प्रस्ताव शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए मान्यता के लिए विचाराधीन हैं।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

<u>पशु चिकित्सकों और परा-पशु चिकित्सकों का प्रशिक्षण</u>

(सिफारिश सं. 17)

समिति ने यह नोट किया है कि पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एल एच एंड डी सी) संबंधी योजना, व्यावसायिक दक्षता विकास (पीईडी) संबंधी अपने उप-घटक के माध्यम से, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) की कार्यप्रणाली के लिए 100 प्रतिशत निधियां प्रदान करने और नवीनतम तकनीकी विकास संबंधी पशु चिकित्सकों के प्रशिक्षण के लिए उनके सतत् पशु चिकित्सा शिक्षा (सीवीई) कार्यक्रम चलाने सहित उनके संचालन के लिए राज्य पशु चिकित्सा परिषदों (एसवीसी) को 50 प्रतिशत निधियां प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है; जबकि पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी) पर घटक पशु चिकित्सकों और परा-पशु चिकित्सकों के लिए सेवा में प्रशिक्षण प्रदान करता है। तथापि, समिति यह नोट करके चिंतित है कि विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान पीईडी उप-घटक के अंतर्गत 'शून्य व्यय या वित्तीय प्रगति' की गई थी और वर्ष के दौरान आयोजित सीवीई प्रशिक्षणों के संदर्भ में वास्तविक लक्ष्य भी शून्य था। इसके अलावा, वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक पीईडी उप-घटक के तहत आयोजित सीवीई प्रशिक्षणों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण दर्शाता है कि वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र ने कोई प्रशिक्षण नहीं दिया। जिन लोगों ने वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक सीवीई प्रशिक्षण का संचालन किया, वे केरल के साथ एकमात्र ऐसा राज्य होने के साथ कम संख्या में थे जिन्होंने तीनों वर्षों के दौरान लगातार सीवीई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। समिति विभाग के इस उत्तर से और अधिक

व्यथित है कि वीसीआई में सीवीई प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देशों या प्रावधानों का अभाव है; और विभाग के उत्तरों में अस्पष्टता के साथ भी, जहां एक ओर यह सूचित किया गया है कि वीसीआई जनशक्ति की कमी के कारण वर्ष 2008-09 के बाद सीवीई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सका और दूसरी ओर, यह बताया गया है कि वीसीआई ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सीवीई कार्यक्रम आयोजित नहीं किए हैं। सीवीई जैसे कार्यक्रम औपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों की दक्षताओं और क्षमताओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं और राज्य पशु चिकित्सा परिषदों के साथ-साथ भारतीय पशु चिकित्सा परिषद को देश में निरंतर पशु चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने का काम सौंपा गया है लेकिन सीवीई के संबंध में इन दोनों निकायों का कार्य निष्पादन निराशाजनक रहा है और विभाग के उत्तरों में अस्पष्टता ने स्थिति को और खराब कर दिया है। विभाग के इस आधे-अधूरे रवैये को अस्वीकार करते हुए समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि वीसीआई और एसवीसी द्वारा आयोजित किए जाने वाले सीवीई प्रशिक्षणों के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाएं ताकि राज्य पशु चिकित्सा परिषदों को नियमित रूप से सीवीई प्रशिक्षणों का संचालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए कि एलएच एंड डीसी योजना के पीईडी उप-घटक के तहत उचित निधियां समय पर जारी की जाए। समिति को इस दिशा में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में अवगत कराया जाए है।

सरकार का उत्तर

इस संबंध में समिति की चिंता को अच्छी तरह से नोट किया गया है। एक नोडल एजेंसी के रूप में वीसीआई/एसवीसी को सतत पशु चिकित्सा शिक्षा (सीवीई) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन संबंधी कार्यकलापों को सौंपा गया है। हालांकि, विचाराधीन अवधि के दौरान, प्रशासनिक बाधाओं के कारण वीसीआई सीवीई को लागू नहीं कर सका। चूंकि वर्ष 2021 में चुनाव और इसके सदस्यों के नामांकन के बाद वीसीआई का पुनर्गठन हुआ है, दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाएगी और पशु

चिकित्सा पेशे के ज्ञान को अद्यतन करने के लिए सीवीई प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए एसवीसी को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

यह कहना उचित है कि विभाग ने एलएच और डीसी योजना को संशोधित किया है और पहले की एलएच और डीसी योजना के पीईडी घटक के कार्यकलापों को, अब एएससीएडी घटक के साथ विलय कर दिया गया है। प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है जिसमें राज्यों को शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता की परिकल्पना की गई है। अब वर्तमान एलएच और डीसी योजना में एएससीएडी घटक के तहत भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) को सहायता अनुदान जारी रहेगा।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पशु-चिकित्सकों, परा-पशु चिकित्सकों, अन्य/ प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, प्रयोगशाला निदान विशेषज्ञों के प्रशिक्षण/बर्ड फ्लू के लिए मॉक ड्रिल आदि के लिए सतत पशु चिकित्सा शिक्षा (सीवीई) कार्यक्रमों की व्यवस्था करेंगे। योजना की निगरानी पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) के सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) के माध्यम से की जाएगी। एनएससी, एलएच और डीसी योजना के कार्यकलापों की देखरेख करेगा, समग्र दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन देगा, इसकी प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी और समीक्षा करेगा।

कोविड-19 महामारी की परिस्थिति और तत्पश्चात् वर्ष 2020-21 में लॉकडाउन के कारण, इस कार्यकलाप पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। एलएच और डीसी योजना के संशोधित एएससीएडी घटक के तहत, राज्यों को उनकी कार्य योजना और उनके लंबित अव्ययित शेष राशि की स्थिति के आधार पर प्रशिक्षण के लिए धनराशि जारी की गई है।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

<u>पशु चिकित्सकों और परा-पशु चिकित्सकों का प्रशिक्षण</u>

(सिफारिश सं.18)

समिति ने यह नोट किया है कि वीसीआई परा-पशु चिकित्सकों को विनियमित नहीं करता है, इसलिए पैरा-पशु चिकित्सकों के सेवा में प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन की जिम्मेदारी एलएच एंड डीसी योजना के एएससीएडी उप-घटक पर है, जिसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए शत-प्रतिशत सहायता प्राप्त होती है। विभाग ने समिति को यह भी सूचित किया कि एएससीएडी उप-घटक के तहत क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं (आरडीडीएलएस) को क्षेत्रीय स्तर पर पशुधन मालिकों हेतु पशु चिकित्सकों और परा-पशु चिकित्सकों को पशु चिकित्सा सेवाओं/प्रौद्योगिकियों के विस्तार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हिमालय और पूर्वोत्तर राज्यों में आईसीएआर-आईवीआरआई द्वारा लागू किए जा रहे नियमित टीएसपी कार्यक्रमों के माध्यम से ऊंचाई पर रहने वाले पशुओं की देखभाल और प्रबंधन के संबंध में विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए समिति ने हालांकि इस तथ्य पर चिंता व्यक्त की है कि देश में एवियन इंफ्लूएंजा के बड़े पैमाने पर वार्षिक रूप से होने के बावजूद विभाग पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री स्वास्थ्य और टीकाकरण के क्षेत्र में प्रशिक्षण और शिक्षा के संबंध में वीसीआई के लिए अलग और विशिष्ट दिशा-निर्देश या प्रावधान निर्धारित करने में विफल रहा है। इसलिए समिति विभाग से यह सिफारिश करती है कि वह एलएच एंड डीसी योजना के एएससीएडी उप-घटक के माध्यम से सेवा में पशु चिकित्सकों और परा-पशु चिकित्सकों को नियमित प्रशिक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा विकसित करने के साथ-साथ देश में मौजूदा स्थितियों के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। समिति इस संबंध में विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में अवगत होना चाहती है।

सरकार का उत्तर

विभाग ने जूनोटिक की नियंत्रण और रोकथाम के साथ-साथ एवियन इन्फ्लूएंजा, ग्लैंडर्स, रेबीज, अफ्रीकी स्वाइन ज्वर और लम्पी स्किन रोग जैसी महत्वपूर्ण बीमारियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना और परामर्शिका विकसित की है, जो ओआईई द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप है। इन कार्य योजनाओं और परामर्शिका में सूचना के माध्यम से रोग नियंत्रण और रोकथाम रणनीतियाँ, आम जनता को संवेदनशील बनाना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियानों के साथ-साथ पशु चिकित्सकों और अन्य हितधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश और रोग नियंत्रण जानकारी शामिल हैं। विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों और रोग निदान में शामिल पशु चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को ओआईई, एफएओ, डब्ल्यूएचओ जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नियमित रूप से नामांकित किया जाता है। संशोधित एलएच एंड डीसी योजना के तहत, अनुसंधान और नवाचार, प्रचार और जागरूकता, प्रशिक्षण आदि के लिए आईसीएआर संस्थानों / अन्य संस्थानों को 100% वित्तीय सहायता का प्रावधान है। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसंधान और नवाचार, प्रचार और जागरूकता, उनकी स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण, भौगोलिक स्थिति, पशुओं की आबादी के प्रकार, रोग की स्थिति और उपलब्ध अवसंरचना जिसमें जनशक्ति की स्थिति और क्षमताएँ शामिल हैं के लिए एएससीएडी के तकनीकी दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

<u>पशुचिकित्सा वैक्सीन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एलएच एंड डीसी योजना के घटक</u>

(सिफारिश सं. 20)

समिति ने यह नोट किया है कि पशु चिकित्सा टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करने वाली एलएच एंड डीसी योजना के उप-घटक पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी) प्रदान करते हैं जो पशुधन और पोल्ट्री के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को टीकाकरण और मौजूदा राज्य पशु चिकित्सा जैविक उत्पादन इकाइयों को मजबूत करके सहायता प्रदान करते हैं, पेस्ट डेस पेटिट्स जुगाली नियंत्रण कार्यक्रम (पीपीआर-सीपी) जिसमें सभी अति संवेदनशील बकरियों और भेंडों और बाद की तीन पीढ़ियों का टीकाकरण शामिल है और क्लासिकल स्वाइन ज्वर कंट्रोल प्रोग्राम (सीएसएफ-सीपी) जो देश के पूर्वोत्तर राज्यों की सुअर आबादी के टीकाकरण पर केंद्रित फुट एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम (एफएमडी-सीपी) और ब्रूसेलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम (बी-सीपी) भी वर्ष 2019 तक एलएच एंड डीसी के तहत दो उप-घटक थे, लेकिन बाद में उन्हें राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) पर नई केंद्रीय क्षेत्र योजना में शामिल किया गया। समिति ने यह भी नोट किया है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा विभिन्न पशु रोगों के विरूद्ध पशुओं का टीकाकरण किया जाता है, जिसमें विभाग एलएच एंड डीसी योजना के तहत निधियां प्रदान करके वैक्सीन और टीकाकरण लागत की दिशा में उनसे प्रयासों की पूर्ति करता है। तथापि, वर्ष 2019-20 के दौरान मिलियन खुराकों में टीकाकरण के संदर्भ में उप-घटकों के तहत भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियां समिति की चिंताएं बढ़ाती हैं। एफएमडी-सीपी के तहत, 456 मिलियन के लक्ष्य के मुकाबले केवल 182.5 मिलियन खुराकें दी गई थीं; एएससीएडी के तहत 150 मिलियन के लक्ष्य के मुकाबले केवल 71.2 मिलियन खुराकें दी गई थीं; पीपीआर-सीपी के तहत 50 मिलियन के लक्ष्य के मुकाबले 38.9 मिलियन खुराकें दी गई थीं और सीएसएफ-सीपी के तहत कुल वैक्सीन की केवल 0.3 मिलियन खुराकें दी गई थीं। समिति आगे यह नोट करने के लिए बाध्य है कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों के क्लासिकल स्वाइन ज्वर से सबसे ज्यादा प्रभावित होने

के बावजूद वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसएफ-सीपी के तहत दी गई टीकाकरण खुराक शून्य थी और विभाग को अभी तक इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड (आईआईएल) हैदराबाद के अलावा वैक्सीन निर्माताओं को लैपिनाइज्ड सेल कल्चर सीएसएफ वैक्सीन प्रौद्योगिकी के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संबंध में निर्णय लेना है। इसलिए समिति विभाग से एलएच एंड डीसी उप-घटकों के तहत निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पशुधन का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश करती है और प्रशासनिक देरी के कारण वैक्सीन निर्माण में बाधा नहीं आ सके। समिति इस दिशा में उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहती है।

सरकार का उत्तर

पशु चिकित्सा टीकों /जैविकीय और दवाओं, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता का निर्माण, पशु चिकित्सा बुनियादी ढांचे, उभरती बीमारियों के खतरों का आकलन, रोग नियंत्रण और चल रहे पशुधन स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा सहित स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर नीतिगत इनपुट के लिए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए), भारत सरकार की अध्यक्षता में पशु स्वास्थ्य संबंधी एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएएच) का गठन किया गया है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एलएच एंड डीसी के तहत पुनरीक्षित और संशोधित योजना के अंतर्गत, पीपीआर के लिए कार्पेट टीकाकरण हेतु भेड़ और बकरी की 100%पात्र आबादी को शामिल करने की योजना है। इसी तरह, सीएसएफ के लिए टीकाकरण के तहत 100% पात्र सुअर आबादी को शामिल करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को एफएमडी और ब्रुसेलोसिस के अलावा गंभीर रूप से महत्वपूर्ण बीमारियों जैसे पीपीआर, सीएसएफ के लिए शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिन्हें पहले ही एनएडीसीपी के तहत 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। इससे राज्य के बजट में राज्य के हिस्से को

देरी से जारी करने/उसके अपर्याप्त प्रावधान के कारण आने वाली बाधाओं को दूर करके टीकाकरण कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर लागू करने में मदद मिलेगी।

डीएएचडी,निर्बाध लाजिस्टिक सुनिश्चित करने के लिए एलएच एंड डीसी उप-घटकों के तहत निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पशुओं का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) के तहत एक कार्यक्रम लॉजिस्टिक एजेंसी की सेवाएँ लेगा ताकि प्रशासनिक देरी के कारण यह निर्माताओं को बाधित न करे। इसके अलावा, पीएलए टीकों की खुराक, टीकाकरण की समय-सूची और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर टीकों की आपूर्ति की आवश्यकता का आकलन करने के लिए केंद्रीय कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी के साथ समन्वय करेगा। टीकाकरण शुरू करने और टीके की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की तैयारियों का आकलन करने के लिए उनसे पहले से संपर्क किया जाएगा। तदनुसार, टीकों की आपूर्ति समय सूची के अनुसार की जाएगी।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

<u>राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी)</u>

(सिफारिश सं. 21)

समिति ने यह नोट किया है कि एनएडीसीपी एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें एफएमडी के मुकाबले द्विवार्षिक टीकाकरण के लिए देश में पशुओं, भैंसों, भेड़ों, बकरियों और सूअरों के शत-प्रतिशत टीकाकरण कवरेज की परिकल्पना की गई है और ब्रुसेलोसिस के प्रति जीवन काल में एक बार मादा पशुओं और भैंस बछड़ों (4-8 महीने की आयु) के शत-प्रतिशत टीकाकरण की भी परिकल्पना की गई है। तथापि, समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि वर्ष 2020-21 के लिए 2705.00 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आवंटन के प्रति विभाग को केवल 1300.00 करोड़ रुपये

आवंटित किए गए थे जिसे आरई चरण में और घटाकर 858.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इसके अलावा वर्ष 2021-22 के लिए 1560.00 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आवंटन के प्रति विभाग को एनएडीसीपी के लिए केवल 1100.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। समिति यह नोट करके भी असंतुष्ट है कि पशुओं और भैंसों के एफएमडी टीकाकरण के पहले दौर को पूरा करने के लिए पर्याप्त टीका उपलब्ध होने के बावजूद, एफएमडी टीकाकरण का पहला दौर जो मार्च, 2020 से कोविड संबंधित लॉकडाउन के कारण पहले से ही विलंबित था, को इस तथ्य के कारण और निलंबित कर दिया गया था कि एफएमडी के मुकाबले टीकों के गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण परिणामों नें निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया। समिति ब्रुसेलोसिस टीकाकरण के संबंध में विभाग द्वारा की गई 'शून्य उपलब्धियों' से भी नाराज है। इसके अलावा विभाग के प्रतिनिधि ने समिति को यह सूचित किया कि शोध में बाधाओं के कारण टीकों के अलग-अलग बैच की जांच संभव नहीं है। एनएडीसीपी के तहत टीकाकरण अभियान के कार्यान्वयन की गति से निराशा व्यक्त करते हुए समिति सिफारिश करती है कि विभाग गुणवत्ता परीक्षण और वैक्सीन खरीद के संबंध में कड़े उपायों को नियोजित करे और साथ ही टीकाकरण के लिए यथार्थवादी लक्ष्य भी निर्धारित करे और दी गई समय सीमा के भीतर उनकी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करे। समिति इस दिशा में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहती है।

सरकार का उत्तर

एनएडीसीपी के तहत, दोनों टीकों (एफएमडी और ब्रुसेला) को एक व्यापक गुणवत्ता परीक्षण प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्षेत्र में केवल अच्छी गुणवत्ता वाले टीकों की आपूर्ति की जाए। एफएमडी टीकाकरण के पहले दौर के गुणवत्ता परीक्षण परिणामों के बाद, विभाग ने न केवल निर्माताओं के स्तर पर मुद्दों का निदान करने

के लिए बल्कि अगले दौर के लिए गुणवत्ता वाले टीके की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं जो निम्नानुसार हैं:

• सचिव (डीएएचडी) ने मध्य- अक्तूबर 2020 से वैक्सीन निर्माताओं के साथ कई दौर की चर्चा की, जिसके बाद आईसीएआर के वैज्ञानिकों और वैक्सीन निर्माताओं के बीच बातचीत हुई।

• एफएमडी वैक्सीन के लिए वांछित गुणवत्ता परिणाम प्राप्त करने के प्रयास स्वरूप,विभाग ने निर्माताओं के साथ परीक्षण के परिणाम और संदर्भ सामग्री साझा की है (जो पहले भी निर्माताओं के साथ खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप देते समय साझा की गई थी)।

• मौजूदा वैक्सीन गुणवत्ता परीक्षण प्रोटोकॉल पर निर्माताओं के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

• एक तकनीकी समिति ने भी सभी निर्माताओं की उत्पादन प्रक्रियाओं की समीक्षा भी की है।

• विभाग और आईसीएआर भी कोविड-19 महामारी से संबंधित अन्य चुनौतियों के बावजूद प्रयोगशालाओं द्वारा गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए आवश्यक संख्या में सेरोनिगेटिव बछड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और गुणवत्ता परीक्षण में तेजी लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

• प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के करीबी सहयोग से, विभाग बीएमजीएफ और डब्ल्यूआरएल, पिरब्राइट संस्थान के साथ सहयोग कर रहा है, जो न केवल हमारे एफएमडी वैक्सीन निर्माताओं को गुणवत्ता वाले टीके का उत्पादन करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं, बल्कि एक वैकल्पिक इन-विट्रो परीक्षण पद्धति विकसित करने के लिए भी मिलकर काम कर रहे हैं,जिससे न केवल परीक्षण की समग्र अवधि काफी कम होने की

उम्मीद है बल्कि लक्षित प्रजातियों के पशुओं के उपयोग से भी बचा जा सकेगा, जो कि लाजिस्टिक रूप से चुनौतीपूर्ण है।

• इसके अलावा, पशु स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर स्वतंत्र विशेषज्ञों वाली एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विभाग को सलाह दी जा रही है।

• साथ ही, विभाग क्यूसी परीक्षण मापदंडों से समझौता किए बिना टीकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विदेशी निर्माताओं से एफएमडी टीकों की खरीद की संभावना तलाश रहा है।

• मैसर्स आईआईएल ने डीएएचडी द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हुए एफएमडी वैक्सीन की आपूर्ति शुरू कर दी है और एफएमडी वैक्सीन की आपूर्ति 17 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में की जा चुकी है, जिनमें से 12 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने पहले ही टीकाकरण शुरू कर दिया है।

ब्रुसेला के लिए टीके के संबंध में स्थिति इस प्रकार है -

• वर्ष 2021 में, ब्रुसेला वैक्सीन की आपूर्ति के लिए पीएलए (नेफेड) और निर्माता (सैन्विटा बायोटेक्नालोजिस प्रा. लि.)के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

• क्षेत्र में टीकों की आपूर्ति करने से पहले टीकों का क्यूसी परीक्षण किया जाता है।

• नवंबर'21 तक, 20 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को ब्रुसेला वैक्सीन की आपूर्ति की जा चुकी है, जिनमें से 15 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में टीकाकरण पहले ही शुरू हो चुका है।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

<u>पशु स्वास्थ्य में विधायी बैक-अप</u>

(सिफारिश सं. 24)

समिति नोट करती है कि दो केंद्रीय अधिनियम मौजूद हैं, 'पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009' और 'पशुधन आयात अधिनियम, 1898', जो क्रमश: देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण संक्रामक और सांसर्गिक रोगों की रोकथाम और प्रसार के साथ-साथ अनुसूचित पशु रोगों और विदेशी पशु रोग के प्रवेश को रोकने के लिए देश में पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात के नियमन, प्रतिबंध या निषेध के साथ की अनिवार्य रिपोर्टिंग से संबंधित हैं। हालांकि, समिति को लगता है कि देश में पशु चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर और अधिक सरकारी कानून की आवश्यकता है, साथ ही समिति के अनुसार, न्यूनतम पशु चिकित्सा पर्यवेक्षण के साथ-साथ पशु चिकित्सा दवाओं और हार्मोन का अंधाधुंध उपयोग डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों में उनके अवशिष्ट संचय को बढ़ाता है और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) जैसी समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं; पशु कल्याण और बिक्री के लिए, बूचड़खानों में, राज्य की सीमाओं को पार करने आदि के लिए पशुओं के साथ अनैतिक व्यवहार पर नीतियों के साथ-साथ गैर-अनुपालन के मामलों को देखने और सुलझाने; बेकार पशुओं और रोगग्रस्त मवेशियों के निपटान के लिए प्रोटोकॉल, इसे संक्रमण का स्रोत बनने से रोकने आदि के लिए विभाग द्वारा निर्विवाद कानून की आवश्यकता है। अत:, समिति विभाग से पशु स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर समग्र दृष्टिकोण अपनाने और समग्र दृष्टिकोण के साथ प्रासंगिक कानूनों का प्रारूप तैयार करने की दिशा में काम करने की सिफारिश करती है। समिति को इस दिशा में किए गए उपायों से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

केंद्रीय अधिनियम नामतः, 'पशुओ में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009': का उद्देश्य निम्नलिखित है -

• आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण संक्रामक और सांसर्गिक रोगों को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलने से रोकने के लिए।

• पशुधन के प्रमुख आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण संक्रामक और सांसर्गिक रोगों के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए देश के भीतर "नियंत्रित" और "उन्मूलन क्षेत्रों" की स्थापना करना।

• राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्व के पशु रोगों को नियंत्रित करना और भारत के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करते हुए पशुओ और पशु उत्पादों के आयात और निर्यात को बढ़ावा देना।

यह अधिनियम जूनोटिक रोगों सहित पशुधन और कुक्कुट रोगों के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए विधायी समर्थन प्रदान करता है। केंद्रीय कानून "पशुधन आयात अधिनियम 1898" को पशुधन और पशुधन उत्पाद आयात अधिनियम (2001) के रूप में संशोधित किया गया, जो देश में पशुधन और पशुधन उत्पादों के सभी आयात और निर्यात को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम की धारा 3क के तहत, केंद्र सरकार के पास ऐसे पशुधन और पशुधन उत्पादों के प्रवेश को विनियमित, प्रतिबंधित या निषेध करने की शक्तियां हैं, जो मानव और पशु स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।

इसके अलावा, विभाग देश में जूनोटिक रोगों के प्रसार से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठा रहा है।

क) जूनोटिक और अन्य बीमारियों के प्रसार को रोकने हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए समय-समय पर राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शिका जारी की गई है।

ख) जुनोसिस से बचाव के लिए विभाग ने पोल्ट्री फार्मों के लिए जैव सुरक्षा नियमावली जारी की है। इसके अलावा, विभाग ने एवियन इन्फ्लुएंजा, ग्लैंडर्स, अफ्रीकी स्वाइन फीवर और लम्पी त्वचा रोग जैसी बीमारियों के बचाव नियंत्रण और रोकथाम के लिए कार्य योजना और परामर्शिका भी बनाई है।

ग) रोग नियंत्रण और रोकथाम के अमेरिकी केंद्रों के सहयोग से विभाग मानव स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य क्षेत्रों के अधिकारियों को शामिल करते हुए उभरते जूनोटिक रोगों पर वन हेल्थ टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन कर रहा है।

घ) इसके अलावा, रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए बहु-क्षेत्रीय समन्वय वाले दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है। विभाग द्वारा निम्नलिखित संयुक्त तंत्र के माध्यम से अन्य विभाग के साथ एवियन इन्फ्लुएंजा और महामारी इन्फ्लुएंजा (एच1एन1), ग्लैंडर्स, रेबीज, सीसीएचएफ़ आदि जैसे जूनोटिक रोगों के लिए अच्छी तरह से समन्वित निगरानी तंत्र स्थापित करने का प्रयास किया गया है:

1) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एवियन इन्फ्लुएंजा पर संयुक्त निगरानी समूह जिसमें डीएडीएफ़, डबल्यूएचओ,एनसीडीसी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आईसीएमआर आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं।

2) स्वाइन इन्फ्लुएंजा संबंधी कार्य दल

3) रेबीज संबंधी संयुक्त कार्रवाई समिति।

4) एएमआर संबंधी संयुक्त कार्य समूह

एन्टीमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स (एएमआर) के मामले में, खाद्य सुरक्षा और मानकों के संबंध में एफएसएसएआई नियामक निकाय और राष्ट्रीय कोडेक्स नियंत्रण बिंदु होने के नाते, नियमित रूप से दवाओं और एंटीबायोटिक दवाओं की सहिष्णुता सीमा और खाद्य पदार्थों और पशु चारे में कीटनाशकों की एमआरएल (अधिकतम अवशिष्ट सीमा) को अधिसूचित और विकसित करता है। इसके अलावा, आईसीएआर, कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद एंटीबायोटिक विकास प्रमोटरों के प्रतिस्थापन के रूप में उपयोग करने के लिए औषधीय पौधों पर अनुसंधान कर रहा है। एफएओ के सहयोग से आईसीएआर ने वर्ष 2017 से खाद्य जीवों और जलीय कृषि में एएमआर निगरानी पर एक नेटवर्क कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें एफएओ के तकनीकी सहयोग से 21 प्रयोगशालाएं (पशु विज्ञान में 12 और मत्स्य विज्ञान में 9) काम कर रही हैं। आईसीएआर-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, कोलकाता/इज्जतनगर और आईसीएआर-राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीएफजीआर), लखनऊ क्रमशः पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए समन्वय केंद्र/संस्थान के रूप में कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन भारत में मानव स्वास्थ्य की रक्षा, पशु स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा की सुरक्षा के लिए एएमआर पर राष्ट्रीय कार्य योजना का एक महत्वपूर्ण घटक होगा और वन हेल्थ के तहत भी एक घटक हो सकता है। आईएनएफ़एएआर के उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

क) प्रभावी संचार, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से एन्टीमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स (एएमआर) के बारे में जागरूकता और समझ में सुधार करना;

ख) निगरानी और अनुसंधान के माध्यम से ज्ञान और साक्ष्य के आधार को सुदृढ़ करना;

ग) प्रभावी साफ-सफाई, स्वच्छता और संक्रमण की रोकथाम के उपायों के माध्यम से संक्रमण की घटनाओं को कम करना;

घ) मानव और पशु स्वास्थ्य में एन्टीमाइक्रोबियल दवाओं के उपयोग को अनुकूलित करना; और

ङ) सभी देशों की जरूरतों को ध्यान में रखकर सतत निवेश के लिए आर्थिक स्थितियों को विकसित करना और नई दवाओं, नैदानिक उपकरणों, टीकों और अन्य हस्ताक्षेपों में निवेश बढ़ाना।

वर्तमान में नेटवर्क प्रयोगशालाएं निम्नलिखित प्रमुख/सूचक रोगाणुओं पर कार्य कर रही हैं:

पशुधन क्षेत्र: ई. कोली, स्टैफिलोकोकस ऑरियस
मत्स्य पालन क्षेत्र: ई. कोली, एरोमोनास, विब्रियो

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) ने औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 (31 दिसंबर, 2016 तक यथासंशोधित) तैयार किए, इन नियमों में औषधि और प्रसाधन सामग्री का विनिर्माण, बिक्री और वितरण सहित प्रयोग की सामान्य परिस्थितियों में पशुओं को दी जाने वाली औषधि के उपयोग और लक्षण समाप्ति (विदड्रावल) की अवधि और औषधि दिए हुए ऐसे पशुओं से खाद्य पदार्थों का उत्पादन शामिल है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया हो कि इन खादय पदार्थों में निर्धारित अधिकतम अवशिष्ट सीमा से अधिक मात्रा में अवशिष्ट नहीं हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) ने भी खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 तैयार किये हैं जिसमें पशुधन उत्पादों का माइक्रोबियल विश्लेषण शामिल है। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग के अधीन भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के पास पशु कल्याण, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण

(वधशाला), पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशु-गृह पंजीयन), पशुधन बाजार, पशुओं की देखरेख और रखरखाव आदि से संबंधित नियम हैं।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

<u>ओआईई द्वारा आयोजित भारत के पशु चिकित्सा सेवाओं (पीवीएस) मूल्यांकन संबंधी उपलब्धि – विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआईई-पीवीएस)</u>

(सिफारिश सं. 26)

समिति का मानना है कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा देश में पशु चिकित्सा सेवाओं के निष्पादन के मूल्यांकन के कारण कई सिफारिशें की गई जिन्हें ओआईई-पीवीएस रिपोर्ट में शामिल किया गया और जिन्हें हमारी पशु चिकित्सा सेवाओं के समग्र मूल्यांकन के बाद एक साथ रखा गया है। समिति का मानना है कि ओआईई-पीवीएस रिपोर्ट की कई सिफारिशों के अलावा, उचित प्रशिक्षण और हर स्तर पर संयोजित किया गया कर्मचारियों की भर्ती सहित कुछ अन्य क्षेत्रों के साथ प्रमुख सिफारिशों पर जोर दिया जाना है; राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (निहसाद) भोपाल, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएएच) बागपत, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) आदि जैसे प्रमुख पशु चिकित्सा संस्थानों को कौशल उन्नयन और निरंतर पशु चिकित्सा शिक्षा (सीवीई) कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण, सेवा में पशु चिकित्सा और परा-पशु चिकित्सा पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए नियोजित करना; राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की तर्ज पर पशुधन आबादी के लिए खोजने में सुविधा के उद्देश्य से ब्लॉक स्तर पर डाटाबेस तैयार करना जिसके लिए निजी क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है; और योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में एकरूपता बनाए रखने का प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि नीति कार्यान्वयन के विविध चैनलों के परिणामस्वरूप भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। इसलिए समिति विभाग को उपर्युक्त उद्देश्यों को

पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने और पशु चिकित्सा सेवाओं के संबंध में ओआईई-पीवीएस रिपोर्ट को निर्देशिका के रूप में अनुपालन और कार्यान्वित करने की सिफारिश करती है। समिति को इस संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से और ओआईई-पीवीई रिपोर्ट की सिफारिशों पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में विस्तृत रिपोर्ट से भी अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

इस संबंध में समिति की सिफारिशों को नोट किया जाता है। विभाग प्रशिक्षण, कल्याण, जूनोसिस और जन जागरूकता आदि सहित ओआईई-पीवीएस रिपोर्ट की अन्य सिफारिशों के लिए आवश्यक उपाय भी कर रहा है। इसने एलएच एंड डीसी योजना और पीईडी के कार्यकलापों को संशोधित किया है, जो पहले एलएच और डीसी योजना का एक घटक था। उसका अब एएससीएडी घटक के साथ विलय कर दिया गया है। प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है जिसमें राज्यों को शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता की परिकल्पना की गई है। वर्तमान एलएच एंड डीसी योजना में एएससीएडी घटक के तहत अब भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) को सहायता अनुदान जारी रहेगा।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पशु-चिकित्सकों, परा-पशु चिकित्सकों, अन्य प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, प्रयोगशाला निदान विशेषज्ञों के प्रशिक्षण/बर्ड फ्लू के लिए मॉक ड्रिल आदि के लिए सतत पशु चिकित्सा शिक्षा (सीवीई) कार्यक्रमों की व्यवस्था करेंगे। योजना की निगरानी पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) के सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) के माध्यम से की जाएगी। एनएससी एलएच एंड डीसी योजना के कार्यकलापों की देखरेख करेगा, समग्र दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन देगा, इसकी प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी और समीक्षा करेगा।

इसके अलावा, डीएएचडी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ भी सहयोग कर रहा है ताकि एनआरएलएमएसएचजी सदस्यों में से ए-हेल्प (पशु स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट) के रूप में ज्ञात ग्राम स्तर के स्व-नियोजित पशु चिकित्सा सेवा प्रदाता तैयार करके किसानों तक व्यापक पहुंच बनाई जा सके। ये मुख्यत: प्रशिक्षित महिलाएं होंगी, जो केंद्र या राज्य सरकार की ओर से ब्लॉक पशु चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में बुनियादी पशुधन स्वास्थ्य सेवाएं और पशुधन से संबंधित अन्य कार्यकलापों का संचालन करेंगी, और भुगतान के आधार पर स्थानीय पशुपालकों को सेवाएं भी प्रदान करेंगी, इस प्रकार स्वयं के लिए आजीविका पैदा करेंगी।

वर्तमान में पशु टैगिंग विभाग द्वारा टीकाकरण के साथ-साथ उन जानवरों की पहचान के लिए अपने सभी पशुधन टीकाकरण कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए नियोजित किया जाता है जहां कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) का पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य के लिए सूचना नेटवर्क (आईएनएपीएच) पोर्टल, आईएनएपीएच पर विशिष्ट रूप से पंजीकृत पशुओं के लिए केंद्रीय डेटाबेस के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) के तहत पशुओं (टीका लगे हुए) को पंजीकृत करने के लिए एनडीडीबी को और आईएनएपीएच डेटाबेस के रख-रखाव के लिए आईएनएपीएच के पशु स्वास्थ्य मॉड्यूल के माध्यम से डेटा संग्रहित करने और ईयर-टैगिंग हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कार्यान्वयन एजेंसियों/ पशुधन विकास बोर्डों को 100 प्रतिशत केंद्रीय निधियन प्रदान किया जाता है। केंद्रीय रूप से स्थापित कॉल सेंटर के साथ आईएनएपीएच का संपर्क, एनएडीसीपी और एनएआईपी के तहत जमीनी स्तर पर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के सत्यापन को सक्षम बनायेगा।

इयर-टैग्स की आवश्यकता और टैगिंग शेड्यूल को कम से कम टीकाकरण अभियान शुरू होने से पहले अच्छी तरह से जिलेवार तैयार किया जाता है और केंद्रीय रूप से खरीद की जाती है। ब्लॉक स्तर पर, बीवीओ यह सुनिश्चित करते हैं कि इयर-टैगिंग में शामिल तकनीशियन प्रक्रिया

से अवगत हों और आईएनएपीएच के पशु स्वास्थ्य मॉड्यूल के अनुसार आवश्यक संगत विवरण दर्ज करें।

राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन, जिसकी परिकल्पना एक किसान-केंद्रित प्रणाली के रूप में की गई है, जहां आधुनिक सूचना अवसंरचना और अनुप्रयोग किसानों को सेवाओं और सूचनाओं तक निर्बाध रूप से पहुंचने में सक्षम बनाएंगे, निजी क्षेत्र की बेहतर भागीदारी में मदद करेंगे ताकि किसान और बाजार दोनों की एक-दूसरे तक पहुंच हो सके; पशुधन क्षेत्र के लिए मजबूत क्लोज्ड-लूप प्रजनन प्रणाली, रोग निगरानी, नियंत्रण और पता लगाने की क्षमता संबंधी कार्यक्रम बनाने; विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों के बीच बेहतर संपर्क के साथ-साथ क्षेत्र में शोध और विकास प्रणालियों के बीच संबंध को बढ़ावा देगा।

प्रचार और जागरूकता संबंधी प्रावधान विशेष रूप से टीकाकरण कार्यक्रमों (एफएमडी, ब्रूसेलोसिस, पीपीआर और सीएसएफ) और साथ ही एएससीएडी के तहत प्रदान किया गया है, जिसमें सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का सरकार के पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रमों, जूनोटिक रोगों के खतरों के बारे में किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए ब्लॉक स्तर पर प्रचार और जागरूकता कार्यक्रमों पर जोर देंगे।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

<u>'वन हेल्थ' इनीशिएटिव</u>

(सिफारिश सं. 27)

यह देखते हुए कि 'वन हेल्थ' की अवधारणा में पशु स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है, समिति संक्रामक रोगों की

रोकथाम और नियंत्रण, वेब आधारित पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली – एनएडीआरएस, हानिकारक एंटीबायोटिक दवाओं के स्थान पर आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना आदि के बारे में कानून बनाकर विभाग द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकारती है। तथापि, समिति यह महसूस करती है कि जूनोसिस की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने के साथ कार्यक्रमों और नीतियों की भूमिका को अनुकूलित करने के लिए अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वय और सहयोग के संबंध में और अधिक कार्य किए जाने; जीवों से उत्पन्न खाद्य पदार्थों की बेहतर सुरक्षा; एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर)/एंटी माइक्रोबियल यूज (एएमयू) की रोकथाम और प्रबंधन; मानव स्वास्थ्य पर पोल्ट्री फार्मिंग और पशुधन पालन में दवाओं के अधिक दुरुपयोग के दुष्परिणामों का पता लगाने के लिए अध्ययन करना; पशु कल्याण पर एक कानून लाना; और सभी प्रयोगशालाओं में जैव बचाव उपायों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। खाद्य, पशु और जलकृषि में एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस(एएमआर) पर नेटवर्क कार्यक्रम निगरानी के तहत विभाग द्वारा परिभाषित उद्देश्य मूलत: जूनोसिस की रोकथाम और दवाओं के ओवरडोज के दुष्प्रभावों की दिशा में निर्देशित गतिविधियां हैं। इसलिए समिति विभाग से मत्स्यपालन और पशु रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए भारतीय नेटवर्क (आईएनएफएएआर) द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूरी गंभीरता से आगे बढ़ाने की सिफारिश करती है, जबकि विभाग 'वन हेल्थ' अवधारणा के तहत परिकल्पित आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए देश में जूनोटिक रोगों के प्रसार से संबंधित मुद्दों से निपटाने के लिए अपने प्रयासों को भी जारी रखे हुए है। समिति को इस दिशा में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

विभाग ने 'वन हेल्थ' अवधारणा के तहत परिकल्पित आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए देश में जूनोटिक रोगों के प्रसार से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं।

क) विभाग पशु रोगों के नियंत्रण (एएससीएडी) के लिए राज्यों को सहायता के तहत जूनोटिक और अत्यधिक संचारी रोगों सहित रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है। यह कार्यक्रम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को जूनोटिक रोगों सहित आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बीमारी जो केंद्रीय कार्यक्रमों के तहत शामिल नहीं हैं, के नियंत्रण के लिए सहायता प्रदान करता है। कार्यक्रम में निगरानी और मॉनिटरिंग, रोग निदान प्रयोगशालाओं को मजबूत करना, जैविकीय उत्पादन इकाई, पशु रोगों के लिए टीकाकरण और पशुओं में विदेशी और उभरती हुई बीमारियों की निगरानी भी शामिल है। इसके अलावा, एफएमडी और ब्रुसेलोसिस (एनएडीसीपी) के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, एफएमडी के अलावा, इसमें ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करने के लिए पशुओं में गहन ब्रुसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप पशुओं और मनुष्यों, दोनों में रोग का प्रभावी प्रबंधन होगा। विभाग, आईसीएआर-एनआईएचएसएडी, भोपाल और आईसीएआर-एन. आई.वी.ई.डी.आई, बैंगलोर को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो क्रमशः एवियन इन्फ्लुएंजा और ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारी की निगरानी में लगे हुए हैं।

संशोधित एलएच एंड डीसी योजना के तहत शोध और नवाचार, प्रचार और जागरूकता, प्रशिक्षण आदि के लिए आईसीएआर संस्थानों/अन्य संस्थानों को 100% वित्तीय सहायता का प्रावधान है। राज्य को शोध और नवाचार, प्रचार और जागरूकता, प्रशिक्षण हेतु उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एएससीएडी के तकनीकी दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

ख) 7 अप्रैल, 2021 को पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी), मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, यह ज्ञापन औषधीय जड़ी बूटियों के माध्यम से पशु चिकित्सा विज्ञान हेतु गुणवत्तापूर्ण दवाओं में नए फॉर्मूलेशन संबंधी शोध सहित शोध और विकास में आयुर्वेद के प्रचार

द्वारा पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद और इससे संबद्ध विषयों की अवधारणा को शामिल करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया। इस सहयोग का उद्देश्य पशु स्वास्थ्य, पशुपालकों के समुदाय और बड़े पैमाने पर समाज के लाभ के लिए पशु चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद के उपयोग के लिए एक विनियामक तंत्र विकसित करना है।

यह किसानों को अपने जानवरों में कई सामान्य बीमारियों का प्रबंधन करने के लिए एक अत्यंत प्रभावी लागत, सरल और प्रभावशाली प्रबंधन विकल्प प्रदान करेगा जो उनकी आय को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। यह दवाओं, विशेष रूप से एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को युक्तिसंगत बनाने में मदद करेगा और इस तरह एंटीमाक्रोबियल रेसिस्टेंस (एएमआर) के उद्भव को रोकेगा।

इसके अलावा, विभाग में एक शिक्षा समिति का गठन किया जा रहा है, जो इस विषय की बुनियादी समझ के लिए आयुर्वेदिक पशु चिकित्सा (एवीएम) और अन्य पारंपरिक रूपों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करेगी। यह समिति पशु चिकित्सा आयुर्वेद से युक्त शिक्षण सामग्री तैयार करेगी और एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करेगी, जिसमें पशु चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेदिक चिकित्सा के सिद्धांत भाग के साथ-साथ व्यावहारिक प्रयोज्यता भी शामिल होगी।

ग) पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) ने देश की खाद्य और पौषणिक सुरक्षा का समर्थन करने के लिए भारत के पशुधन क्षेत्र में निरंतर सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

पशुधन क्षेत्र के विकास में पशुपालन अवसंचना को मजबूत करने, उद्यमिता विकास और 'वन हेल्थ' ढांचे को लागू करने की परिकल्पना की गई है। इस सहयोग के माध्यम से, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन नई प्रौद्योगिकियों के डिजाइन और वितरण और स्थानीय संदर्भ में प्रासंगिक सर्वोत्तम तौर-तरीकों के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

समिति की टिप्पणियाँ

समिति की टिप्पणियों के लिए, कृपया प्रतिवेदन के **अध्याय-I के पैरा 1.34** का संदर्भ लें।

<u>पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु स्वास्थ्य संबन्धित अन्य मुद्दे</u>

(सिफारिश संख्या 28)

समिति का मानना है कि देश में पशु चिकित्सा सेवाओं के भीतर अल्प चर्चित समस्याओं में पशुपालकों को मुफ्त पशु चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं की कमी, शिकायत निवारण और पशुपालकों के लिए जानकारी की आसानी से उपलब्धता और पशु चिकित्सा सेवाओं में समावेशन शामिल हैं। विभाग के पास किसी भी सुविधा/स्वास्थ्य योजना/ पैनल का अभाव है जिससे पशुपालकों या पोल्ट्री मालिकों को उनके रोगग्रस्त पशुओं या मुर्गियों के लिए उपचार के दौरान वहन की जाने वाली लागतों की प्रतिपूर्ति की जा सके, इसके बजाय विभाग केवल पशुधन और मुर्गी पालन के लिए मुफ्त टीकाकरण और डीवॉर्मिंग की व्यवस्था करता है। हालांकि, समिति यह नोट करती है कि गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहने वाली खुराकों के साथ टीकाकरण के मामले में, पशुधन मालिक यदि इन टीकों से मवेशियों या पशुधन में कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या होती है तो किसी भी मुआवजे का पात्र नहीं है। इसके अलावा, शिकायत निवारण संबंधी मुद्दे के संबंध में समिति ने यह नोट किया है कि एनआईसीनेट पर एनआईसी द्वारा लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सहयोग से केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित प्रणाली विकसित की गई है, जो मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को विभिन्न स्रोतों से शिकायत प्राप्त करने, उसे अग्रेषित करने और उनकी निगरानी करने की सुविधा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, राज्य नियमित रूप से रैठा संपर्क सभा के रूप में ब्लॉक स्तर पर

पशुधन मालिकों की जरूरतों पर चर्चा करने और उन्हें पूरा करने के लिए किसानों की संपर्क बैठकों का आयोजन करते हैं। तथापि, पशुधन और पॉल्ट्री मालिकों को दाना/चारा, टीकाकरण या अन्य सामान्य प्रश्नों के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने का कोई मंच नहीं है और इसके स्थान पर एक उमंग पोर्टल है जिस पर पशु चिकित्सालयों/ औषधालयों आदि के स्थान के संबंध में ऑनलाइन सूचना उपलब्ध है। समिति यह नोट करने पर विवश है कि विभाग के पास पशुधन मालिकों को उनके पशुधन को विफल टीकाकरण खुराक या घातक पशुधन रोगों के लिए प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है। समिति यह नोट करके निराश है कि विभाग और पशुधन पॉल्ट्री मालिकों के बीच संचार का कोई उचित चैनल नहीं है। इसलिए, समिति इन यथोचित लघु समस्याओं का संज्ञान लेते हुए विभाग से पशुधन और कुक्कुट पालकों को दोषपूर्ण टीकाकरण खुराकों अथवा पशु रोगों के कारण खोने वाले पशुधन और मुर्गियों के लिए सहायता सुनिश्चित करने हेतु एक व्यवस्था बनाने के साथ ही जमीनी स्तर पर हितधारकों के साथ संचार का सीधा चैनल सुनिश्चित करने और पशु चिकित्सा मुद्दों के समाधान के लिए एक 'वन-स्टॉप सेंटर' उपलब्ध कराने और देश के दूरदराज के क्षेत्रों में सूचना का प्रसार करने की दिशा में भी काम करने की सिफारिश करती है। समिति को इस दिशा में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

पशुपालन राज्य का विषय है और विभाग के पास पशुधन या कुक्कुट मालिकों द्वारा अपने रोगग्रस्त पशुओं या कुक्कुट के इलाज के दौरान वहन किए जाने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए कोई योजना नहीं है। विभाग ने पशुधन और कुक्कुट रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण द्वारा पशु स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को कम करने, पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना को संशोधित किया है जिसमें अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी, आकस्मिक और जूनोटिक पशुधन और कुक्कुट रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता

(एएससीएडी) और मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (ईएसवीएचडी) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण शामिल है। एएससीएडी के तहत फंडिंग पैटर्न ईएसवीएचडी (एमवीयू) के गैर-आवर्ती घटकों के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता और केंद्र एवं राज्य के बीच 60:40 और पर्वतीय तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत है।

एमवीयू किसानों/ पशु मालिकों को उनके द्वार पर निदान उपचार, टीकाकरण, मामूली सर्जिकल उपचार, ऑडियो-विजुअल एड्स और विस्तार सेवाएं प्रदान करेंगे। देश में प्रति 1 लाख पशुधन आबादी पर एक एमवीयू का समर्थन करने की परिकल्पना की गई है और पशु चिकित्सा सेवाओं की द्वार पर डिलीवरी शुरू करके कुछ हद तक पशु चिकित्सा सेवाओं की अपर्याप्त पहुंच और प्रवेश से निपटा जा सकता है। एमवीयू पशु चिकित्सा अस्पतालों/पॉलीक्लिनिकों/औषधालयों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली पशु चिकित्सा सेवाओं के अंतर को कम करेंगे और पशु चिकित्सा मुद्दों के समाधान और देश के दूरस्थ क्षेत्रों में सूचना के प्रसार के लिए वन-स्टॉप सेंटर के रूप में भी कार्य करेंगे। एमवीयू विस्तार कार्यकलापों के लिए निदान, उपचार, नमूना संग्रह, मामूली सर्जरी और दृश्य-श्रव्य सहायता आदि के लिए उपकरणों से लैस होंगे। हालांकि, मोबाइल वैन/वाहन, कॉल सेंटर और आउटसोर्स की गई जनशक्ति सेवाओं को चलाने पर होने वाले आवर्ती व्यय में केंद्र राज्य के लिए 60:40/ पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए 90:10/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% का केंद्रीय-राज्य निधि साझाकरण पैटर्न होगा। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एक कॉल सेंटर स्थापित करेगा जिसमें कॉल एक्जीक्यूटिव और पशु चिकित्सक होंगे। कॉल सेंटर इकाई में प्रत्येक 20 एमवीयू के लिए 1 पशुचिकित्सक और 3 कॉल एक्जीक्यूटिव होंगे। 100 एमवीयू के लिए, 6 कॉल एक्जीक्यूटिव के साथ 2 पशु चिकित्सक होंगे और अतिरिक्त प्रत्येक सौ एमवीयू के लिए, 1 पशु चिकित्सक और 3 कॉल एक्जीक्यूटिव की आवश्यकता होगी। पशु मालिक/परिवार कॉल सेंटर के निर्धारित नंबर पर कॉल करेंगे। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मौजूदा कॉल सेंटर के साथ एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर का कॉल सेंटर स्थापित/संरेखित

किया जाएगा। ऐसे कॉल सेंटर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पशुपालन विभाग के नियंत्रण में होंगे जिसमें राज्य द्वारा नामित एक नोडल अधिकारी होगा। कॉल सेंटर मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते समय धुरी के रूप में कार्य करेगा। कॉल सेंटर पशुपालकों/पशु मालिकों से कॉल प्राप्त करेगा और उन्हें कॉल सेंटर के पशु चिकित्सक को प्रेषित करेगा।

एमवीयू को निर्देशित करने का निर्णय पशु चिकित्सा मामले की आकस्मिक प्रकृति पर होगा जैसा कि कॉल सेंटर में पशु चिकित्सक द्वारा तय किया जायेगा। कॉल सेंटर एक्जीक्यूटिव फोन करने वाले से जानकारी एकत्र करेगा और सिस्टम में दर्ज करेगा। सिस्टम हर केस के लिए एक यूनिक आईडी जेनरेट करेगा। कॉल पर उपलब्ध पशुचिकित्सक मामलों की प्राथमिकता तय करेंगे। चिन्हित किए गए वाहन के साथ कॉल का पालन किया जाएगा और उपलब्ध एमवीयू को फोन करने वाले के स्थान पर (सिस्टम में स्वचालित रूप से आने का अपेक्षित समय प्रदर्शित होगा) तैनात किया जाएगा । पशु चिकित्सक/पैरा-पशु चिकित्सक आवश्यक पशु चिकित्सा सेवा और सलाह प्रदान करेंगे।

कॉल सेंटर एमवीयू के आवागमन और उपयोग की निगरानी और पशु मालिक के यूआईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली वास्तविक सेवाओं की पुष्टि करने और संबंधित राज्य के साथ डेटा साझा करने के लिए जिम्मेदार होगा।

कॉल सेंटर अनुवर्ती उपचार के लिए स्थानीय पशु चिकित्सा सर्जन और एआई के लिए पंजीकृत स्थानीय एआई तकनीशियन के साथ संप्रेषण के लिए जिम्मेदार होगा। कॉल सेंटर के पशुचिकित्सक किसानों को ऑनलाइन सलाह देने के लिए कॉल को एक्जीक्यूटिव या एआई तकनीशियन या मैत्री या परा पशु चिकित्सक के पास पहुंचाने के संबंध में निर्णय लेंगे।

एफएमडी, ब्रूसेलोसिस, पीपीआर और सीएसएफ के लिए टीकाकरण वाली योजना में सीरो-मॉनिटरिंग/ सीरो/क्लीनिकल सर्विलांस और वैक्सीन परीक्षण का प्रावधान शामिल है।

नामित/चिन्हित केंद्रीय/राज्य/आईसीएआर/विश्वविद्यालय प्रयोगशालाएं जहां भी आवश्यक हो, सीरो-मॉनिटरिंग, सीरो/क्लीनिकल निगरानी और वैक्सीन परीक्षण करेंगी। विषय विशेषज्ञों के साथ टीकों आदि के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए विस्तृत एसओपी को संबंधित हितधारकों के साथ साझा किया गया है। सामान्य रोग और इलाज, कृत्रिम गर्भाधान (एआई) के लाभ, प्रमुख नस्लों, प्रमुख टीकाकरण, केंद्रीय टीकाकरण से संबंधित जानकारी को उमंग पोर्टल पर लाइव दिखाया किया जाता है।

एलएच एंड डीसी योजना के एएससीएडी घटक के तहत, रोग / प्रकोपों के मामले में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है और केंद्र द्वारा किसानों को मुआवजे और परिचालन लागत संबंधी खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकार के पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रमों, जूनोटिक रोगों के जोखिम आदि के बारे में किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए ब्लॉक स्तर पर प्रचार और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को भी सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों को कार्यक्रम के बारे में व्यापक प्रचार करने के लिए परिचालन दिशानिर्देशों में सलाह दी जाती है ताकि लक्षित लाभार्थियों तक टीकाकरण, रोग नियंत्रण एवं रोकथाम के महत्व का संदेश पहुंच सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पशुधन स्वास्थ्य के आर्थिक प्रभाव पर जोर दिया गया है। दोनों प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टेलीविजन, रेडियो, सामुदायिक रेडियो, समाचार पत्र, पोस्टर, पत्रक, दीवार पेंटिंग-बैनर आदि, दोनों का उपयोग सामान्य जागरूकता और आने वाले टीकाकरण अभियान, विशेष रूप से टीकाकरण की तारीखों, पशुओं के आवागमन नियंत्रण, रोग के महत्व आदि के बारे में जागरूकता के लिए किया जाता है। समुदायों में व्यवहार परिवर्तन रणनीतियों को लागू करने के लिए निजी एजेंसियों/ राज्य सहकारी समितियों/ गैर सरकारी संगठनों का भी उपयोग किया जा सकता है।

पशुधन और कुक्कुट ह्रास के अनिवार्य भुगतान किए गए मुआवजे के अलावा, पुनर्गठित राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) में पशुधन बीमा किया जाता है। इसका उद्देश्य किसानों को

उनके पशुओं की मृत्यु के कारण होने वाले किसी भी संभावित नुकसान के खिलाफ सुरक्षा तंत्र प्रदान करके जीवन जोखिम और अनिश्चितताओं का प्रबंधन करना है और लोगों को पशुधन के बीमा के लाभ को प्रदर्शित करना है। डीएएचडी इस केंद्र प्रायोजित योजना को राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) जैसे राज्य पशुधन विकास बोर्ड/एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है। तदनुसार, किसानों (लाभार्थियों) को प्रीमियम के भुगतान में सब्सिडी प्रदान की जाती है।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

<u>पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु स्वास्थ्य संबन्धित अन्य मुद्दे</u>

(सिफारिश सं. 29)

पशु चिकित्सा सेवाओं में समोवेशन की कमी के बारे में, समिति यह नोट करने पर विवश है कि विभाग के पास पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं और टीकाकरण कार्यक्रमों के तहत उन पशुओं को कवर करने के लिए कोई निर्दिष्ट तंत्र नहीं है और ऊंट, याक आदि जैसे दूध के अपरंपरागत स्रोत हैं और जो अभी भी मुख्यधारा के पशुचिकित्सा बुनियादी ढ़ांचे की नीतियों और शिक्षा और सेवा कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएं हैं। इसलिए समिति विभाग से देश के दूर दराज के क्षेत्रों, विशेषकर हिमालयी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों और सीमावर्ती क्षेत्रों में सेवाओं, जागरूकता और पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित समावेशी दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में काम करने की सिफारिश करती है। समिति इस दिशा में विभाग द्वारा किए गए प्रयासों से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

पशुपालन राज्य का विषय है और राज्यों के पास क्षेत्र की पारिस्थितिकी, भौगोलिक परिस्थितियों और रोग प्रसार के आधार पर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल के तहत ऊंट, याक आदि जैसे जानवरों को कवर करने का प्रावधान है। विभाग के टीकाकरण कार्यक्रम में एफएमडी, ब्रुसेलोसिस, पीपीआर और सीएसएफ जैसे रोग शामिल हैं जिनका व्यापारिक और आर्थिक महत्व है। हालांकि, एएससीएडी घटक के तहत राज्य, किसी विशेष क्षेत्र में पशु और बीमारी के प्रकोप के आधार पर किसी भी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, विदेशी, आकस्मिक और जूनोटिक पशुधन और कुक्कुट रोगों के नियंत्रण और टीकाकरण के लिए सहायता मांग सकते हैं। सरकार के पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रमों, जूनोटिक रोगों के जोखिम आदि के बारे में किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए ब्लॉक स्तर पर प्रचार और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को भी सहायता प्रदान की जाती है। विभाग ने मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (ईएसवीएचडी-एमवीयू) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के घटक के साथ पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना को संशोधित किया है। फंडिंग पैटर्न ईएसवीएचडी (एमवीयू) के गैर-आवर्ती घटकों के लिए 100% केंद्रीय सहायता और केंद्र और राज्य के बीच 60:40 और पर्वतीय और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 90:10 तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आवर्ती व्यय के लिए 100% है। एमवीयू दूर-दराज के क्षेत्र में किसानों / पशु मालिकों को उनके द्वार पर निदान उपचार, टीकाकरण, मामूली सर्जिकल हस्तक्षेप, ऑडियो-विजुअल एड्स और विस्तारित सेवाएं प्रदान करेंगे। पशु चिकित्सा संबंधी मुद्दों के समाधान और देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में सूचना के प्रसार के लिए एमवीयू वन-स्टॉप सेंटर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। एमवीयू विस्तारित क्रियाकलापों के लिए निदान, उपचार, नमूना संग्रह, मामूली सर्जरी और ऑडियो-विजुअल एड्स आदि के लिए उपकरणों से लैस होंगे।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

अध्याय- तीन

टिप्पणियाँ/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

-शून्य-

अध्याय- चार

टिप्पणियाँ/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नही किए हैं

पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण संबंधी योजना (एलएच एंड डीसी)

(सिफारिश सं.1)

समिति इस बात को नोट करती है कि पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (एल एच एंड डी डीसी) संबंधी योजना को केंद्र और राज्यों के बीच 60: 40 (पूर्वोतर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100%) के वित्तपोषण पैटर्न के साथ पशु रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय हिस्सेदारी के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था। हालांकि, समिति वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक एल एच एंड डी डीसी योजना के तहत प्रस्तावित बीई और आवंटिट बजट के आंकड़ों के बीच भारी अंतर को नोट करके चिंतित है। 1553.03 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आवंटन की तुलना में विभाग को वर्ष 2017-18 में बीई चरण में मात्र 298.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और बीई चरण में भारी कमी का यह रुझान 909.39 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि की तुलना में 370.00 करोड़ रुपये के आवंटित बीई सहित वर्ष 2021-22 तक जारी रहा है। इसके अलावा, संअ चरण में आवंटित निधियों को वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक कम कर दिया गया था। विभाग को आवंटित निधियों के कुल प्रतिशत व्यय जो वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक लगातार 98 प्रतिशत से अधिक रहा है, पर संतोष व्यक्त करते हुए समिति असंतोष के साथ यह नोट करती है कि एल एच एंड डी सी योजना के कुछ उप-घटकों के तहत वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान किसी भी समय कोई वित्तीय प्रगति नहीं हुई है तथा भौतिक उपलब्धियों भी शून्य रही हैं।

समिति यह नोट करने के लिए विवश है कि व्यावसायिक कार्यक्षमता विकास (पीईडी), राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली (एनएडीआरएस) और क्लासिकल स्वाइन फीवर कंट्रोल प्रोग्राम (सीएसएफ-सीपी) संबंधी उप-घटक वर्ष 2020-21 के लिए शून्य आवंटन दर्शाते हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसएफ-सीपी के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में सूअरों को टीकाकरण खुराक के संबंध में वास्तविक लक्ष्यों की शून्य उपलब्धि और वर्ष 2015-16,2016-17 और 2020-21 के दौरान भी पीईडी के तहत आयोजित शून्य प्रशिक्षण समिति की नाराजगी को और बढ़ा देते हैं। समिति ने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को नोट करते हुए पूरी तरह से निराशा व्यक्त की है कि वर्ष 2017-18 और 2020-21 के दौरान एल एच एंड डी सी योजना के मौजूदा पशु चिकित्सालयों/औषधालयों (ईएसवीएचडी) उप-घटक की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के तहत किसी पशु चिकित्सालय/औषधालय को सुदृढ़ या स्थापित नहीं किया गया था और वर्ष 2015-16 और 2017-18 के दौरान नेशनल प्रोजेक्ट ऑन रिंडरपेस्ट सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग (एनपीआरएसएम) संबंधी उप-घटक के तहत गांव/स्टॉक मार्गों की खोज के संबंध में कोई उपलब्धियां हासिल नहीं की गई। जबकि एल एच एंड डी सी योजना के संबंध में विभाग का व्यय पैटर्न समग्रता में, आवंटित निधियों के लगभग 100% उपयोग को दर्शाता है तथा उपरोक्त उप-घटकों के तहत वित्तीय प्रगति और वास्तविक उपलब्धियों की स्थिति समिति की गंभीर चिंताएं बढ़ाती है। विभाग के इस तरह के भ्रामक दृष्टिकोण को नकारात्मक नजरिये से देखते हुए समिति इस बात की प्रबल इच्छा व्यक्त करती है कि अभी तक एल एच एंड डी सी उप-घटकों के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए और विभाग को यह सिफारिश करती है कि वह जमीनी स्तर पर योजना उप-घटकों के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में स्थिति का जायजा भी लें। बीई चरण में इस योजना के तहत भारी कटौती के मुद्दे के संबंध में समिति वित्त मंत्रालय से विभाग द्वारा प्रत्याशित प्रस्तावित आवंटन को ध्यान में रखने और इस विभाग की आवश्यकताओं के अनुरुप निधि

आवंटन करने की सिफारिश करती है ताकि महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों हेतु निधियों के अभाव में परेशानी न हो। समिति इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही और उसमें की गई प्रगति से अवगत होना चाहती है।

सरकार का उत्तर

विभाग, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वार्षिक कार्य योजनाओं या प्रस्तावों की प्राप्ति पर, बजटीय निधियों को जारी करने के लिए निर्धारित तकनीकी दिशानिर्देशों के अनुसार उनका मूल्यांकन करता है। बजट उपयोग/रिलीज राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी कार्य योजनाओं के तहत प्रस्तावित डिलिवरेबल्स, पहले जारी की गई निधियों के उपयोग और निधियों की आवश्यकता पर निर्भर करता है।

इसके अलावा, यह उल्लेख किया जाता है कि 2019-20 तक, एलएच एंड डीसी योजना से अधिकांश धनराशि एफएमडी-सीपी और शेष पीपीआर-सीपी, ब्रुसेला-सीपी, सीएसएफ-सीपी, एएससीएडी, ईएसवीएचडी, एनएडीआरएस, एनपीआरएसएम आदि के लिए आवंटित की गई थी (सभी पूर्ववर्ती एलएच एंड डीसी योजना के घटक)। हालाँकि, 2019-20 से, दोनों को लेते हुए एलएच और डीसी योजना में से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना एनएडीसीपी बनाई गई थी। एफएमडी-सीपी और ब्रुसेला-सीपी दोनों को इसमें से लेकर फिर, राज्य के हिस्से को जारी करने में अक्सर देरी होती है या राज्य के बजट में गैर-प्रावधान होता है। यह जारी केंद्रीय निधियों के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जो कि वित्त पोषण पैटर्न (हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 60:40 या 90:10) के अनुसार राज्य के हिस्से को जारी करने पर निर्भर करता है।

तदनुसार, वर्ष 2021-22 से, विभाग ने पशुधन और कुक्कुट के रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसरंचना को मजबूत करने के उद्देश्य से पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएचडीसी) योजना को

संशोधित किया है। समर्थित प्रमुख कार्यकलापों में दो प्रमुख रोगों, अर्थात् पेस्ट डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स (पीपीआर) और क्लासिकल स्वाइन ज्वर (सीएसएफ) का उन्मूलन और नियंत्रण, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (ईएसवीएचडी-एमवीयू) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण और अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी, आकस्मिक और जूनोटिक पशुधन और कुक्कुट रोगों (एएससीएडी) के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता है। फंडिंग पैटर्न क्रमशः पीपीआर और सीएसएफ के उन्मूलन और नियंत्रण के लिए 100% केंद्रीय सहायता और ईएसवीएचडी के गैर-आवर्ती घटकों के साथ-साथ एएससीएडी के कुछ घटकों के लिए 60:40 या 90:10 है।

विभाग, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वार्षिक कार्य योजनाओं या प्रस्तावों की प्राप्ति पर, बजटीय निधियों को जारी करने के लिए निर्धारित तकनीकी दिशानिर्देशों के अनुसार उनका मूल्यांकन करता है। बजट उपयोग/जारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी कार्य योजनाओं के तहत प्रस्तावित सुविधाएं, पहले जारी की गई निधियों के उपयोग और निधियों की आवश्यकता पर निर्भर करता है।

इसके अलावा, यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2019-20 तक, एलएच एंड डीसी योजना से अधिकांश धनराशि एफएमडी-सीपी और शेष पीपीआर-सीपी, ब्रुसेला-सीपी, सीएसएफ-सीपी, एएससीएडी, ईएसवीएचडी, एनएडीआरएस, एनपीआरएसएम आदि के लिए आवंटित की गई थी (सभी पूर्ववर्ती एलएच एंड डीसी योजना के घटक)। हालाँकि, वर्ष 2019-20 से, दोनों को लेते हुए एलएच और डीसी योजना में से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना एनएडीसीपी बनाई गई थी। एफएमडी-सीपी और ब्रुसेला-सीपी दोनों को इसमें से लेकर फिर, राज्य के हिस्से को जारी करने में अक्सर देरी होती है या राज्य के बजट में गैर-प्रावधान होता है। यह जारी केंद्रीय निधियों के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जो कि वित्त पोषण पैटर्न (पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 60:40 या 90:10) के अनुसार राज्य के हिस्से को जारी करने पर निर्भर करता है।

तदनुसार, वर्ष 2021-22 से, विभाग ने पशुधन और कुक्कुट रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसरंचना को मजबूत करने के उद्देश्य से पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएचडीसी) योजना को संशोधित किया है। समर्थित प्रमुख कार्यकलापों दो प्रमुख रोगों, अर्थात् पेस्ट डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स (पीपीआर) और क्लासिकल स्वाइन ज्वर (सीएसएफ) का उन्मूलन और नियंत्रण, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (ईएसवीएचडी-एमवीयू) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण और अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी, आकस्मिक और जूनोटिक पशुधन और कुक्कुट रोगों (एएससीएडी) के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता है। फंडिंग पैटर्न क्रमशः पीपीआर और सीएसएफ के उन्मूलन और नियंत्रण के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता और ईएसवीएचडी के गैर-आवर्ती घटकों के साथ-साथ एएससीएडी के कुछ घटकों के लिए 60:40 या 90:10 है।

संशोधित एलएच एंड डीसी योजना में, अब तक की एलएच एंड डीसी योजना के घटकों जैसे एनएडीआरएस, एनपीआरएसएम और पीईडी को एएससीएडी घटक के साथ मिला दिया गया है। हालांकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ओआईई को रिपोर्ट करने के लिए पहले की तरह, समय-समय पर पशुधन और कुक्कुट रोगों की घटनाओं की रिपोर्ट करना जारी रखेंगे और अब एएससीएडी के एक घटक "रोग निदान प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण'' के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आसान और बेहतर रिपोर्टिंग के लिए और डेटा दोहराव से बचने के लिए एनएडीआरएस घटक को आईएनएपीएच के साथ एकीकरण करने के लिए भी विचार किया गया है।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के -11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

समिति की टिप्पणियाँ

समिति की टिप्पणियों के लिए, कृपया प्रतिवेदन के **अध्याय-I के पैरा 1.7** का संदर्भ लें।

<u>देश में पशु चिकित्सा बुनियादी ढांचे की स्थिति</u>

(सिफारिश सं.3)

समिति आगे यह नोट करती है कि हालांकि देश में प्रति पशु चिकित्सा संस्थान गांवों की औसत संख्या 2018-19 तक 9.86 थी, लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए ऐसे आंकड़ों पर नजर डालें तो एक अलग तस्वीर का पता चलता है। झारखंड में प्रति इकाई पशु चिकित्सा संस्थान में 36.3 गांव हैं, मेघालय मे प्रति पशु चिकित्सा इकाई 28.5 गांव हैं जबकि असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रति पशु चिकित्सा इकाई क्रमशः 21.6, 20.2 और 18.2 गांव हैं। इसके अलावा, 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग (एनसीए) की सिफारिश के अनुसार, वर्ष 2000 तक 5000 पशु इकाइयों के लिए कम से कम एक पशु चिकित्सक/ संस्था होनी चाहिए। एनसीए की सिफारिश के अनुसार देश में पशुधन की वर्तमान आबादी 535.78 मिलियन है, अतः वर्तमान संख्या 65,894 के विपरीत देश में लगभग 107,156 पशु चिकित्सा संस्थानों की आवश्यकता है। जाहिर है, पशुधन की आबादी में घातीय वृद्धि देश में पशु चिकित्सा देखभाल की पेशकश करने वाले केंद्रों की संख्या से कहीं अधिक है। पशु चिकित्सा अवसंरचना में इस अपर्याप्तता से न केवल पशुधन की गुणवत्ता और सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम भावी लाभार्थियों तक पहुंचने में प्रभावित होते हैं, बल्कि पशुधन क्षेत्र की विकास क्षमता भी बाधित होती है तथा इस प्रकार इसके आर्थिक परिणाम को कम कर देती है। देश में पशु चिकित्सा अवसंरचना में इस भारी कमी को नोट करके निराश होते हुए समिति विभाग को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के साथ सहयोग से सख्त उपायों को अपनाने की पुरजोर सिफारिश करती है, जिसका उद्देश्य न केवल सूक्ष्मस्तर पर बल्कि प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में प्रति इकाई पशु चिकित्सा संस्थान में गावों के संदर्भ में माइक्रोस्तर पर भी पशु चिकित्सा संस्थानों की संख्या में बढ़ोत्तरी करना है और देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक बहु-विशेषता पशु चिकित्सा अस्पताल अपेक्षित है। समिति द्वारा उजागर किए गए सभी उपरोक्त

मुद्दों से निपटने के लिए विभाग द्वारा तैयार की गई समयसीमा के साथ-साथ कार्य योजना से समिति अवगत होना चाहती है।"

सरकार का उत्तर

पशुपालन राज्य का विषय है। हालांकि, पर्याप्त पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों में पशु चिकित्सा अवसरंचना को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी) योजना के एक घटक के रूप में, "पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और विद्यमान का सुदृढ़ीकरण" (ईएसवीएचडी) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को निधियां प्रदान की हैं जहां राज्य की कार्य योजना और पहले जारी किए गए धन के उपयोग के आधार पर निधियां जारी की गई थीं। राज्य सरकारें संबंधित राज्यों में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल के लिए अवसंरचना और आवश्यक योग्य जनशक्ति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। देश में पशु चिकित्सा पेशेवरों के साथ-साथ पशु चिकित्सा अवसंरचना की मांग और उपलब्धता के बीच के अंतर को पाटने के लिए, राज्यों को लगातार अपनी पशु चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करने की सलाह दी जाती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाओं के संशोधित और पुनर्गठित घटक जिसमें रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसे पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी) कार्यक्रम के रूप में नाम दिया गया है, में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (ईएसवीएचडी-एमवीयू) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के घटक शामिल हैं। एमवीयू क्लीनिकल निदान, उपचार, टीकाकरण, मामूली सर्जिकल हस्तक्षेप आदि में सहायता करेंगी और साथ ही उन्हें दूर-दराज के क्षेत्रों में भी किसानों/पशु मालिकों को उनके द्वार पर विस्तार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किया जाएगा। प्रारंभ में, प्रति 1 लाख पशुओं पर एक एमवीयू की

दर से लगभग 5000 एमवीयू के लिए केंद्र से निधियन किया जाएगा। संशोधित एलएच और डीसी योजना 2021-22 से 2025-26 तक लागू होगी।"

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

समिति की टिप्पणियाँ

समिति की टिप्पणियों के लिए, कृपया प्रतिवेदन के **अध्याय-I के पैरा 1.10** का संदर्भ लें।

<u>मौजूदा पशु चिकित्सा अस्पतालों एवं औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण (ईएसवीएचडी)</u>

(सिफारिश सं.5)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु संसाधनों में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरयूडीएफ) तथा एमपीएलएडी फंड के साथ ईएसवीएचडी उप-घटक के तहत निधियों में सामंजस्य स्थापित करने के संबंध में विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए समिति को यह लगता है कि विभाग द्वारा अत्यधिक नाजुक हालात वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पहचान किये जाने की बात पर ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता है ताकि उक्त व्यवस्था के तहत पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुद्दढ़ करने के लिए निधियां प्राप्त करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। आरकेवीवाई- राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति (आरकेवीवाई-एसएलएससी) के तहत प्रस्तावों के लिए 1636.70 करोड़ रुपये जारी किए जाने की बात को मानते हुए समिति इस बात पर ध्यान देने के लिए विवश है कि जनवरी,2019 में पशु चिकित्सा अवसंरचना की अत्यधिक कमी वाले 10 राज्यों में से केवल 7 ने ही ऐसी निधियॉ प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। शेष तीन राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में क्रमशः

82.7%, 57.9% और 54.3% प्रतिशत कमी देखी गई है, जिसमें जनवरी, 2019 में 10 राज्यों में से गुजरात सबसे अधिक पशु चिकित्सा अवसंरचना संबंधी कमी वाला राज्य है। समिति का मानना है कि पशु चिकित्सा अवसंरचना और सेवाओं में इतनी अधिक कमी न केवल इन राज्यों के पशुधन क्षेत्र की गुणवत्ता और उत्पादन में बाधा उत्पन्न करती है अपितु व्यक्तिगत पशुधन मालिकों को पशुओं, कुक्कुटों और अन्य पशुधन स्वास्थ्य, देखभाल और रखरखाव के संबंध में उन्हें बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित करती है, साथ ही उन्हें अपनी उत्पादन क्षमता का भली प्रकार उपयोग करने के अवसर से वंचित करती है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि राज्यों और केंद्रों को न केवल निधियों संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के उपाय किए जाएं अपितु आवश्यक पशु चिकित्सा अवसंरचना को उन्नत करने अथवा इन्हें स्थापित करने के लिए सर्वोत्तम संभव तरीके से इनका उपयोग भी किया जाए। समिति को इस दिशा में विभाग द्वारा किए गए कार्यों और प्रगति से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

विभाग आबंटित निधियों का ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ मामले को आगे बढ़ा रहा है। राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/राज्य सरकारों के साथ लंबित उपयोग प्रमाणपत्रों को परिनिर्धारित (लिक्विडेट) करने और वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निधियां जारी करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए समीक्षा बैठकों के माध्यम से लगातार अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। आरकेवीवाई (सामान्य) के तहत प्रस्तावों के मामले में, यह राज्यों पर निर्भर है कि वे पशु चिकित्सा अवसंरचना के लिए अपनी वित्त पोषण आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें क्योंकि आरकेवीवाई के तहत निधियां कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू)

द्वारा जारी की जाती हैं। इसके अलावा, राज्य कृषि विभाग अक्सर इस योजना के तहत पशु चिकित्सा अवसंरचना के बजाय अपनी प्राथमिकताओं के लिए निधियां सृजित करते हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान, राजस्थान को अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए 1852.53 लाख रुपये की निधियां जारी की गई थीं। आरकेवीवाई-एसएलएससी के तहत आगे इस वर्ष 2021-22 के दौरान, विभिन्न राज्यों के लिए 434.906 करोड़ रुपये के प्रस्तावों की सिफारिश की गई है, जिसमें आंध्र प्रदेश के लिए 93.95 करोड़ रुपये, बिहार के लिए 8.5 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ के लिए 10.24 करोड़ रुपये, गोवा के लिए 14.91 करोड़ रुपये, गुजरात के लिए 19.38 करोड़ रुपये, हरियाणा के लिए 21.58 करोड़ रु., हिमाचल प्रदेश के लिए 6.71 करोड़ रुपये, कर्नाटक के लिए 12.00 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र के लिए 10.30 करोड़ रुपये, पंजाब के लिए 30.52 करोड़ रुपये, राजस्थान के लिए 2.59 करोड़ रुपये, तमिलनाडु के लिए 5.15 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश के लिए 39.63 करोड़ रु., पश्चिम बंगाल के लिए 48.31 करोड़ रु., अरुणाचल प्रदेश के लिए 93.30 करोड़ रु., असम के लिए 6.36 करोड़ रु., मिजोरम के लिए 1.81 करोड़ रु., नागालैंड के लिए 0.066 करोड़ रु., सिक्किम के लिए 2.03 करोड़ रू., त्रिपुरा के लिए 7.57 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके साथ ही, विभाग ने आरकेवीवाई-पशु स्वास्थ्य उप-योजना के तहत वर्ष 2021-22 के दौरान कुत्तों के टीकाकरण द्वारा कैनाइन-रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के लिए विभिन्न राज्यों को 254.64.00 करोड़ रुपये भी आवंटित किए। जिसमें आंध्र प्रदेश के लिए 62.26 करोड़ रु. कर्नाटक के लिए 150.06 करोड़ रु. और असम के लिए 42.32 करोड़ रुपये शामिल हैं।

विभाग ने एलएच और डीसी योजना के तहत घटकों को संशोधित किया है ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पशु रोगों को नियंत्रित करने और प्रति लाख पशुओं पर 1 एमवीयू के माध्यम से पशु चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए केंद्रित तरीके से सहायता प्रदान की जा सके, जिससे पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुंच को काफी हद तक बढ़ाने में मदद मिलेगी।

अब तक, महाराष्ट्र को उसकी आवश्यकता के अनुसार, वर्ष 2021-22 में 80 एमवीयू के लिए निधियां प्रदान की गई हैं।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

समिति की टिप्पणियाँ

समिति की टिप्पणियों के लिए, कृपया प्रतिवेदन के **अध्याय-I के पैरा 1.13** का संदर्भ लें।

<u>पशु चिकित्सा अनुसंधान</u>

(सिफारिश सं.19)

समिति ने यह नोट किया है कि पशु चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान ज्यादातर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई), इज्जतनगर, यूपी द्वारा आईसीएआर संस्थानों और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों या कृषि विश्वविद्यालयों से संबद्ध पशु चिकित्सा कॉलेजों के साथ किया जाता है। विभाग ने यह भी सूचित किया कि एलएच एंड डी सी योजना के पीईडी उप-घटक के तहत भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पशु चिकित्सा परिषदों (एसवीसी) को उनकी स्थापना, प्रशासन की लागत और वीसीआई, एसवीसी के लिए सतत पशु चिकित्सा शिक्षा (सीवीई) के लिए और राज्य पशु चिकित्सा/कृषि विश्वविद्यालयों के लिए भी निधियां प्रदान की जाती हैं। तथापि, समिति यह नोट करते हुए चिंतित है कि पशु चिकित्सा सेवा वितरण में सुधार के लिए संगठनों के लिए सहयोग और क्षमता निर्माण के लिए वीसीआई द्वारा पहचाने गए क्षेत्र के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने इस आशय की कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। समिति का मानना है कि हमारी पशु चिकित्सा सेवाओं में सटीकता और कार्यकुशलता केवल एक मजबूत अनुसंधान आधार पर सुनिश्चित की जा सकती है और इसके लिए न केवल सरकार की ओर से गंभीर प्रयासों की आवश्यकता होगी बल्कि

अनुसंधान गतिविधियों के लिए स्थित वित्तीय सहायता के साथ-साथ शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी की भी आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले पहचान किए गए विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 5 वर्षों से अधिक समय में 50,000 करोड़ रुपये की बजट घोषणा पर भारत सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए समिति का मानना है कि विशिष्ट क्षेत्रों में पशु चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान गतिविधियों को शामिल करने से न केवल पशुधन क्षेत्र के विकास और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि देश में 'वन हेल्थ' अवधारण के उदेशों को पूरा करने में भी मद् मिलेगी। इसलिये, समिति विभाग से अकादमिक और क्षेत्र अनुसंधान के क्षेत्र में पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों को प्रोत्साहित करने और सहायता प्रदान करने के लिए सटीक दृष्टिकोण विकसित करने और भारत सरकार के साथ मिलकर राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले विशिष्ट क्षेत्रों के तहत पशु चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को शामिल करने और तदनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश करती है। समिति इस दिशा में विभाग द्वारा उठाए गए कदमों और प्रगति से अवगत होना चाहती है।"

सरकार का उत्तर

अनुसंधान और शिक्षा आईसीएआर का अधिदेश है। हालांकि, संशोधित एलएच और डीसी योजना के तहत अनुसंधान और नवाचार, प्रचार और जागरूकता, प्रशिक्षण आदि के लिए आईसीएआर संस्थानों/अन्य संस्थानों को 100% वित्तीय सहायता का प्रावधान है। राज्यों को अनुसंधान और नवाचार, प्रचार और जागरूकता, प्रशिक्षण आदि के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार, एएससीएडी के तकनीकी दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

विभाग पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी) के तहत जूनोटिक और अत्यधिक संचारी रोगों सहित रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है। कार्यक्रम राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों को जूनोटिक रोगों सहित आर्थिक महत्व की बीमारियों के नियंत्रण के लिए सहायता प्रदान करता है, जो केंद्रीय कार्यक्रमों के तहत शामिल नहीं हैं। यह एक अधिक लचीला घटक है जिसे बेहतर वैक्सीन कवरेज या समर्थन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में प्रयोग किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में निगरानी और मॉनिटरिंग, रोग निदान प्रयोगशालाओं को मजबूत करना, जैविक उत्पादन इकाई, पशु रोगों के लिए टीकाकरण और पशुओं में विदेशी और उभरती बीमारियों की निगरानी भी शामिल है। इसके अलावा, एफएमडी और ब्रुसेलोसिस (एनएडीसीपी) के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, एफएमडी के अलावा, इसमें ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करने के लिए पशुओं में गहन ब्रुसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप पशुओं और मनुष्यों ,दोनों में रोग का प्रभावी प्रबंधन होगा। विभाग आईसीएआर-एनआईएचएसएडी, भोपाल और आईसीएआर-निवेदी, बैंगलोर को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो क्रमशः एवियन इन्फ्लुएंजा और ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारी की निगरानी कर रहे हैं।"

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

समिति की टिप्पणियाँ

समिति की टिप्पणियों के लिए, कृपया प्रतिवेदन के **अध्याय-I के पैरा 1.22** का संदर्भ लें।

<u>पशुपालन अवसरंचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)</u>

(सिफारिश सं. 25)

समिति नोट करती है कि पशुपालन अवसरंचना विकास निधि (एआईडीएफ) का 15000 करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है ताकि डेयरी और मांस और पशु चारे और चारे जैसे पशुधन उत्पादों में प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। हालांकि, समिति मानती है कि पशुपालन अवसरंचना विकास निधि का इस्तेमाल पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा सकता है। विभाग ने अक्सर निजी क्षेत्र के निवेशों को आकर्षित करके पशु चिकित्सा सेवाओं को लाभदायक उद्यम बनाने के महत्व के बारे में उल्लेख किया है, जिससे सेवा की रोजगारपरकता में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, पशु चिकित्सा जैविक, अनुसंधान, शिक्षा और बुनियादी ढ़ांचे में निजी क्षेत्र की भागीदारी पशु चिकित्सा दवाओं और पशु टीके के निर्माण, अनुसंधान पहलों के वित्तपोषण, पशु चिकित्सा कॉलेज खोलने, पीपीपी मॉडल के आधार पर मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों में निवेश करने और मौजूदा पशु चिकित्सा अवसरंचना के उन्नयन आदि के संदर्भ में हो सकती है। समिति पशु चिकित्सा सेवाओं में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए एएचआईडीएफ के उपयोग की संभावना से प्रसन्न है और अत:, विभाग को पशु चिकित्सा सेवाओं में पशुपालन अवसरंचना विकास निधि से संसाधनों को नियोजित करने की संभावना का पता लगाने की सिफारिश करती है। समिति को इस संबंध में होने वाले विकास से अवगत कराया जाए।"

सरकार का उत्तर

सुझावों को नोट किया जाता है। हालांकि, व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और धारा 8 कंपनियों द्वारा (i) डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, (ii) मांस प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन अवसंरचना और (iii) पशु चारा संयंत्र की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) को अनुमोदित किया गया है।

उद्देश्य:

• दूध और मांस प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद की विविधता को बढ़ाने में मदद करना और इस प्रकार असंगठित ग्रामीण दूध और मांस उत्पादकों के लिए संगठित दूध और मांस बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान करना।

• उत्पादक को बढ़ी हुई कीमत उपलब्ध कराना।

• घरेलू उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण दूध और मांस उत्पाद उपलब्ध कराना।

• देश की बढ़ती आबादी के लिए प्रोटीन युक्त गुणवत्तापूर्ण भोजन की आवश्यकता को पूरा करने और विश्व की सबसे अधिक कुपोषित बच्चों की आबादी में से एक में कुपोषण को रोकने के उद्देश्य को पूरा करना।

- उद्यमिता का विकास करना और रोजगार सृजित करना।
- निर्यात को बढ़ावा देना तथा दूध और मांस क्षेत्र में निर्यात योगदान में वृद्धि करना।
- उचित मूल्य पर संतुलित राशन उपलब्ध कराने के लिए गोपशु, भैंसों, भेड़ों, बकरियों, सुअरों और पोल्ट्री को गुणवत्तायुक्त सांद्रित पशु आहार उपलब्ध कराना।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

समिति की टिप्पणियाँ

समिति की टिप्पणियों के लिए, कृपया प्रतिवेदन के **अध्याय-I के पैरा 1.31** का संदर्भ लें।

अध्याय- पाँच

टिप्पणियाँ/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) और पशुचिकित्सा शिक्षा

(सिफारिश सं.11)

समिति का मानना है कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (आईवीसी) अधिनियम, 1984 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है और यह पशु चिकित्सा पद्धति को विनियमित करने और देश में पशु चिकित्सा शिक्षा के समान मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 1984 के आईवीसी अधिनियम में राज्य पशु चिकित्सा परिषदों (एसवीसी) की स्थापना का भी प्रावधान है, जो अलग- अलग राज्यों के भीतर वीसीआई के समान अधिदेश प्राप्त है। समिति ने आगे नोट किया कि पशु चिकित्सा शिक्षा में एक समान मानकों का नियमन पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों (एमएसवीई) विनियमों, 2016 के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज एंड एनीमल हस्बैंडरी (बीवीएससी एंड एएच) संबंधी प्रोफेशनल डिग्री कोर्स से संबंधित पाठ्यक्रम को एमएसवीई विनियमों में संशोधन के माध्यम से अशोधित किया जाता है, जैसा कि एक कार्यकारी समिति द्वारा वीसीआई को सिफारिश की गई है, जो एसवीसी और राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद विभाग को भेजा जाता है, कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के साथ परामर्श के बाद एमएसईवी में इस तरह के कानूनों को मंजूरी देने और अपनाने के लिए जाता है, जिन्हें अंतिम बार वर्ष 2016 में संशोधित किया गया था। समिति को यह नोट करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बीवीएससी एंड एएच के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन एक सुविचारित और विस्तृत प्रक्रिया है और पाठ्यक्रम में स्नातकों को इस क्षेत्र में व्यावहारिक कौशल सीखने में सक्षम बनाने के लिए एक वर्ष की अवधि की अनिवार्य इंटर्नशिप भी शामिल है। हालांकि, समिति

का मानना है कि पशु चिकित्सा शिक्षा और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिग्री कोर्स को तैयार करने और रीमॉडलिंग की जरूरत है ताकि आधुनिक पशु चिकित्सा पद्धतियों को जल्दी ही प्रणाली में शामिल किया जा सके। इसलिए समिति विभाग से यह सिफारिश करती है कि वह वीसीआई को पशु चिकित्सा शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय मानकों को चिन्हित करने और उसे अपनाने में सक्षम बनाने के लिए कदम उठाए ताकि पाठ्यक्रम का समय पर निरीक्षण किया जा सके। समिति को इस संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक (विनियमन, 2016) लागू करने के लिए जिम्मेदार है, जिसे भारत में सभी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2016-17 से लागू किया जा रहा है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 नए कॉलेजों की मान्यता के साथ-साथ मौजूदा मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की गैर- मान्यता, जैसी आवश्यकता हो, पशु चिकित्सा योग्यता के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है। पशु चिकित्सा शिक्षा सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार मानकों को फिर से तैयार करने और नामित करने के सुझाव पर वीसीआई इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के परामर्श से विचार करेगा।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के -11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

<u>भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) और पशुचिकित्सा शिक्षा</u>

(सिफारिश सं.13)

पशु चिकित्सक पशुधन और साथी जानवरों से लेकर वन्यजीवन तक पशुओं की एक विस्तृत श्रृंखला की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने कौशल को अपनाने में महत्वपूर्ण

भूमिका निभाते हैं, जो वर्तमान विश्व के निर्वाह के लिए आवश्यक है। वर्तमान में, देश में ऐसा कोई पूर्व-मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है जिससे अन्य कॉलेज मानक निर्धारित कर सकें और न ही विश्वविद्यालय शिक्षण कर्मचारियों और फील्ड पशु चिकित्सकों के कौशल और योग्यता में सुधार करने के लिए कोई अकादमिक स्टाफ कॉलेज हैं। पशु चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और पद्धति के लिए एक मानक निर्धारित करने की आवश्यकता को भांपते हुए, समिति को शिक्षाविदों और फील्ड पशु चिकित्सकों, विशेष रूप से अपने कॅरिअर की शुरुआत करने वाले लोगों के कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए हर क्षेत्र के लिए कम से कम 4 क्षेत्रीय अकादमिक स्टाफ कॉलेज होने की आवश्यकता महसूस होती है। समिति यह भी चाहती है कि केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तपोषण के साथ देश में कम से कम एक पशु चिकित्सा कॉलेज की स्थापना की जाए और जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के समान स्नातक पशु चिकित्सा शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करे। इसलिए समिति विभाग को शिक्षण स्टाफ और फील्ड पशु चिकित्सकों के लिए कम से कम एक अकादमिक स्टाफ कॉलेज और एक मॉडल पशु चिकित्सा कॉलेज, जो स्वायत्त हो, पशु चिकित्सा शिक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करता हो और सीधे विभाग के नियंत्रण में हो, की स्थापना की दिशा में काम करने की सिफारिश करती है। समिति को इस संबंध में की गई पहल और विभाग द्वारा की गई प्रगति से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

केंद्र सरकार के वित्त पोषण से आईआईटी के समान पशु चिकित्सा शिक्षा संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव नोट किया जाता है। परिषद में देश में ऐसे संदर्भित संस्थानों/क्षेत्रीय शैक्षणिक स्टाफ कॉलेजों को प्रस्तावित करने पर विचार किया जाएगा। तथापि, पृथक अधिनियम के निर्माण की आवश्यकताओं के लिए; इस संबंध में भी जांच की जाएगी।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं.के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

<u>भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) और पशुचिकित्सा शिक्षा</u>

(सिफारिश सं.14)

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद और राज्य पशु चिकित्सा परिषदों के कामकाज में अपर्याप्त स्वायत्तता और संसाधनों की कमी की समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए समिति का मानना है कि वीसीआई और एसवीसी के सदस्यों के रूप में फील्ड पशु चिकित्सकों, शिक्षाविदों और तकनीकी विशेषज्ञों की उपस्थिति से इन निकायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो सकेगा और स्थितियों का समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा सकेगा, और इस प्रकार उन्हें और अधिक कुशलता से कार्य करने में मदद मिलेगी। समिति इस बात पर असंतोष व्यक्त करती है कि विभाग परिषदों के भीतर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव कराने से आगे नहीं बढ़ पाया है। यद्यपि विभाग ने अपने लिखित उत्तरों में पशु चिकित्सा सेवाओं को प्रदान करने में वीसीआई और एसवीसी की अधिक भागीदारी, पशु चिकित्सा शिक्षा के सामंजस्य विशेषकर परा-पशु चिकित्सकों के लिए और धन की उपलब्धता आदि से संबंधित मुद्दों को समयबद्ध तरीके से हल करने का आश्वसान दिया है, लेकिन इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। समिति देश में परा-पशु चिकित्सकों के नियमन के लिए समर्पित सुविधा या वैकल्पिक निकाय की कमी से और भी अप्रसन्न है। इसलिए समिति विभाग को वीसीआई और एसवीसी से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए रूपरेखा तैयार करने की दिशा में काम करने की सिफारिश करते हुए, वीसीआई के भीतर या वैकल्पिक निकाय के रूप में क्षमता के रूप में स्थापित करने के लिए ढांचा तैयार करने के साथ देश में परा-वेटनरी पेशेवरों के नियंत्रक और पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए नियामक लाये। समिति को इन क्षेत्रों में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और प्रगति से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

वीसीआई और राज्य पशु चिकित्सा परिषदों के साथ-साथ कुछ राज्य प्रशासनिक विभागों ने परा-पशु चिकित्सकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और सेवा शर्तों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है। वीसीआई ने परा-पशु चिकित्सकों और लघु पशु चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक रोड मैप का प्रारूप तैयार करने के लिए पहले ही एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं और अनुपालन के लिए संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। यह आशा की जाती है कि परा-पशु चिकित्सा पेशेवरों की भूमिका पर उचित स्तरों पर विधिवत विचार किया जाएगा।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

समिति की टिप्पणियां

समिति की टिप्पणियों के लिए, कृपया प्रतिवेदन के **अध्याय-1 के पैरा 1.16** का संदर्भ लें।

<u>ईथनो-वेटनरी मेडिसिन (ईवीएम)</u>

(सिफारिश सं.15)

समिति को यह नोट करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पशुओं में बीमारियों के प्रबंधन के लिए स्वदेशी औषधीय ज्ञान के उपयोग को विभाग द्वारा बीवीएससी एंड एएच स्नातक पाठयक्रम के एक भाग के रूप में ईथनो-वेटनरी मेडिसिन (ईवीएम) के नाम से एक अलग पाठयक्रम के रूप में अपनाया जा रहा है। पशु चिकित्सा की इस शाखा में पशुधन और पोल्ट्री की सामान्य बीमारियों के लिए सरल और वहनीय उपचार प्रदान करके पशुधन मालिकों को आर्थिक नुकसान को रोकने की क्षमता है और इस प्रकार दवा के अति उपयोग और एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस(एएमआर) की घटनाओं को कम करती है। स्थानीय भाषाओं में सोशल

मीडिया पुस्तिकाओं और पोस्टरों के माध्यम से ईवीएम की अवधारणा के प्रचार-प्रसार में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के प्रयासों की सराहना करते हुए समिति पशु चिकित्सा विज्ञान में इस विषय को औपचारिक रूप देने के लिए आयुष मंत्रालय और एनडीडीबी के सहयोग से एक समिति बनाने के विभाग के प्रयासों की भी सराहना करती है। साक्ष्य के दौरान, विभाग के प्रतिनिधि ने समिति को पशुधन और कुक्कुट पालकों को शिक्षित करने के लिए एक ई-गोपाला ऐप शुरू करने के बारे में बताया ताकि पशुओं में सामान्य बीमारियों की पहचान की जा सके और उसे सरल तथा प्रभावी उपचार द्वारा ठीक किया जा सके। पशुओं में रोगों के प्रबंधन के वहनीय तरीकों को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग के प्रयासों का संज्ञान लेते हुए, समिति पशुधन और कुक्कुट पालन में रोगाणुरोधी प्रतिरोध को रोकने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ पशु चिकित्सा विज्ञान में ईथनो वेटनरी पद्धतियों के विचार को सुगम बनाने की दिशा में की गई प्रगति और विनियमों के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखती है। समिति को इस दिशा में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

बीवीएससी एंड एएच स्नातक पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में ईथनो-वेटनरी मेडिसिन (ईवीएम) की अवधारणा को वीसीआई द्वारा अच्छी तरह से लिया गया है। इस विषय को स्नातक स्तर पर अध्ययन कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में विचार करने के प्रावधान करने के लिए परिषद में इस मामले पर विचार किया जाएगा। एक "उपयुक्त पाठ्यक्रम मॉड्यूल" विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ सहयोग करने का भी पता लगाया जाएगा, जिसे पशु चिकित्सा संस्थानों में खोजा जा सकता है।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

समिति की टिप्पणियां

समिति की टिप्पणियों के लिए, कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-1 के पैरा 1.19 का संदर्भ लें।

<u>पशु टीकों का निर्माण और उपलब्धता</u>

(सिफारिश सं. 22)

समिति पशु टीका सहित पशु चिकित्सा जैविक उत्पादन के क्षेत्रों में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और इसकी पूर्णत: अपनी अनुषंगी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड(आईआईएल) के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना करती है। वह देश और विदेश के प्रमुख संस्थानों के साथ इसके शोध और विकास सहयोग, पशुधन रखने वाले किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और पशु चिकित्सकों के लिए निरंतर पशु चिकित्सा शिक्षा (सीवीई) कार्यक्रम और डेयरी सहकारिताओं के साथ इसके नेटवर्किंग की भी सराहना करती है जो किसानों के दरवाजे पर पशु चिकित्सा और इनपुट सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करती है। समिति पशु टीकों के उत्पादन और विपणन के लिए लाइसेंसिग के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई विस्तृत और सुनिश्चित प्रक्रिया की भी सराहना करती है।

विभाग ने 20 राज्य पशु चिकित्सा जैविक उत्पादन केंद्रों के बारे में बताया है, जो राज्यों के नियंत्रण में हैं और जो टीके का उत्पादन करते हैं। हालांकि, पशु टीके के उत्पादन के क्षेत्र में पूर्ण आत्म-निर्भरता अभी भी बहुत दूर की बात है क्योंकि ब्रुसेलोसिस और क्लासिकल स्वाइन फ्लू के लिए वेक्सीन उत्पादन के मामले में देश में अभी भी कमी बनी हुई है और एफएमडी हेतु थर्मोस्टेबल, लंबी अवधि के प्रतिरक्षा वैक्सीन विकसित करने की भी आवश्यकता है, जिसके लिए शोध किए जाने की आवश्यकता है। कुछेक राज्य बायोलोजिल यूनिटों के द्वारा अच्छी उत्पादन प्रविधि(जीएमपी) का अनुपालन न किये जाने से यह समस्या और अधिक बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त, साक्ष्य के दौरान विभाग के प्रतिनिधि द्वारा भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि देश में पशु चिकित्सा संबंधी दवाओं की कमी है। समिति का मानना है कि पशुपालन राज्य

का विषय होने के नाते पशुधन मालिकों के बीच टीकाकरण कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और इसलिए इन पर पशुधन की संख्या और रोग की व्यापकता पर आधारित टीकाकरण योजनाएं तैयार करने की जिम्मेदारी भी है। हालांकि, पशु चिकित्सा औषधियों और पशु टीकों का उत्पादन राज्यों, केंद्रीय एजेंसियों और निजी उत्पादकों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है और देश में अभी भी इनकी कमी मौजूद है और इसलिए यह इनकी उपलब्धता से जुड़ा मुद्दा है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा अपने वास्तविक कार्यनिष्पादन का आकलन करने और केंद्रीय हिस्सेदारी के 60 प्रतिशत की निगरानी के बाद एलएच एंड डीसी जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्यों को धनराशि का केंद्रीय हिस्सा जारी करने का दावा करने के बावजूद, उनके कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली योजनाओं के कार्यनिष्पादन में अभी भी कमियां बनी हुई हैं। ऐसी कमियों पर चिंता व्यक्त करते हुए समिति विभाग को राज्य सरकारों, विनियमित एजेंसियों, निजी उत्पादकों आदि जैसी सभी हितधारकों के साथ स्थिति की अच्छी तरह से समीक्षा करने और प्रशासनिक विलंब, परीक्षण मुद्दों और जीएमपी अनुपालन की समस्याओं के प्रभावी समाधान की दिशा में काम करने की सिफारिश करती है ताकि देश में पशु टीकों और पशु चिकित्सा दवाओं के उत्पादन और उपलब्धता से संबंधित मुद्दों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। समिति को इस दिशा में की गई पहलों से अवगत कराया जाए। विभाग द्वारा समिति को इस मामले पर संक्षिप्त रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाए।

सरकार का उत्तर

विभाग प्रशासनिक देरी, परीक्षण सबंधी मुद्दों और जीएमपी अनुपालन की समस्याओं को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है ताकि देश में पशु टीके और पशु चिकित्सा दवाओं के निर्माण और उपलब्धता से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल किया जा सके।

विभाग ने एनएडीसीपी के साथ-साथ महत्वपूर्ण रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता के साथ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण 4 पशु रोगों जैसे एफएमडी, ब्रुसेलोसिस, पीपीआर और सीएसएफ के लिए टीकाकरण की परिकल्पना की गई है। क्षेत्र में टीके भेजने से पहले आईसीएआर द्वारा तैयार एसओपी के अनुसार गुणवत्ता के लिए टीकों का परीक्षण किया जाता है। एसओपी पर भी चर्चा की जाती है और निर्माताओं के साथ तालमेल बिठाने की परिकल्पना की जाती है। इसके अलावा, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने पशु चिकित्सा टीकों/ जैविकीय और दवाओं पर नीतिगत इनपुट हेतु पशु स्वास्थ्य के लिए अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएएच) का गठन किया है।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र सं. के-11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

समिति की टिप्पणियां

समिति की टिप्पणियों के लिए, कृपया प्रतिवेदन के **अध्याय-1 के पैरा 1.25** का संदर्भ लें।

<u>पशु टीके में गुणवत्ता नियंत्रण</u>

(सिफारिश सं. 23)

समिति नोट करती है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान(आईवीआरआई), इज्जतनगर और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान (सीसीएसएनआईएचए), बागपत देश में पशु चिकित्सा टीकों के परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए नामित केंद्र हैं। हालांकि, ब्रुसेलोसिस और सीएसएफ टीके को छोड़कर पशु टीके के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गई है, फिर भी समिति यह नोट करके चिंतित है कि 20 राज्य पशु चिकित्सा जैविक इकाइयों में से केवल 9 को अच्छे उत्पादन प्रविधि संबंधी (जीएमपी) मानकों के चलते सुदृढ़ किया गया है।

इसके अतिरिक्त, अद्वितीय भारतीय ट्राइवेलेंट एफएमडी वैक्सीन की गुणवत्ता परीक्षण एक महंगा और दीर्घावधि प्रक्रिया है। विभाग ने एफएमडी वैक्सीन की थर्मोस्टेबिलिटी के अनुसंधान के संबंध में समिति को बताया है और यह उम्मीद की जाती है कि कोल्ड-चेन के व्यवधान से वायरस एंटीजन का नुकसान कम होगा और इसकी शेल्फ-लाइफ और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में वृद्धि होने से वैक्सीन की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। विभाग ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान एफएमडी की सेरो-निगरानी रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी है, जिसमें रोग की कम व्यापकता वाले कई क्षेत्रों में इसके घटने की प्रवृत्ति देखने को मिली है, तथापि यदि वैक्सीन की गुणवत्ता परीक्षण में तेजी नहीं लाई जाती है तो यह एक नुकसानदेह धीमी प्रक्रिया हो सकती है। अत: समिति विभाग को नामित परीक्षण केंद्रों और आईसीएआर में अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने की सिफारिश करती है ताकि वे एफएमडी और अन्य पशु टीकों के लिए एक तेज गुणवत्ता वाले परीक्षण तंत्र विकसित कर सकें जिससे वैक्सीन के अधिक नमूनों का कम समय के भीतर परीक्षण किया जा सके और गुणवत्ता नियंत्रण उपायों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा सके। समिति को इस संबंध में विभाग द्वारा की गई प्रगति से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

विभाग की योजना निर्दिष्ट प्रयोगशालाओं (वैक्सीन परीक्षण केंद्रों) के साथ-साथ आईसीएआर संस्थानों में शोध एवं विकास कार्यकलापों को सुगम बनाने की है ताकि उन्हें एफएमडी और अन्य पशु टीकों के लिए तेजी से गुणवत्तापूर्ण परीक्षण तंत्र विकसित करने में सक्षम बनाया जा सके जिससे कम समय के भीतर टीकों के अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा सके और गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण उपायों का कुशलता से निर्वहन किया जा सके।

उपर्युक्त के आलोक में, विभाग ने एफएमडी वैक्सीन के लिए इन-विट्रो परीक्षण प्रोटोकॉल बनाने के लिए पिरब्राइट, यूके की एफएमडी हेतु वर्ल्ड रेफरेंस प्रयोगशाला के साथ सहयोग किया

है ताकि कम समय में टीके के अधिक नमूने का परीक्षण किया जा सके और गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण उपायों का कुशलता से निर्वहन किया जा सके।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

पत्र सं.के -11053/81/2017-एलएच दिनांक: 24.11.2021]

समिति की टिप्पणियां

समिति की टिप्पणियों के लिए, कृपया प्रतिवेदन के **अध्याय-1** के **पैरा 1.28** का संदर्भ लें।

नई दिल्ली;
06 दिसम्बर , 2022
15 अग्रहायण, 1944 (शक)

पी.सी.गद्दीगौडर
सभापति
कृषि, पशुपालन और खाद्य
प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

समिति की दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

*****

समिति की बैठक मंगलवार, 15 नवंबर, 2022 को 1100 बजे से 1245 बजे तक समिति कक्ष संख्या 3, ब्लॉक ए, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पी.सी. गद्दीगौडर – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री ए. गणेशमूर्ति
3. श्री कनकमल कटारा
4. श्री देवजी पटेल
5. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी
6. श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले'
7. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

8. श्री मस्थान राव बीडा
9. डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे
10. श्री एस. कल्याणसुन्दरम
11. श्री कैलाश सोनी
12. श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला
13. श्री राम नाथ ठाकुर

सचिवालय

1.	श्री शिव कुमार	-	अपर सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक
4.	श्री प्रेम रंजन	-	उप सचिव
5.	श्री एन. अमरत्यागन	-	अवर सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति की बैठक में समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष के निदेशानुसार, लार्डिस समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा ताकि सदस्यों को शोध में बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण की दिशा में की गई नई पहलों, संसद ग्रंथालय में नई पहल, संसद ग्रंथालय के समृद्ध संसाधनों/भंडार के बारे में जागरूकता पैदा करना, प्राइड द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि से अवगत कराया जा सके। तत्पश्चात, लार्डिस के अधिकारियों ने पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया।

3. तत्पश्चात समिति ने निम्नलिखित की गई कार्रवाई प्रतिवेदन पर विचार किया:

(i) मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) से संबंधित 'देश में पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थिति और पशु टीकों की उपलब्धता' विषय पर समिति के तीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में प्रारूप की गई कार्रवाई प्रतिवेदन;

*(ii)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
*(iii)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
*(iv)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
*(v)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
*(vi)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

4. कुछ विचार-विमर्श के पश्चात, समिति ने प्रारूप की-गई कार्रवाई प्रतिवेदनों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया और समिति ने सभापति को इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और संसद में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया।

*5. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

*6. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

*7. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

*8. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

*** मामला इस प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।**

(प्रतिवेदन के प्राक्कथन का पैरा *4* देंखे)

कृषि संबंधी स्थायी समिति (2020-21) (17वीं लोक सभा) की तीसवीं रिपोर्ट पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

(i) कुल सिफारिशों की संख्या 29

(ii) टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

सिफारिश संख्या - 2,4,6,7,8,9,10,12,16,17,18,20,21,24,26,27,28 और 29

कुल 18

प्रतिशत 62.06%

(iii) टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:

सिफारिश संख्या - 0

कुल 00

प्रतिशत 00.00%

(iv) टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर को स्वीकार नहीं किया है:

सिफारिश संख्या. - 1, 3,5,19 और 25

कुल 05

प्रतिशत 17.24%

(v) टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:

सिफारिश संख्या. - 11, 13,14,15,22 और 23

कुल 06

प्रतिशत 20.68%